सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
राजस्थान में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

राजस्थान में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची

पैरा सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
	अध्याय-I	
	परिचय	
1.1	परिचय	1
1.2	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रारंभ	1
1.3	राजस्थान	2
1.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उद्देश्य	3
1.5	लेखापरीक्षा मानदंड	3
1.6	लेखापरीक्षा कार्यविधि एवं विस्तार	3
1.7	आभार	4
	अध्याय-II	
	उदय के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प	
2.1	उदय में वित्तीय गतिविधियों का उद्देश्य	6
2.2	उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन	6
2.3	वित्तीय मापदंडों/गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष	7
2.4	राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स के ऋणों का अधिग्रहण	8
2.5	बॉण्ड का निर्गमन	12
2.6	वित्तीय कायाकल्प को प्रभावित करने वाले कारक	16
	अध्याय-III	
	उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का परिचालन कायाकल्प	
3.1	डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए लक्ष्य	30
3.2	फीडर का अनिवार्य मीटरीकरण	31
3.3	वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) की अनिवार्य मीटरीकरण	32
3.4	उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटरीकरण	34
3.5	उपभोक्ता-अनुक्रमण और जीआईएस द्वारा मानचित्रण	36
3.6	ट्रांसफार्मर एवं मीटर को उन्नयन/बदलाव	39
3.7	फीडर मीटरीकरण के डाटा/पठन का स्वचालन	42
3.8	डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए अन्य पहल	45
3.9	उद्यम संसाधन योजना का कार्यान्वयन	45

3.10	मांग पक्ष प्रबंधन	46
3.11	सतर्कता जांच	48
3.12	सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान का अभाव	50
	अध्याय–IV	
	विद्युत क्रय की लागत का अनुकूलन	
4.1	विद्युत क्रय के स्रोत	51
4.2	विद्युत लागत को कम/अनुकूलित करने के लिए कदम	52
4.3	विद्युत क्रय की लागत एवं राज्य की उत्पादन इकाइयों की दक्षता	52
4.4	विद्युत क्रय प्रबंधन के लिए नवीन उपक्रम का निगमन	54
4.5	आरईआरसी द्वारा व्यय की अस्वीकृति	55
4.6	ईंधन अधिभार	56
4.7	नवीकरणीय क्रय दायित्व	57
	अध्याय–V	
	उदय का परिणाम	
5.1	वितरण क्षेत्र में विगत सुधार	59
5.2	परिचालन परिणाम	60
5.3	एटीएंडसी हानियों में कमी	60
5.4	एसीएस-एआरआर के अंतर में कमी	64
5.5	डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प	66
5.6	राजस्थान डिस्कॉम्स की रेटिंग	70
	अनुबंध	
1	चयनित वृत्त कार्यालयों, खण्ड कार्यालयों, उप-खण्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	73
2	30 सितंबर 2015 तक कुल बकाया ऋणों का डिस्कॉम-वार विवरण, राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया ऋण, कमी, बकाया ऋणों की प्राथमिकता, बकाया ऋणों का विवरण और जारी किए गए बॉण्ड को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	74
3	2015-16 से 2020-21 तक कार्यशील पूंजी का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र (आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंत के है)	77
4	राजस्थान सरकार से प्राप्त होने वाली लंबित सब्सिडी का विवरण एवं समाशोधित टैरिफ सब्सिडी के डिस्कॉम-वार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण-पत्र	78
5	2015-16 से 2020-21 तक विद्युत शुल्क का विभागवार बकाया दर्शाने वाला विवरण-पत्र	79

6	31 मार्च 2021 तक डिस्कॉम्स के अनुमानित ब्याज तथा वित्त लागत की तुलना में लेखा पुस्तकों में वास्तविक ब्याज तथा वित्त लागत की डिस्कॉम-वार स्थिति एवं उच्च लागत वाले ऋणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	81
7	2015-16 से 2020-21 के दौरान वितरण ट्रांसफार्मर की विफलता दर दर्शाने वाला विवरण-पत्र	82
8	2015-16 से 2020-21 के दौरान विफल लेकिन प्रतिस्थापित नहीं किए गए एवं एसीओ कार्यालयों में जमा करने हेतु लंबित वितरण ट्रांसफार्मर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	84
9	मीटरीकृत फीडर की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	85
10	सतर्कता विंग एवं ओएंडएम वृत्त द्वारा की गई सतर्कता जाँच तथा एटीएंडसी हानियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	86
11	2015-16 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा क्रय लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	88
12	2015-16 से 2020-21 के दौरान उत्पादन लागत, स्टेशन ऊष्मा दर एवं संयंत्र भार घटक की संयंत्र-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	90
13	2011-21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा की क्रय में कमी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	92
14	2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स की आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व वसूली (एआरआर) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	93
15	2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के वित्तीय प्रदर्शन यथा कुल राजस्व, कुल व्यय एवं लाभ को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	94
पारिभाषिक शब्दावली		97

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2015-21 की अवधि में 'राजस्थान में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत में विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला मुख्य रूप से उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण क्षेत्रों में विभाजित है। वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) सम्मिलित हैं जो संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत के क्रय एवं उपभोक्ताओं को इसके विक्रय के लिए उत्तरदायी हैं।

राजस्थान में, राज्य के तीन डिस्कॉम्स यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर डिस्कॉम) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम) द्वारा विद्युत का वितरण किया जाता है। इन डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत का प्रापण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल-राज्य स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनी) एवं अन्य विद्युत उत्पादनकर्ताओं से किया जाता है। इन तीन डिस्कॉम्स हेतु विद्युत के क्रय का प्रबंधन राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) द्वारा किया जाता है। डिस्कॉम्स ऐसी प्रापण की गई विद्युत को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ आदेशों में अनुमोदित दरों पर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को वितरित करते हैं।

उदय को प्रारंभ किए जाने के समय, सभी तीन राज्य डिस्कॉम्स गंभीर वित्तीय दबाव से जूझ रहे थे क्योंकि 2014-15 में उनका राजस्व घाटा (₹ 12,474 करोड़) एवं संचित हानियां (₹ 81,411 करोड़) सारभूत थी। डिस्कॉम्स पर सारभूत ऋण (30 सितम्बर 2015 को ₹ 80,529.90 करोड़) भी बकाया था एवं इसलिए वे उच्च ब्याज/वित्त लागत वहन कर रहे थे। साथ ही, एसीएस-एआरआर अंतर भी बहुत अधिक था।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपी, भारत सरकार) ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय कायाकल्प हेतु उनकी परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की (नवंबर 2015)। परिचालन दक्षता में सुधार हेतु, भाग लेने वाले राज्यों एवं डिस्कॉम्स को, एमओपी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिचालन माईलस्टोन्स पालन करने थे। परिचालन सुधारों के परिणामों को दो संकेतकों यथा (i) 2018-19 में एटीएंडसी हानि को कम कर 15 प्रतिशत तक लाना एवं (ii) आपूर्ति की औसत लागत-औसत वसूली योग्य राजस्व (एसीएस-एआरआर) के अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य पर लाना, के माध्यम से मापा जाना था। डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प की प्राप्ति हेतु, राज्यों द्वारा डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत दो वर्ष की अवधि (यथा 50 प्रतिशत 2015-16 एवं 25 प्रतिशत 2016-17) में अधिग्रहित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, राज्यों एवं डिस्कॉम्स को भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय करार भी निष्पादित किए जाने की आवश्यकता थी।

यह प्रतिवेदन, उदय योजना के निष्पादन का विश्लेषण करते हुए, वृहद स्तर पर दो पहलुओं यथा डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं परिचालन निष्पादन से संबंधित है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उदय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों/माईलस्टोन्स के समक्ष राज्य के तीन डिस्कॉम्स की वित्तीय एवं परिचालन दक्षताओं में सुधार का आंकलन सम्मिलित था। इसके लिए, राज्य के तीन डिस्कॉम्स की 2015-16 से 2020-21 के दौरान वित्तीय स्थिति एवं प्रमुख परिचालन मापदंडों/माईलस्टोन्स के समक्ष उनकी उपलब्धि की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्युत के उत्पादन की लागत को कम करने हेतु किए गये प्रयासों का आंकलन करने के लिए आरआरवीयूएनएल के अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी।

उदय के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प

उदय में डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों का 75 प्रतिशत (₹ 62422.88 करोड़) लेने के साथ-साथ विद्यमान एवं भविष्य की हानियों को एक क्रमबद्ध तरीके से लिए जाने की कल्पना की गई जिससे कि विद्यमान हानियों/ऋणों का बोझ डिस्कॉम्स से कम हो जाए। ऐसी आशा की गई थी कि एक बार हानियों/ऋणों के कम हो जाने पर, डिस्कॉम्स नए सिरे से शुरुआत करने एवं आत्मनिर्भर होने में सक्षम होंगें।

ऋण अधिग्रहण, डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प का एक महत्वपूर्ण कारक, प्रभावित हुआ था क्योंकि राजस्थान सरकार 2015-16 में डिस्कॉम्स के ऋणों का सम्पूर्ण 50 प्रतिशत ऋण का अधिग्रहण सुनिश्चित नहीं कर सकी, जैसी कि उदय में परिकल्पित था। 2016-17 में ऋण अधिग्रहण की कमी को पूर्ण करने हेतु ऋण की अंतिम किश्त को लिए जाने में अत्यधिक विलंब के कारण डिस्कॉम्स को अत्यधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, एमओयू में वर्णित ऋण खातों की प्राथमिकता का पालन नहीं किया गया था एवं वित्तीय संस्थानों के उच्च लागत वाले ऋण डिस्कॉम्स की लेखापुस्तकों में बने रहे। ऋणों के अधिग्रहण में कमियों के अलावा, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान हानियों का वित्तपोषण नहीं किए जाने एवं डिस्कॉम्स द्वारा बॉण्ड जारी नहीं किए जाने के कारण डिस्कॉम्स में ब्याज तथा वित्त लागत एवं तरलता की समस्या में वृद्धि हुई। इससे उदय के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के प्राथमिक उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

उदय को प्रारंभ किए जाने के पश्चात, राजस्थान सरकार से डिस्कॉम्स को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के पेटे मिलने वाली सब्सिडी अप्रैल 2015 में ₹ 15.83 करोड़ से तीव्र गति से बढ़कर मार्च 2021 को ₹ 17,458.79 करोड़ हो गई थी।

उदय के तहत निष्पादित एमओयू में सरकारी विभागों को विद्युत की आपूर्ति के पेटे सभी बकाया देयताओं का भुगतान डिस्कॉम्स को मार्च 2016 तक किए जाने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभागों/संस्थानों के विरूद्ध बकाया विद्युत देयताएं 2015-16 में ₹ 580.80 करोड़ से सारभूत रूप से बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,831.76 करोड़ हो गई।

उदय के अनुसार, डिस्कॉम्स अपने टर्नओवर के 25 प्रतिशत तक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते थे। डिस्कॉम्स विद्युत उत्पादनकर्ताओं की देयताओं का भुगतान समय पर किए जाने

को सुनिश्चित नहीं कर सके जिससे उनके कार्यशील पूंजी प्रबंधन पर प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त, लंबित सब्सिडी एवं सरकारी विभागों/संस्थाओं की बकाया विद्युत देयताओं का डिस्कॉम्स की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर भारी असर पड़ा था। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स कार्यशील पूंजी ऋणों की निर्धारित सीमा से अधिक ऋण उधार लेने के लिए विवश थे। इस प्रकार, उदय का मूल उद्देश्य, उधार के स्तर के साथ-साथ उधार की लागत को नियंत्रण में रखना विफल हो गया था एवं उनका वित्तीय कायाकल्प, जैसा कि उदय में परिकल्पित था, नहीं हो सका था।

हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्थान सरकार समय पर टैरिफ सब्सिडी जारी करना सुनिश्चित कर; अपने विभागों को उनकी बकाया विद्युत देयताओं एवं भविष्य के विद्युत बिलों का भुगतान समय पर करने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी कर डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प में सहायता कर सकती है। डिस्कॉम्स अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु कार्यशील पूंजी ऋणों को अनुमत्य सीमा में रखने; एआरआर/टैरिफ याचिकायें समय पर दायर करने एवं विद्युत उत्पादनकर्ताओं की देयताओं को समय पर भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने जैसे आवश्यक उपाय सुनिश्चित कर सकते हैं।

उदय के अंतर्गत डिस्कॉम्स का परिचालन कायाकल्प

उदय में निम्न माध्यम से 2019 के अंत तक डिस्कॉम्स के परिचालन कायाकल्प की परिकल्पना की गई थी:

- एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 2018-19 तक 15 प्रतिशत तक कम करना, एवं
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)[1] एवं औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर)[2] के अंतर को 2018-19 तक समाप्त करना।

इन दो संकेतकों को प्राप्त करने के लिए, उदय ने कुछ परिचालन माईलस्टोन्स, यथा फीडर तथा वितरण ट्रांसफार्मर्स (डीटी) पर अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण तथा ट्रांसफार्मर्स व मीटरों का उन्नयन/परिवर्तन निर्धारित किए थे, जिन्हें डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किया जाना था।

डिस्कॉम्स फीडर मीटरिंग सुनिश्चित नहीं कर सके क्योंकि 31 मार्च 2021 को कुल 29,096 फीडर में से 473 फीडर (जोधपुर डिस्कॉम) में मीटर स्थापित नहीं थे एवं 9,018 फीडर पर

1 आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) से तात्पर्य एक विशिष्ट अवधि के दौरान कुल किए गये व्यय को विद्युत की कुल आगत से विभाजित करना है।

2 औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर) से तात्पर्य एक विशिष्ट अवधि के दौरान कुल राजस्व (प्राप्ति आधार पर सब्सिडी एवं अन्य सभी आय को सम्मिलित करते हुए) को विद्युत की कुल आगत से विभाजित करना है।

समर्थित मीटरिंग डिवाइस नहीं थे। तथापि डिस्कॉम्स ने ऐसे फीडर पर स्थापित वीसीबी में अंतर्निहित मीटरिंग डिवाइस के आधार पर इन 9,018 फीडर को गलत तरीके से मीटरीकृत मान लिया था।

डिस्कॉम्स ने माईलस्टोन तिथि (जून 2018) तक डीटी मीटरिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रयास शुरू नहीं किए थे। माईलस्टोन तिथि के पश्चात भी, मार्च 2021 तक डीटी मीटरिंग की प्रगति नगण्य (1.48 प्रतिशत) थी।

परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स उच्च हानि वाले क्षेत्रों का पता लगाने हेतु फीडर-वार के साथ-साथ डीटी-वार हानियों को चिन्हित करने की स्थिति में नहीं थे, जिससे कि एटीएंडसी हानियों को कम किए जाने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

उदय में दिसम्बर 2017 तक (जून 2018 तक विस्तारित) ऐसे सभी उपभोक्ताओं जिनका मासिक उपभोग 500 यूनिट से अधिक एवं दिसम्बर 2019 तक (जून 2020 तक विस्तारित) अन्य (यथा ऐसे उपभोक्ता जिनका मासिक उपभोग 200 यूनिट से अधिक व 500 यूनिट तक) की स्मार्ट मीटरिंग पूर्ण किए जाने की परिकल्पना की गई थी। तथापि, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने अपने कुल उप-खंड कार्यालयों में से मात्र क्रमशः 13.87 प्रतिशत, 12.74 प्रतिशत एवं 2.70 प्रतिशत में ही स्मार्ट मीटरिंग लागू करने की योजना बनाई और वह भी उपभोग-वार उपभोक्ताओं को चिन्हित किए बिना, जैसा कि उदय में परिकल्पित किया गया था।

डिस्कॉम्स द्वारा उदय के अंतर्गत परिकल्पित भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा मानचित्रण के साथ उपभोक्ता अनुक्रमण भी नहीं अपनाया गया था। साथ ही, उपभोक्ता अनुक्रमण का निष्पादन मासिक आधार पर उचित प्रमाणीकरण/सत्यापन कर मानवीय रूप से अद्यतन किया जाना भी सुनिश्चित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स उचित एवं विश्वसनीय ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सके।

तकनीकी हानियों एवं रूकावट को कम करने हेतु, उदय में सिंगल-फेज डीटी के उन्नयन एवं दोषपूर्ण डीटी/उपभोक्ता मीटर को प्रतिस्थापित किए जाने की परिकल्पना की थी। तथापि, जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स 2015-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी के लक्षित उन्नयन को प्राप्त किए जाने में अत्यधिक पीछे थे जबकि जोधपुर डिस्कॉम की उपलब्धि नगण्य थी। तीनों डिस्कॉम्स 2015-21 के दौरान विफलता दर को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त उपाय करके डीटी की उच्च विफलता दर की समस्या से उबर नहीं सके। डिस्कॉम्स ने विफल वितरण ट्रांसफार्मर्स का समय पर प्रतिस्थापन किए जाने को भी सुनिश्चित नहीं किया एवं उनके पास मार्च 2021 तक प्रतिस्थापन हेतु सारभूत (11,387 विफल वितरण ट्रांसफार्मर्स) शेष था। इसी तरह, डिस्कॉम्स ने दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटरों का प्रतिस्थापन किए जाने के मानदंडों का पालन नहीं किया था एवं अतः 2016-21 के दौरान उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण मीटरों के पेटे सारभूत छूट (₹ 56.35 करोड़) अनुमत्य करनी पड़ी थी।

डिस्कॉम्स फीडर निगरानी प्रणाली का 100 प्रतिशत स्वचालन सुनिश्चित नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप/अशुद्धियाँ अभी भी विद्यमान हैं। साथ ही, प्रणाली की समयोचित निगरानी का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

डिस्कॉम्स ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया था।

अतः डिस्कॉम्स उस सीमा तक परिचालन माईलस्टोन्स को प्राप्त नहीं कर सके, जितनी कि उदय में परिकल्पना की गई थी एवं इसलिए, वे अपनी परिचालन दक्षता में सुधार नहीं कर सके जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक थी।

हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि डिस्कॉम्स/राजस्थान सरकार सभी फीडर एवं डीटी पर मीटर स्थापित करने हेतु तत्काल एवं उचित कार्यवाही करें तथा एटीएंडसी हानियों को कम करने हेतु हानि वाले विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए जीआईएस द्वारा मानचित्रण व उपभोक्ता अनुक्रमण की कार्यवाही करें। उदय के प्रावधानों के अनुसार स्मार्ट मीटर को स्थापित किए जाने का कार्य प्राथमिकता पर करें। डीटी की उच्च विफलता दर को नियंत्रित करें, दोषपूर्ण डीटी/उपभोक्ता मीटर को प्रतिस्थापित करें। अन्य आवश्यक कदमों के साथ-साथ, वितरण प्रणाली की समयोचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु फीडर निगरानी प्रणाली को 100 प्रतिशत स्वचालित करें।

विद्युत क्रय की लागत का अनुकूलन

डिस्कॉम्स में एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त करने हेतु, उदय में विद्युत उत्पादन की लागत को कम किए जाने की परिकल्पना की गई थी। साथ ही, विद्युत क्रय लागत का अनुकूलन किए जाने हेतु राज्य की विद्युत उत्पादन इकाईयों की दक्षता में सुधार किया जाना था।

राजस्थान में, आरआरवीयूएनएल अपने विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में कार्यरत है, तथापि इसके तापीय विद्युत संयंत्रों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि इन्होने 2015-21 के दौरान न केवल निर्धारित स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) को पार किया अपितु कम संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर भी संचालित हुए। इस प्रकार, आरआरवीयूएनएल की अक्षमताएं एवं परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की उच्च लागत, डिस्कॉम्स पर बोझ डाल रहीं हैं क्योंकि वह आरआरवीयूएनएल द्वारा उत्पादित विद्युत को क्रय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आरयूवीएनएल को पीपीए प्रबंधन सहित विद्युत क्रय, विद्युत व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाने तथा सुव्यवस्थित करने एवं विद्युत क्रय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दिसम्बर 2015 में निगमित किया गया था। तथापि, आरयूवीएनएल परिकल्पना के अनुसार संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि इसका निगमन संचालन के अपेक्षित तौर-तरीकों को दृष्टिगत रखे बिना किया गया था। परिणामस्वरूप, इसके निगमन का उद्देश्य विफल हो गया था।

हम अनुशंसा करते हैं कि आरआरवीयूएनएल अपने विद्युत संयंत्रों के निष्पादन में सुधार हेतु एसएचआर को मानदंडों के भीतर रखने एवं पीएलएफ को बढ़ाए जाने के संबंध में उचित कदम उठाए; तथा आरयूवीएनएल अपने निगमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित कदम उठाए।

उदय का परिणाम

यद्यपि उदय के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम्स के ऋण भार को ₹ 80,529.90 करोड़ (सितम्बर 2015) से सारभूत रूप से घटाकर ₹ 48,260.36 करोड़ (मार्च 2020) कर दिया था परन्तु नये ऋण लिए जाने के कारण, डिस्कॉम्स का ऋण भार पुनः बढ़कर ₹ 52,799.02 करोड़ हो गया (मार्च 2021)। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स की कुल ब्याज देनदारी 2014-15 में ₹ 8,254 करोड़ (₹ 1.79 प्रति विक्रय की गई विद्युत की इकाई के बराबर) से बढ़कर 2020-21 में ₹ 9,044.47 करोड़ (₹ 1.39 प्रति विक्रय की गई विद्युत की इकाई के बराबर) हो गई। इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा उदय के तहत ऋणों का बढ़ा हिस्सा अधिग्रहित करने के पश्चात भी, डिस्कॉम्स की विक्रय की गई प्रति इकाई ब्याज लागत में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हुई थी।

2015-16 से 2020-21 के दौरान गिरावट के उपरांत भी, जयपुर डिस्कॉम (25.22 प्रतिशत) एवं अजमेर डिस्कॉम (21.60 प्रतिशत) की एटीएंडसी हानियां उदय के अंतर्गत लक्षित एटीएंडसी हानियों (15 प्रतिशत) के स्तर की तुलना में अभी भी बहुत अधिक थी। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम में एटीएंडसी हानियों का स्तर, सुधरने के बजाए, 2015-16 के हानि स्तर (29.64 प्रतिशत) को 2018-21 के दौरान (30.87 प्रतिशत एवं 37.99 प्रतिशत के मध्य) चिंताजनक रूप से पार कर गया था।

डिस्कॉम्स (जयपुर डिस्कॉम में 2017-18 तथा 2019-20 एवं अजमेर डिस्कॉम में 2017-18 के अलावा) 2015-21 के दौरान एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त नहीं कर सके। जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति एक चिंता का कारण थी क्योंकि 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में एसीएस एआरआर से सारभूत रूप से अधिक रहा।

अतः उदय के कार्यान्वयन में डिस्कॉम्स एवं राज्य सरकार की इन कमियों के कारण, राज्य में डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प अप्राप्य रहा।

अध्याय–I

परिचय

अध्याय-I

राजस्थान में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का कार्यान्वयन

परिचय

1.1 भारत में विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला मुख्य रूप से उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण क्षेत्रों में विभाजित है। वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) सम्मिलित है जो संबंधित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर विद्युत के क्रय एवं उपभोक्ताओं को इसके विक्रय के लिए उत्तरदायी हैं। यह क्षेत्र वित्तीय एवं परिचालन स्थिरता के संदर्भ में सबसे कमजोर कड़ी है।

राजस्थान में, विद्युत क्षेत्र सुधारों के रूप में, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को विघटित कर दिया था एवं विद्युत क्षेत्र की पांच कंपनियों {यथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जयपुर डिस्कॉम), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अजमेर डिस्कॉम) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जोधपुर डिस्कॉम)}का गठन किया था (जून 2000)। राजस्थान में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स एक दुष्चक्र में फंस गई थी, जिसमें परिचालन हानियों को ऋण के द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का प्रारंभ

1.2 केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने डिस्कॉम्स की परिचालन एवं वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं एवं प्रस्ताव प्रारंभ किये थे। इन्हें सीमित सफलता मिली एवं डिस्कॉम्स ने अर्थव्यवस्था में संसाधनों के अवशोषक बने रहे । नवंबर 2015 के दौरान, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स[1] के वित्तीय कायाकल्प एवं परिचालन दक्षता में सुधार के दोहरे उद्देश्य के साथ उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारंभ की। इस योजना की परिकल्पना मितव्ययी एवं सुलभ 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक अग्रणी सुधार के रूप में की गई थी।

इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 'सभी के लिए 24X7 विद्युत' अभिलेख की परिकल्पना के अनुसार डिस्कॉम की दक्षता में सुधार करने हेतु अन्य कार्यकलापों के लिए राज्य विशेष हेतु लक्षित कार्यक्रम विकसित किया जाना वांछित था। साथ ही, परिचालन सुधारों के

---

1 जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम

परिणामों को निम्नलिखित दो संकेतकों के माध्यम से मापा जाना था:

एटीएंडसी हानियों में कमी

- **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार 2018-19 में एटीएंडसी हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना।**

राजस्व अंतर में कमी

- **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, 2018-19 तक आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली (एसीएस-एआरआर) के मध्य अंतर को शून्य करना।**

साथ ही, उदय के दिशानिर्देशों (दिशानिर्देशों) में यह अपेक्षा की गई थी कि संबंधित राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं, जिसमें उदय के अंतर्गत वर्णित वित्तीय एवं परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उत्तरदायित्व वर्णित हों।

राजस्थान

1.3 उदय को प्रारंभ किए जाने के समय, राजस्थान के सभी तीन डिस्कॉम्स गंभीर वित्तीय तनाव की स्थिति में थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: डिस्कॉम्स पर वित्तीय तनाव के संकेतक

विवरण	जयपुर डिस्कॉम	अजमेर डिस्कॉम	जोधपुर डिस्कॉम	कुल
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	4,735	3,593	4,146	12,474
वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में संचित हानियां (₹ करोड़ में)	27,831	26,844	26,736	81,411
सितम्बर 2015 के अंत में बकाया ऋण (₹ करोड़ में)	28,056	26,597	25,877	80,530
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत का भार (₹ प्रति यूनिट विद्युत विक्रय में)	1.62	2.09	1.71	1.62 से 2.09
ब्याज एवं वित्त लागत का भार का राष्ट्रीय औसत (₹ प्रति यूनिट विद्युत विक्रय में)	0.44	0.44	0.44	0.44
एआरआर के माध्यम से एसीएस की वसूली	70%	70%	69%	69-70%

स्रोत: उदय के अंतर्गत निष्पादित त्रिपक्षीय एमओयू।

राज्य डिस्कॉम्स पर वित्तीय तनाव ने राजस्थान को उदय का विकल्प चुनने हेतु एक आदर्श राज्य बना दिया था। राज्य के तीनों डिस्कॉम्स में से प्रत्येक ने अपने अधिकार क्षेत्र में उदय के कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के साथ एक पृथक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.4 इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2020-21 के दौरान राज्य में उदय के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत राज्य के तीनों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति एवं 2015-16 से 2020-21 के दौरान उदय के अंतर्गत निर्धारित प्रमुख परिचालन मापदंडों/लक्ष्यों के समक्ष उनकी उपलब्धि से संबंधित आंकड़ों एवं अभिलेखों की समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, आरआरवीयूएनएल द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत में कमी हेतु किए गए प्रयासों से संबंधित अभिलेखों की भी समीक्षा की गई थी।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प का अंतिम उद्देश्य, जैसा कि उदय में परिकल्पना की गई थी, प्राप्त हुआ था एवं एमओयू की शर्तों की अनुपालना की गई थी; एवं
- उदय में लक्षित परिचालन दक्षता इच्छित परिणामों के साथ प्राप्त की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे:

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उदय पर जारी (नवंबर 2015) कार्यालय ज्ञापन;
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं डिस्कॉम्स के मध्य निष्पादित (जनवरी 2016) त्रिपक्षीय एमओयू;
- विद्युत अधिनियम 2003 एवं एमओपी, भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति 2016;
- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी नियम, विनियम, नियमावली, मानक एवं नीति अभिलेख; एवं
- डिस्कॉम्स के वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), नियमावली एवं नीतियां; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड एवं नीति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन; राजस्थान सरकार द्वारा जारी ऋण स्वीकृति आदेश; तथा डिस्कॉम्स के निदेशक मंडल (बीओडी) एवं अन्य समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त।

लेखापरीक्षा कार्यविधि एवं विस्तार

1.6 29 अक्टूबर 2021 को सरकार/डिस्कॉम्स के साथ एक प्रविष्टि सभा आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा में तीनों डिस्कॉम्स के प्रधान कार्यालयों के साथ-साथ समीक्षा हेतु चयनित वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा सम्मिलित थी। अभिलेखों/आंकड़ों की विस्तृत संवीक्षा हेतु 33 वृत्त कार्यालयों

में से नौ कार्यालयों[2], नौ खण्ड कार्यालयों (चयनित वृत्त कार्यालयों के अधीन 39 खण्ड कार्यालयों का 23 प्रतिशत) एवं चयनित खण्ड कार्यालयों के अधीन सभी 37 उप-खण्ड कार्यालयों (100 प्रतिशत) का चयन किया गया था, जैसा कि **अनुबंध-1** में दर्शाया गया है।

प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं आरआरवीयूएनएल को सितंबर 2022 में जारी किया गया था। सरकार से उत्तर प्राप्त होने (अक्टूबर 2022) के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसओं पर सरकार के साथ समापन सभा (19 जनवरी 2023) में चर्चा की गई थी। राज्य सरकार/प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों एवं व्यक्त किए गए विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन पुनः राज्य सरकार, डिस्कॉम्स एवं आरआरवीयूएनएल को उनके उत्तर/टिप्पणियों हेतु 19 जनवरी 2024 को जारी किया गया था तथापि, 30 जनवरी 2024 तक कोई अन्य उत्तर/टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी।

आभार

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों को प्रदान किए जाने में ऊर्जा विभाग, डिस्कॉम्स एवं उनके अधिकारियों द्वारा दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

2 राज्य के तीन डिस्कॉम्स में से प्रत्येक से तीन वृत्त कार्यालय।

अध्याय–II

उदय के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प

अध्याय–II

उदय के अंतर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प

सारांश

हमने डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के लिए उदय के दिशानिर्देशों/एमओयू के प्रावधानों की रूपरेखा के अंतर्गत राजस्थान सरकार/डिस्कॉम्स द्वारा आरंभ की गई वित्तीय गतिविधियों से संबंधित अभिलेखों की जांच की। हमारी जांच से पता चला कि राजस्थान सरकार/ डिस्कॉम्स द्वारा उदय के दिशानिर्देशों/एमओयू के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया था।

ऋणों के अधिग्रहण में सारभूत कमी थी क्योंकि 2015-16 की अंतिम तिमाही तक डिस्कॉम्स के 50 प्रतिशत ऋणों का सम्पूर्ण अधिग्रहण नहीं किया गया था, जैसा कि उदय में परिकल्पित था। 2016-17 में ऋण की अंतिम किश्त के रूप में ऋण की कमी को अधिग्रहित किए जाने में अत्यधिक विलंब के कारण, डिस्कॉम्स द्वारा अधिक मात्रा में ब्याज का भुगतान किया गया।

राजस्थान सरकार/डिस्कॉम्स ने एमओयू में उल्लेखित ऋण खातों की प्राथमिकता का पालन नहीं किया था। परिणामस्वरुप, वित्तीय संस्थाओं के उच्च-लागत के ऋण डिस्कॉम्स के खातों में बकाया रह गये थे।

डिस्कॉम्स अपनी वित्तीय अकुशलता एवं खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण वर्तमान अवधि के लिए अनुमानित हानियों (₹ 8,185 करोड़) के वित्तपोषण का प्रबंध ना तो राज्य/डिस्कॉम्स द्वारा जारी बॉण्ड के माध्यम से कर सके और ना ही राज्य सरकार को वर्ष 2017-18 के घाटे की पांच प्रतिशत हानि-अनुदान का दावा स्वीकार करने हेतु मना सके। इसके कारण डिस्कॉम्स के ब्याज व वित्त-लागत एवं तरलता से सबंधित समस्याओं में वृद्धि हुई तथा उदय के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के प्राथमिक उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में 2015-16 से 2020-21 के दौरान 2016-17 के अतिरिक्त सभी वर्षो में कार्यशील पूंजी की सीमा उदय के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक थी। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के प्रकरण में, निर्धारित सीमा का 2015-16, 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान उल्लंघन हुआ।

डिस्कॉम्स विद्युत उत्पादकों को देयताओं का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित नहीं कर पाए, जिससे उनका कार्यशील-पूंजी प्रबंधन प्रभावित हुआ। इस प्रकार, समग्र उधारियों एवं उधारी लागत को नियंत्रित करते हुए कार्यशील-पूंजी ऋणों को सीमित रखने का उदय का उद्देश्य विफल हो गया था तथा उनका वित्तीय कायाकल्प उदय में परिकल्पना के अनुसार नहीं हो सका।

साथ ही, विभिन्न अन्य कारणों यथा टैरिफ सब्सिडी प्राप्त न होना, उदय ऋणों का ब्याज भार, प्राप्य राशि के परिशोधन हेतु किए गये समझौते का पालन न करना, सरकारी विभागों से वसूलनीय भारी बकाया भुगतान, एआरआर एवं टैरिफ याचिकाओं को दायर करने में विलंब, भारी विनियामक परिसंपत्तियां एवं डिस्कॉम्स की उच्च वित्त-लागत ने भी डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

उदय में वित्तीय गतिविधियों का उद्देश्य

2.1 उदय में वित्तीय गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य योजना की कार्यान्वयन अवधि (2015-16 से 2019-20) के दौरान डिस्कॉम्स के ऋण भार को कम करना एवं वित्तीय हानियों को न्यूनतम करना था। इस प्रकार, डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प को प्राप्त करने का प्रयोजन था।

उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन

2.2 योजना के दिशानिर्देशों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) में वित्तीय एवं परिचालन दक्षता के मापदण्ड निर्धारित किए गए जिनकी निगरानी समयबद्ध सुधार के लिये करनी थी। उदय के अनुसार लक्षित लाभों के साथ, वित्तीय मापदंडों हेतु लक्षित गतिविधियों का विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.1: उदय के अंतर्गत वित्तीय मापदंड एवं लक्षित लाभ

क्र. सं.	वित्तीय मापदंड	उद्देश्य/लक्षित लाभ
	डिस्कॉम्स के दायित्व/राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता	
1	राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋणों (30 सितंबर 2015 को) का अधिग्रहण अर्थात 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत। (उदय का वाक्यांश 7.1)	डिस्कॉम्स के ऋण एवं ब्याज भार को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
2	डिस्कॉम्स द्वारा 31 मार्च 2016 को डिस्कॉम्स के पास शेष रहे 50 प्रतिशत ऋणों हेतु कम ब्याज दरों पर बॉण्ड जारी करना।	डिस्कॉम्स के ऋण एवं ब्याज भार को कम करने के लिए वित्तीय सहायता।
3	राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स की भावी हानियों का श्रेणीबद्ध रूप से अधिग्रहण करना।	डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार।
4	डिस्कॉम्स के गत वर्ष के राजस्व के 25 प्रतिशत तक कार्यशील पूंजी उधारियों को सीमित करना।	डिस्कॉम्स की पूंजी की लागत को कम करना।
5	राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स के समस्त बकाया राशि का 30 मार्च 2016 तक भुगतान करना।	डिस्कॉम्स के नकदी प्रवाह में सुधार।

उदय के कार्यान्वयन की जांच करने हेतु, हमने उदय के अंतर्गत वित्तीय कायाकल्प के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों तथा डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में इसके परिणामस्वरूप हुए सुधार का विश्लेषण किया।

वित्तीय मापदंडों/गतिविधियों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.3 प्रारंभिक दो मापदंडों यथा राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स के ऋणों का अधिग्रहण एवं डिस्कॉम्स द्वारा बॉण्ड के निर्गमन करने की स्थिति (जैसा कि **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है एवं **अनुच्छेद 2.4 एवं 2.5** में चर्चा की गई है) को एक प्रवाह चार्ट के रुप में नीचे दर्शाया गया है:

<table>
<tr><th colspan="3">उदय के अंतर्गत ऋणों का अधिग्रहण एवं बॉण्ड का निर्गमन</th></tr>
<tr><td rowspan="2">डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 को ऋणों के 50 प्रतिशत का अधिग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा मार्च 2016 तक किया जाना था
(यथा: एमओयू की सूची ए)</td><td colspan="2">डिस्कॉम्स द्वारा उनके ऋणों के शेष 50 प्रतिशत हेतु बॉण्ड जारी किए जाने थे
(यथा: एमओयू की सूची बी एवं सूची सी)</td></tr>
<tr><td>राजस्थान सरकार द्वारा सितम्बर 2016 तक 25 प्रतिशत अधिग्रहित किए जाने थे।</td><td>25 प्रतिशत डिस्कॉम्स के पास रहने थे</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">1. ऋणों का अधिग्रहण</th></tr>
<tr><td rowspan="2">चरण–I
(30 सितंबर 2015 को ऋणों का आकलन)</td><td colspan="3">कुल बकाया ऋण: ₹ 83,229.90 करोड़</td></tr>
<tr><td colspan="2">बकाया ऋण
(₹ 80,529.90 करोड़)</td><td>2015–16 के दौरान पहले से ही अधिग्रहित एफआरपी बॉण्ड
(₹ 2700 करोड़)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">चरण–II
(डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को ऋणों के 75 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने की योजना)</td><td colspan="2">मार्च 2016 तक: डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को ऋणों का 50 प्रतिशत (एमओयू की सूची ए) एवं एफआरपी बॉण्ड का 50 प्रतिशत</td><td>सितम्बर 2016 तक: डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को ऋणों का 25 प्रतिशत (एमओयू की सूची बी) एवं एफआरपी बॉण्ड का 25 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td colspan="2">₹ 41,614.64
(₹ 40,264.64 करोड़ + ₹ 1,350 करोड़</td><td>₹ 20,808.24 करोड़
(₹ 20,133.24 करोड़ + ₹ 675 करोड़)</td></tr>
<tr><td colspan="3">एमओयू में लक्षित अधिग्रहण एवं एफआरपी बॉन्ड का 75 प्रतिशत</td></tr>
<tr><td colspan="3">₹ 62,422.88 करोड़</td></tr>
<tr><td rowspan="2">चरण–III
डिस्कॉम्स के ऋणों का वास्तविक अधिग्रहण</td><td colspan="2">एफआरपी बॉण्ड (सितम्बर 2015 तक अधिग्रहित)</td><td>₹ 2,700.00 करोड़</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्रथम किश्त (17 मार्च 2016)</td><td>₹ 28,455.08 करोड़</td></tr>
</table>

	द्वितीय किश्त (31 मार्च 2016)	₹ 8,894.69 करोड़
	तृतीय किश्त (22 जून 2016)	₹ 20,807.32 करोड़
	चतुर्थ किश्त (7 फरवरी 2017)	₹ 1,564.87 करोड़
	योग	₹ 62,421.96 करोड़
अधिग्रहण में कमी	₹ 0.92 करोड़	

2. बॉण्ड का निर्गमन	
डिस्कॉम्स के शेष 50 प्रतिशत ऋणों के समक्ष निर्गमित किये जाने वाले बॉण्ड	₹ 40265.26 करोड़ (सूची बी के समक्षः ₹ 20,133.24 करोड़ एवं सूची सी के समक्षः ₹ 20,132.02 करोड़)
वास्तविक निर्गमित बॉण्ड	₹ 20,418.72 करोड़

लेखापरीक्षा ने उदय के अंतर्गत ऋणों के अधिग्रहण हेतु वित्तीय मापदंडों की उपलब्धि में निम्नलिखित विसंगतियां/कमियां पायी।

राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम्स के ऋणों का अधिग्रहण

2.4 उदय योजना के वाक्यांश 7.1 (जी) में प्रावधान था कि 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को हस्तांतरण अनुदान के रूप में होगा। राज्य द्वारा सम्पूर्ण अनुदान के ब्याज भार को तत्काल वहन करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में, अनुदान का हस्तांतरण तीन वर्षों अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में, शेष हस्तांतरण डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से करते हुए, किया जा सकता था। बहुत अधिक ऋण वाले डिस्कॉम्स के राज्यों हेतु उक्त अवधि में दो वर्षों की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा सकती थी। साथ ही, योजना के वाक्यांश 7.1(एच) में यह प्रावधान था कि असाधारण मामलों, जहां डिस्कॉम्स को समता पूंजी की सहायता की आवश्यकता हो, अनुदान के 25 प्रतिशत से अनधिक तक समता पूंजी दी जा सकती थी।

तीनों डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋण ₹ 80,529.90 करोड़ थे, जिसमें से 75 प्रतिशत का अधिग्रहण किया जाना था। तथापि, योजना के वाक्यांश 7.1 (जे) में विशेष रूप से यह प्रावधित था कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्व में ही अधिग्रहित किए गये बॉण्ड भी राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाले ऋण का हिस्सा थे। तथापि, डिस्कॉम्स ने 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋणों की गणना करते समय, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अधिग्रहित (मई 2015) ₹ 2,700 करोड़ के वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) 2012 के बॉण्ड को, सम्मिलित नहीं किया था एवं ₹ 60,397.88 करोड़ के लिए एमओयू निष्पादित किए थे। डिस्कॉम्स द्वारा निष्पादित त्रिपक्षीय एमओयू में प्राथमिकता, जिसमें ऋण अधिग्रहित किए जाने थे, को परिभाषित करने वाली तीन सूचियां यथा सूची ए एवं सूची बी तथा सूची सी सम्मिलित थी। एमओयू की सूची ए एवं सूची बी में क्रमशः मार्च 2016 तक अधिग्रहण किये जाने वाले 50 प्रतिशत ऋण (₹ 40,264.64 करोड़) एवं सितंबर 2016 तक अधिग्रहण किए जाने वाले 25

प्रतिशत ऋण (₹ 20,133.24 करोड़) का ऋणदाता-वार विवरण था। एमओयू की सूची सी में शेष 25 प्रतिशत ऋण (₹ 20,132.02 करोड़), जो डिस्कॉम्स को रखने थे, का विवरण था।

तत्पश्चात, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने स्पष्ट किया (मार्च 2016) कि बकाया राशि तक पहुंचने के लिए राज्यों द्वारा 2015-16 के दौरान 30 सितंबर 2015 से पूर्व ही एफआरपी 2012 के अधीन पहले से ही अधिग्रहित किए गये बॉण्ड को डिस्कॉम्स के 30 सितंबर 2015 को बकाया ऋण में जोड़ा जाएगा। तदनुसार, 30 सितंबर 2015 को अधिग्रहित किए जाने वाले बकाया ऋण ₹ 83,229.90 करोड़ थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उदय के प्रावधानों की अनुपालना में, राजस्थान सरकार ने, त्रिपक्षीय समझौतों को निष्पादित करते समय, 30 सितंबर 2015 को बकाया ऋणों का क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत 2015-16 की अंतिम तिमाही एवं 2016-17 की द्वितीय तिमाही में अधिग्रहित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

उदय के अधीन ऋणों के अधिग्रहण की स्थिति **तालिका 2.2** में दी गई है:

तालिका 2.2: 31 मार्च 2017 को उदय के अधीन ऋणों के अधिग्रहण की स्थिति

डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 को कुल बकाया ऋण	एमओयू के अनुसार अधिग्रहण हेतु लक्षित ऋण एवं एफआरपी बॉण्ड का 75 प्रतिशत	राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गए ऋण	कमी
₹ 83,229.90 करोड़	₹ 62,422.88 करोड़ (मार्च 2016 तक ₹ 41,614.64 एवं सितंबर 2016 तक ₹ 20,808.24 करोड़)	₹ 62,421.96 करोड़ पूंजी- ₹ 8,700 करोड़ ऋण- ₹ 44,721.96 करोड़ अनुदान/ सब्सिडी- ₹ 9,000 करोड़	₹ 0.92 करोड़ (कमी)

30 सितंबर 2015 को कुल बकाया ऋणों, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए ऋणों, कमी, बकाया ऋणों की प्राथमिकता एवं विश्लेषण तथा निर्गमित बॉण्ड के विवरण का डिस्कॉम-वार विवरण **अनुबंध-2** में दिया गया है।

उदय के अधीन दिए गए ऋणों (₹ 44,721.96 करोड़) को, उदय के अधीन दी गई छूट के अनुसार 2017-18 से 2019-20 के दौरान ₹ 6,905.49 करोड़ की समता पूंजी एवं ₹ 37,816.47 करोड़ की अनुदान/सब्सिडी में परिवर्तित किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: उदय के अधीन पूंजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	समता पूंजी निवेश	ऋण	सब्सिडी/ अनुदान सहायता	योग
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
योग	**8,700.00**	**44,721.96**	**9,000.00**	**62,421.96**
2017-18	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2019-20	905.49	(-) 14,721.96	13,816.47	-
योग	**6905.49**		**37816.47**	
31-03-2020 को स्थिति	**15,605.49 (25.00%)**	-	**46,816.47 (75.00%)**	**62,421.96**

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के समापन पर, उदय में निर्धारित कार्यप्रणाली/प्रावधानों की अनुपालना में डिस्कॉम्स को समता पूंजी सहायता, ₹ 0.92 करोड़ की कमी के अतिरिक्त, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित कुल ऋण का 25 प्रतिशत थी। ऋणों को अधिग्रहित किए जाने में पाई गई विसंगतियों/कमियों पर चर्चा अग्रिम अनुच्छेदों में की गई है।

ऋणों के अधिग्रहण में विलम्ब

2.4.1 उदय के वाक्यांश 7.1 (एफ) एवं एमओयू के वाक्यांश 1.2 (एच) के अनुसार, डिस्कॉम्स के ऋणों का 'पूर्व में ही देय ऋणों' के पश्चात 'उच्चतम लागत वाले ऋणों' की प्राथमिकता में अधिग्रहण किया जाना था।

एमओयू के अनुसार अधिग्रहित किए जाने वाले ऋणों एवं ₹ 2,700 करोड़ के एफआरपी बॉण्ड के 75 प्रतिशत के समक्ष वास्तविक अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे **तालिका 2.4** में दिया गया है:

तालिका 2.4: अधिग्रहित किए जाने वाले ऋणों के समक्ष वास्तविक अधिग्रहित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31/03/2016 को	31/03/2017 को
अधिग्रहित किये जाने वाला ऋण	41,614.64*	20,808.24**
अधिग्रहित ऋण	40,049.77 i. मई 2015: 2,700 ii. 17/03/2016: 28,455.08 iii. 31/03/2016: 8,894.69	22,372.19 i. 22/06/2016-20,807.32 ii. 07/02/2017-1,564.87
(कमी)/ अधिक भुगतान	**(1.564.87)**	**1.563.95**
समग्र कमी	**0.92**	

* ₹ 40,264.64 करोड़ एवं ₹ 1,350 करोड़ (₹ 2,700 करोड़ का 50 प्रतिशत)

** ₹ 20,133.24 करोड़ एवं ₹ 675 करोड़ (₹ 2,700 करोड़ का 25 प्रतिशत)

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार ₹ 2,700 करोड़ के एफआरपी बॉण्ड का 100 प्रतिशत अधिग्रहण पूर्व में ही सितंबर 2015 तक कर चुकी थी। साथ ही, इसने ₹ 28,455.08 करोड़ के ऋणों (सूची सी के ₹ 268.06 करोड़ को सम्मिलित करते हुए) का अधिग्रहण 17 मार्च 2016 को एवं ₹ 8,894.69 करोड़ (सूची बी में से) के बॉण्ड/ऋणों का अधिग्रहण 31 मार्च 2016 को किया, इस प्रकार, ₹ 1,564.87 करोड़ की कमी छोड़ दी। इस कमी की पूर्ति फरवरी 2017 में अधिगृहित ऋणों की अंतिम किश्त (₹ 1,564.87 करोड़) में की गई थी। तथापि, यदि हम अधिग्रहित ऋण की तुलना, ₹ 2,700 करोड़ के एफआरपी बॉण्ड को छोड़ते हुए, एमओयू में निर्दिष्ट राशि से करते हैं, तो कमी ₹ 675.92 करोड़[1] हो जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अंतिम किश्त में अधिग्रहण किए गये डिस्कॉम्स के ऋणों की ब्याज दरें 11.50 प्रतिशत से 12.75 के मध्य थी। इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा ऋण के अधिग्रहण में विलंब[2] के कारण, डिस्कॉम्स को ₹ 1564.87 करोड़ पर ₹ 160.54 करोड़ का ब्याज भुगतान करना पड़ा।

सरकार ने आक्षेप को स्वीकार किया।

अधिग्रहण किए जाने वाले ऋणों की प्राथमिकता

2.4.2 उदय के वाक्यांश 7.1 (एफ) एवं एमओयू के वाक्यांश 1.2 (एच) के अनुसार, डिस्कॉम के ऋणों का 'पूर्व में ही देय ऋणों' के पश्चात 'उच्चतम लागत वाले ऋणों' की प्राथमिकता में अधिग्रहण किया जाना था।

एमओयू के अनुसार, 31 मार्च 2016 को सूची ए में से अधिग्रहण किए जाने वाले कुल बकाया ऋण ₹ 40,264.64 करोड़[3] थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार ने, सूची सी के ₹ 268.06 करोड़ को सम्मिलित करते हुए, ₹ 28,455.08 करोड़ के ऋणों का 17 मार्च 2016 को अधिग्रहण किया था। अतः सूची ए में से ₹ 28,187.02 करोड़ के ही ऋणों का अधिग्रहण किया था। साथ ही, इन ऋणों के अधिग्रहण से पूर्व, जयपुर डिस्कॉम द्वारा सूची ए में से ₹ 173.50 करोड़ के ऋणों का आंशिक/पूर्ण पुनर्भुगतान कर दिया गया था एवं उक्त ऋण राजस्थान सरकार द्वारा नहीं लिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय/एमओयू में उल्लेखित ऋणों की प्राथमिकता का पालन नहीं किया गया था क्योंकि एमओयू की सूची ए के 39 ऋण (₹ 11,904.12 करोड़)[4], जो वित्तीय संस्थानों

---

1 ₹ 0.92 करोड़ + ₹ 675 करोड़ (यथा ₹ 2,700 करोड़ का शेष 25%)

2 विलंब की गणना 1 अप्रैल 2016 से भुगतान की तिथि यथा 07/02/2017 तक (312 दिन) की गई है।

3 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 14,028.16 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 13,298.28 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 12,938.20 करोड़।

4 जयपुर डिस्कॉम (21 ऋण): ₹ 4,475.37 करोड़, अजमेर डिस्कॉम (9 ऋण): ₹ 3,274.75 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम (8 ऋण): ₹ 4,154 करोड़।

(एफआई)[5] से संबंधित थे एवं जिनकी ब्याज दर 13.25 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मध्य थी, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किए गए थे। इनके स्थान पर, 11.70 प्रतिशत एवं 11.60 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मध्य ब्याज दर वाले बैंक ऋण अधिग्रहण किए गये थे, जिसके कारण डिस्कॉम्स की वित्त लागत में राजस्थान सरकार द्वारा उच्च लागत वाले ऋणों का पूर्ण/आंशिक अधिग्रहण (22 जून 2016) किए जाने तक निरंतर वृद्धि हुई।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि प्रारंभ में मात्र बैंकों ने ही भाग लिया था एवं तदनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा मात्र उनके ऋणों का ही अधिग्रहण किया गया था। एफआई के संबंध में, डिस्कॉम्स की यह धारणा थी कि उनकी गैर-भागीदारी भारत सरकार की जानकारी में/सहमति से थी।

उत्तर यथार्थपूर्ण नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स ने ना तो वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रयास किए एवं ना ही उनकी गैर-भागीदारी के संबंध में भारत सरकार को सूचित किया।

बॉण्ड का निर्गमन

2.5 उदय में डिस्कॉम्स द्वारा अपने शेष 50 प्रतिशत ऋणों एवं वर्तमान घाटे के लिए बॉण्ड निर्गमन किए जाने की परिकल्पना की गई थी। बॉण्ड के निर्गमन हेतु उदय के प्रावधान निम्नलिखित थेः

वाक्यांश	विवरण
शेष 50 प्रतिशत ऋणों हेतु	
उदय का वाक्यांश 7.2 एवं एमओयू का वाक्यांश 1.1 (बी)	31 मार्च 2016 को डिस्कॉम्स के शेष 50 प्रतिशत ऋणों को, बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंक की आधार दर में 0.10 प्रतिशत जोड़ते हुए से अनधिक ब्याज दर वाले ऋण अथवा बाण्ड में परिवर्तित किया जाना था। अन्य विकल्प के रूप में, यह ऋण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डिस्कॉम्स द्वारा राज्य गारंटीकृत डिस्कॉम बॉण्ड के रूप में चालू बाज़ार दरों, जो कि बैंक की आधार दर से 0.10 प्रतिशत अधिक के बराबर अथवा कम हो, पर निर्गमित किये जाने थे।
उदय का वाक्यांश 7.3	वित्तीय संस्थानों, आरईसी एवं पीएफसी को सम्मिलित करते हुए, के ऋण के समक्ष निर्गमित किए जाने वाले बॉण्ड को सर्वप्रथम बाजार, पेंशन एवं बीमा कंपनियों को सम्मिलित करते हुए, द्वारा अभिदान के लिए प्रस्तुत किया जाना था। शेष, यदि कोई हो, को बैंकों द्वारा डिस्कॉम्स को उनकी चालू उधारियों के अनुपात में लिया जाना था।

5 पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन, आरईसी लिमिटेड (आरईसी), सिडबी, राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड (आरएसपीएफसीएल) एवं हुडको इत्यादि।

वर्तमान घाटे हेतु	
उदय का वाक्यांश 8.3	1 अक्टूबर 2015 के पश्चात की वर्तमान हानियों का वित्तपोषण मात्र, विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ अंतिम रूप दिए गए हानि प्रक्षेपवक्र की सीमा तक ही किया जाएगा एवं ऐसा वित्तपोषण, ऋण को सीमित रखने एवं ऋण-लागत को कम रखने के लिए, सरकार द्वारा निर्गमित बॉण्ड अथवा डिस्कॉम्स द्वारा निर्गमित राज्य गारंटीकृत बॉण्ड, के माध्यम से किया जाएगा
एमओयू का वाक्यांश 1.2 (एल)	डिस्कॉम्स द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बॉण्ड जुटाने में विफल रहने की स्थिति में, राज्य सरकार के पास उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों पर विचार करने के पश्चात, राजस्थान सरकार शेष कोष की व्यवस्था करेगी।

एममओयू की सूची बी एवं सी के अनुसार शेष 50 प्रतिशत ऋणों का डिस्कॉम-वार विवरण **अनुबंध-2** में दर्शाया गया है। बॉण्ड निर्गमित करने में अवलोकित विसंगतियों/कमियों पर चर्चा नीचे की गई है:

शेष 50 प्रतिशत ऋणों हेतु बॉण्ड निर्गमित नहीं होना

2.5.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीनों डिस्कॉम्स के निदेशक मंडल ने शेष 50 प्रतिशत बॉण्ड के समक्ष ₹ 22,753.59 करोड़[6] के बॉण्ड का निर्गमन अनुमोदित किया (मार्च 2016), जिसमें वित्तीय संस्थाओं एवं विश्व बैंक के बकाया ऋणों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके समक्ष, डिस्कॉम्स केवल ₹ 20,418.72 करोड़ के बॉण्ड ही निर्गमित (मार्च 2016) कर सके थे।

तत्पश्चात, डिस्कॉम्स ने वित्तीय संस्थानों से शेष ऋणों पर ब्याज दर को प्रधान बैंक की आधार दर से 0.10 प्रतिशत अधिक तक घटाने का अनुरोध किया (अप्रैल 2016)। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, वित्तीय संस्थानों में से एक, ने उत्तर दिया (मई 2016) कि इसके प्रकरण में दर में कटौती लागू नहीं होती है क्योंकि इसके पास आधार दर की कोई अवधारणा नहीं है। इसने साथ ही डिस्कॉम्स को उदय के प्रावधानों के अनुसार दूसरे विकल्प का चयन करके उनके संपूर्ण ऋणों का पूर्व-भुगतान किए जाने का सुझाव दिया। अन्य वित्तीय संस्थानों ने डिस्कॉम्स के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया था। तथापि, डिस्कॉम्स ने दिसंबर 2016 तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, उच्च लागत का ₹ 17,404.89 करोड़[7] (विश्व बैंक से संबंधित ₹ 2,441.65 करोड़ के कम ब्याज दर के ऋण, राजस्थान सरकार के ब्याज मुक्त ऋण एवं डिस्कॉम्स द्वारा

6 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 8,717.41 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 6,765.12 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 7,271.06 करोड़।

7 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 5,315.51 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 6,469.54 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 5,619.84 करोड़।

30 सितम्बर 2015 के पश्चात किए गए पुनर्भुगतान के अतिरिक्त) का ऋण डिस्कॉम्स के लेखों में शेष रहा।

वर्तमान एवं भावी हानियों का वित्तपोषण

2.5.2 उदय योजना के वाक्यांश 8.1 एवं एमओयू के वाक्यांश 1.2 (आई) में प्रावधित था कि राज्य डिस्कॉम्स की भावी हानियों को श्रेणीबद्ध रूप से अधिग्रहित करेंगे एवं हानियों का वित्तपोषण नीचे दी गई **तालिका 2.5** के अनुसार करेंगे:

तालिका 2.5: डिस्कॉम्स की भावी हानियों को अधिग्रहित किए जाने हेतु प्रक्षेपवक्र

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्थान सरकार द्वारा डिस्कॉम की गत वर्ष की अधिग्रहित की जाने वाली हानियां	2016-17 की हानि का 5 प्रतिशत	2017-18 की हानि का 10 प्रतिशत	2018-19 की हानि का 25 प्रतिशत	2019-20 की हानि का 50 प्रतिशत

स्रोत: उदय की अधिसूचना।

प्रत्येक वर्ष के लिए गणना हेतु वर्तमान वर्ष की अनुमानित हानियों के स्थान पर गत वर्ष की वास्तविक हानियों का उपयोग किया जाना था।

साथ ही, उदय योजना के वाक्यांश 8.3 में यह प्रावधान था कि 1 अक्टूबर 2015 के पश्चात की वर्तमान हानियों का वित्तपोषण मात्र विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ अंतिम रूप दिए गए हानि प्रक्षेपवक्र की सीमा तक ही किया जाएगा एवं ऐसा वित्तपोषण सरकार द्वारा निर्गमित बॉण्ड अथवा डिस्कॉम्स द्वारा निर्गमित राज्य गारंटीकृत बॉण्ड के माध्यम से किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने 2016-17 के दौरान ₹ 1,981.13 करोड़ की हानि (कर पश्चात) वहन की जबकि अनुवर्ती वित्तीय वर्षों, अर्थात 2017-18 से 2019-20, में डिस्कॉम्स ने उदय के अधीन राजस्थान सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान के कारण लाभ दर्शाया था। तदनुसार डिस्कॉम्स ने राजस्थान सरकार से एमओयू के अनुसार 2016-17 की हानियों का पांच प्रतिशत, अर्थात ₹ 99.06 करोड़, सहायता/अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का अनुरोध किया (सितम्बर 2017)। यद्यपि, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स के दावे को इस तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं किया (मार्च 2018) कि इसने 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 8,185 करोड़ की अनुमानित हानियों को सम्मिलित करते हुए ₹ 12,215 करोड़ की राज्य प्रतिभूति की अनुमति पूर्व में ही दे दी थी। राजस्थान सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य प्रतिभूति राज्य सरकार की एक आकस्मिक देयता है, एवं इसलिए वह एक हानि के लिए दो दायित्वों को नहीं ले सकती है। राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार बाजार से धन उधार लिए जाने की भी सलाह दी।

तत्पश्चात, डिस्कॉम्स ने यह कहते हुए कि उदय के मूल उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, वाक्यांश 8.1 के अधीन हानि के पेटे वित्तपोषण एवं वाक्यांश 8.3 के अधीन बॉण्ड निर्गमन हेतु राज्य

सरकार की गारंटी प्रदान करना, राज्य सरकार के भाग पर दो भिन्न दायित्व थे, इस प्रकरण को बार-बार (जनवरी 2019 एवं जनवरी 2021 के मध्य) राजस्थान सरकार के समक्ष उठाया।

उदय की निगरानी समिति द्वारा संदर्भित किए जाने पर, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (30 अप्रैल 2018) कि दो उपलब्ध विकल्पों, अर्थात डिस्कॉम्स की हानियों के लिए बॉण्ड जारी करना अथवा डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाने वाले बॉण्ड के लिए राज्य गारंटी प्रदान करना, में से राज्य सरकार ने उत्तरवर्ती विकल्प को चुना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार बार किए गये प्रयासों के उपरांत भी, भारतीय रिजर्व बैंक बैकस्टॉप[8] की अनुपलब्धता, उच्च शुल्क के साथ उच्च कूपन दरों के उद्धरण प्राप्त होना, अल्प राशि के अभिदान प्राप्त होना, रेटिंग एजेंसियों द्वारा न्यून रेटिंग प्रदान करना इत्यादि के कारण डिस्कॉम्स राज्य गारंटी के समक्ष बॉण्ड जारी नहीं कर सके। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बॉण्ड जारी किए जाने में डिस्कॉम्स की विफलता के उपरांत भी, राजस्थान सरकार ने एमओयू में प्रतिबद्ध कोष की व्यवस्था नहीं की थी।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स अपनी वित्तीय अक्षमता एवं खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण न तो राज्य/डिस्कॉम्स द्वारा जारी बॉण्ड के माध्यम से वर्तमान अवधि के लिए अनुमानित हानि (₹ 8,185 करोड़) को वित्तपोषित कर सके न ही वह वर्ष 2017-18 के लिए हानि के पांच प्रतिशत की सब्सिडी का दावा स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को मना सके।

निकासी सभा के दौरान, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया कि सरकार ने डिस्कॉम्स की हानियों का अधिग्रहण नहीं किया क्योंकि इस पर वित्त विभाग, राजस्थान सरकार सहमत नहीं था।

सरकार/डिस्कॉम्स ने निर्धारित समयसीमा के भीतर ऋणों का अधिग्रहण किए जाने, अधिग्रहण में ऋणों की प्राथमिकता बनाए रखने, बॉण्ड निर्गमित करने तथा वर्तमान एवं भावी हानियों का वित्तपोषण करने के संबंध में उदय/एमओयू के प्रावधानों का पालन नहीं किया था।

अनुशंसा 1: सरकार एवं डिस्कॉम्स आगामी योजनाओं में प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित कर सकती है।

8 डिस्कॉम्स ने, राजस्थान सरकार के माध्यम से, बॉण्ड जारी करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक बैकस्टॉप की मांग की (सितंबर 2017)। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, मात्र राज्य सरकार का नकदी प्रबंधक होने के नाते, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं (डिस्कॉम्स) को कोई भी प्रत्यक्ष डेबिट तंत्र प्रदान किए जाने में असमर्थता व्यक्त की। अन्य उपलब्ध विकल्पों, (i) राजस्थान सरकार के ऑफ-बजट दायित्वों के समक्ष अप्रत्यक्ष आरबीआई प्रतिभूति प्राप्त करने हेतु डिस्कॉम्स द्वारा राजस्थान सरकार के साथ एस्क्रो खाते का सृजन एवं (ii) आरबीआई के साथ गारंटी शोधन कोष का उपयोग, पर राजस्थान सरकार सहमत नहीं थी।

वित्तीय कायाकल्प को प्रभावित करने वाले कारक

2.6 डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प को प्रभावित करने वाले कारक कमजोर कार्यशील पूंजी प्रबंधन, विद्युत क्रय अतिदेय एवं विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) की भारी देनदारियां, टैरिफ सब्सिडी प्राप्त न होना, उदय ऋणों का ब्याज भार, प्राप्यों के शोधन हेतु समझौते का पालन न करना, सरकारी विभागों की बकाया देयताएं, एआरआर/टैरिफ याचिका दायर किए जाने में विलंब, डिस्कॉम्स की विनियामक परिसंपत्तियां, अतिरिक्त ब्याज का अनियमित भुगतान एवं डिस्कॉम की उच्च वित्त लागत थे, जैसा कि आगामी **अनुच्छेदों 2.6.1** से **2.6.10** में चर्चा की गई है।

कार्यशील पूंजी प्रबंधन

2.6.1 उदय योजना के वाक्यांश 8.4 में प्रावधान था कि बैंक/वित्तीय संस्थान डिस्कॉम्स को कार्यशील पूंजी के लिए डिस्कॉम के गत वर्ष के वार्षिक राजस्व के मात्र 25 प्रतिशत तक या विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार ही उधार देंगे।

साथ ही, आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2014 एवं 2019 के प्रावधानों में डिस्कॉम्स की कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) की आवश्यकताओं एवं उस पर ब्याज के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली प्रदान की गई थी।

डिस्कॉम्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जयपुर डिस्कॉम के प्रकरण में 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में, 2016-17 को छोड़कर, कार्यशील पूंजी हेतु ऋण की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से अधिक था। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के प्रकरण में, इसने वर्ष 2015-16 के दौरान 25 प्रतिशत की सीमा को पार किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने लंबित विद्युत क्रय दायित्वों के भुगतान के लिए 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान ऋण लिया था। तथापि, डिस्कॉम्स द्वारा कार्यशील पूंजी की गणना करते समय इन उधारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा का यह मत है कि चूंकि इन ऋणों को डिस्कॉम्स के सामान्य व्यवसाय संचालन हेतु लिया गया था न कि पूंजी निर्माण के लिए, अतः इन्हें कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। इन ऋणों को सम्मिलित किए जाने के पश्चात, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के प्रकरण में, कार्यशील पूंजी हेतु ऋणों की प्रतिशतता 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी 25 प्रतिशत से अधिक हो गई थी।

इस प्रकार, कार्यशील पूंजी हेतु ऋणों की प्रतिशतता 2015-21 के दौरान जयपुर डिस्कॉम में सभी वर्षों में, 2016-17 को छोड़कर, 25 प्रतिशत से अधिक रही थी। अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के प्रकरण में, निर्धारित सीमा 2015-16, 2019-20 और 2020-21 के दौरान, जैसा कि **अनुबंध 3** में दर्शाया गया है, पार हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स विद्युत क्रय देयताओं के भुगतान के संबंध में विनियमों में निर्धारित 45 दिनों की अधिकतम कार्यशील पूंजी चक्र की अवधि सुनिश्चित नहीं कर सके, जैसा

कि **अनुच्छेद 2.6.4** में चर्चा की गई है, जिससे कार्यशील पूंजी का समग्र प्रबंधन प्रभावित हुआ एवं परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक उधारियां हुई तथा ब्याज एवं वित्त लागत में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी ने भी डिस्कॉम्स के कार्यशील पूंजी चक्र को प्रभावित किया क्योंकि लॉक-डाउन अवधि के दौरान राजस्व में गिरावट आई थी।

इस प्रकार, सभी तीनों डिस्कॉम्स ने उदय के अधीन निर्धारित कार्यशील पूंजी की अनुमत सीमाओं का उल्लंघन किया, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथा समग्र ऋणों एवं ऋण लागत को नियंत्रण में रखने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋणों को सीमित करने का उदय का उद्देश्य विफल हो गया।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि हानि के वित्तपोषण हेतु ऋणों को उदय के वाक्यांश संख्या 8.3, जो विगत वर्षों की हानियों के वित्तपोषण की अनुमति देता है, के अनुसार लिया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वाक्यांश 8.3 वर्तमान हानियों को राज्य द्वारा जारी बॉण्ड अथवा डिस्कॉम्स द्वारा राज्य गारंटीकृत बॉण्ड जारी किए जाने के माध्यम से वित्तपोषण हेतु प्रावधान करता है।

अनुशंसा 2: डिस्कॉम्स सुनिश्चित कर सकते हैं कि कार्यशील पूंजी हेतु ऋण अनुमत सीमा में ही रहे।

एकीकृत राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ याचिका दायर करना

2.6.2 आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम 2014 एवं 2019 में आगामी वर्ष/बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) आवेदन एवं गत वर्ष के ट्रू-अप हेतु प्रत्येक वर्ष के 30 नवंबर तक एआरआर एवं टैरिफ याचिका दायर करने का प्रावधान है। समय पर एआरआर/ टैरिफ याचिका दायर करना डिस्कॉम्स के वित्तीय स्वास्थ्य हेतु, न केवल संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए अपितु बढ़े हुए स्वीकार्य व्ययों की वसूली करने एवं टैरिफ में वृद्धि हेतु संशोधन के प्रकरण में एसीएस व एआरआर के मध्य अंतर को कम करने के लिए भी, महत्वपूर्ण था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम्स ने 2015-16 से 2020-21 (2018-19 को छोड़कर) हेतु एआरआर एवं टैरिफ याचिकाएं 61 दिवस एवं 427 दिवस के मध्य विलंब से प्रस्तुत कीं। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए अनुमोदित टैरिफ, जिसे संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से लागू किया जाना था, 61 दिवस से 602 दिवस के विलंब से लागू किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया कि डिस्कॉम्स ने वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2020-21 के दौरान टैरिफ में संशोधन प्रस्तावित नहीं किए थे। 2015-16 से 2020-21 के दौरान दायर छः याचिकाओं में से उन्होने केवल दो याचिकाओं (2015-16 तथा 2019-20) में टैरिफ

में वृद्धि हेतु संशोधन का दावा किया था। यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 के लिए एआरआर/ टैरिफ याचिका दायर करने में विलंब (नवंबर 2014 के स्थान पर जुलाई 2015 में दायर किया) के कारण, संशोधित टैरिफ 2015-16 के दौरान लागू नहीं किया जा सका (सितंबर 2016 से प्रभावी हुआ) एवं उक्त प्रभाव/अंतर को विनियामक परिसंपत्तियों में हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही, वर्ष 2019-20 के लिए एआरआर/टैरिफ याचिका दायर करने में विलंब (नवंबर 2018 के स्थान पर अगस्त 2019 में दायर किया) के कारण, डिस्कॉम्स को टैरिफ के निर्धारण में विलंब अवधि (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020) के दौरान ₹ 4026 करोड़[9] के राजस्व का परित्याग करना पड़ा था। इसकी परिणिति विद्युत क्रय देयताओं के संचय में हुई एवं उक्त अंतर की पूर्ति कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हेतु ऋणों के माध्यम से हुई।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि 2014-15 के लिए एआरआर एवं टैरिफ आदेश के जारी होने में विलंब के कारण, वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की भविष्य की टैरिफ याचिकाओं को दायर करने में विलंब हुआ था। साथ ही, 2019-20 हेतु नवम्बर 2018 में दायर एआरआर एवं टैरिफ याचिका को 2019-24 के लिए एमवाईटी विनियमों के विलंब से जारी (10 मई 2019) होने के कारणवश वापस लेना पड़ा, जिसका भविष्य में दायर की जाने वाली याचिकाओं एवं टैरिफ आदेशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।

अनुशंसा 3: सरकार डिस्कॉम्स को समय पर एआरआर एवं टैरिफ याचिकाएं दायर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

डिस्कॉम्स की विनियामक परिसंपत्तियां

2.6.3 विनियामक परिसंपत्ति पूर्व में किया गया व्यय/हानियां है जिन्हें आस्थगित कर दिया गया है एवं भविष्य में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा टैरिफ संशोधन के माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूल किया जा सकता है। वहनीय लागत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा विनियामक परिसंपत्तियों के शेष पर अनुमत्य किया गया ब्याज है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 (वाक्यांश 8.2.2) में प्रावधित था कि विनियामक आयोगों द्वारा विनियामक परिसंपत्ति के सृजन की अनुमति प्राकृतिक आपदा के प्रकरण अथवा अप्रत्याशित घटना की स्थिति में एक दुर्लभ अपवाद के रूप में ही दी जानी चाहिए। साथ ही, वहनीय लागत के साथ बकाया विनियामक परिसंपत्तियों की वसूली समयबद्ध एवं सात वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर होनी चाहिए।

नीति आयोग ने अपने प्रतिवेदन[10] (अगस्त 2021) में कहा कि विनियामक परिसंपत्तियों का बढ़ना डिस्कॉम्स के लिए नकदी प्रवाह की समस्याएं उत्पन्न करता है एवं उन्हें राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए निधियां उधार लेने हेतु विवश करता है। ब्याज के साथ अतिरिक्त उधारियां

9 आरईआरसी द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु उसके अनुमोदित टैरिफ आदेश, जो फरवरी 2020 से प्रभावी हुआ, में की गई गणना।

10 विद्युत वितरण क्षेत्र का कायाकल्प (सुधारों से शिक्षा एवं सर्वोत्तम प्रथाएं)।

डिस्कॉम्स का भार बढ़ाती हैं। इसने यह अनुशंसा भी की कि कोई नवीन विनियामक परिसंपत्तियां सृजित नहीं की जानी चाहिए, एवं विद्यमान विनियामक परिसंपत्तियों को उचित टैरिफ परिवर्तनों के माध्यम से आगामी 3-5 वर्षों के दौरान एक नियत समयसीमा में समाप्त किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईआरसी ने 2009-10 से निरंतर डिस्कॉम्स को विनियामक परिसंपतियों का सृजन करने की अनुमति प्रदान की थी। अतः डिस्कॉम्स की विनियामक परिसंपतियों में सारभूत वृद्धि, यथा 2009-10 में ₹ 6,965 करोड़ से 2019-20 में ₹ 46,670 करोड़, हुई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आरईआरसी ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के ट्रू-अप आदेशो में अनिधिक अंतर के पेटे क्रमशः ₹ 4,427 करोड़ एवं ₹ 4,625 करोड़ के ब्याज की अनुमति प्रदान की थी। इसी प्रकार, आरईआरसी ने वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के टैरिफ आदेशों में भी क्रमशः ₹ 4,902 करोड़ एवं ₹ 4,886 करोड़ के ब्याज की भी अनुमति प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विशाल विनियामक परिसंपत्तियों ने एक तरफ तो डिस्कॉम्स के लिए नकदी प्रवाह की समस्याएं उत्पन्न कर उन्हें निधियां उधार लेने के लिए विवश किया एवं दूसरी तरफ आरईआरसी द्वारा अनुमत ब्याज उपभोक्ताओं पर टैरिफ का भार डाल सकता है।

डिस्कॉम्स ने स्वीकार किया कि पूर्व में अनियमित टैरिफ वृद्धि एवं विभिन्न परंपरागत प्रकरणों के कारण विनियामक परिसंपत्तियों में वृद्धि एवं उधारियों का उच्च स्तर रहा। साथ ही, 2015-16 के पश्चात टैरिफ में संशोधन फरवरी 2020 में हुआ था एवं इसलिए, डिस्कॉम्स को व्यय की पूर्ति हेतु उधारियों पर निर्भर रहना पड़ा। डिस्कॉम्स ने आगे कहा कि आरईआरसी ने राजस्व एवं व्यय में अंतर को भरने के लिए विनियामक परिसंपत्तियों के सृजन की अनुमति दी थी। भविष्य की अवधि के लिए, डिस्कॉम्स आरडीएसएस एवं एफआरबीएम[11] अधिनियम के अधीन विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन नहीं करने के योग्यता मापदंडों से बंधे हैं। सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त उत्तर का समर्थन किया।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एआरआर एवं टैरिफ याचिकाएं दायर करते समय, डिस्कॉम्स ने 2016-21 के दौरान (2019-20 को छोड़कर) टैरिफ में संशोधन हेतु आरईआरसी के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रखा था।

विद्युत क्रय अतिदेय की भारी देनदारियां एवं विलंब भुगतान अधिभार

2.6.4 सीईआरसी (टैरिफ के नियम व शर्तें) विनियम 2014[12] के वाक्यांश 45 में वितरण अनुज्ञाधारी द्वारा प्रभारों हेतु यदि किसी बिल का भुगतान बिल की दिनांक से 60 दिवस (विनियम 2019[13] द्वारा बिल को प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से 45 दिवस तक कम किया गया) की अवधि के पश्चात किए जाने के प्रकरण में 1.50 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंब भुगतान

11 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन।

12 2014-19 की अवधि के लिए प्रभावी।

13 2019-24 की अवधि के लिए प्रभावी।

अधिभार (एलपीएस) का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, आरईआरसी ने डिस्कॉम्स को आरआरवीयूएनएल के पेटे उनकी संपूर्ण बकाया देयताओं को छः माह की अवधि के भीतर परिशोधन किए जाने का निर्देश दिया (सितंबर 2019)।

मार्च 2015 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान 45/60 दिवस से अधिक के विद्युत क्रय अतिदेय की डिस्कॉम-वार स्थिति को नीचे **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: कुल विद्युत क्रय अतिदेय की डिस्कॉम-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	मार्च-15	मार्च-16	मार्च-17	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21
जयपुर	148.55	2421.13	3915.43	3682.22	6194.27	7209.42	8370.44
अजमेर	636.85	1531.27	2935.01	2297.10	3859.34	4644.16	5436.21
जोधपुर	658.51	1523.91	2838.00	2760.54	6738.40	8777.43	9703.19
योग	**1443.91**	**5476.31**	**9688.44**	**8739.86**	**16792.01**	**20631.01**	**23509.84**

स्रोत: सभी विद्युत उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए आरयूवीएनएल से प्राप्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के अधिग्रहण के उपरांत भी, उदय के कार्यान्वयन के दौरान डिस्कॉम्स के विद्युत क्रय अतिदेय में सारभूत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, एलपीएस का भार भी अत्यधिक, यथा 2015-21 के दौरान ₹ 3.44 करोड़ से ₹ 3,420.07 करोड़, बढ़ गया, जिसके कारण कार्यशील पूंजी की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई। वर्ष 2020-21 के लिए उपलब्ध विद्युत क्रय के बिलिंग आंकड़ों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि डिस्कॉम्स[14] ने विद्युत क्रय बिलों का भुगतान 45 दिवस की निर्धारित अवधि के पश्चात 820 दिवस तक के विलंब से जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी के निर्देशों का पालन नहीं किया था, क्योंकि मार्च 2020 तक आरआरवीयूएनएल की देयताओं के पेटे ₹ 15,309.60 करोड़ (अतिदेय राशि: ₹ 13,873.95 करोड़) का भुगतान लंबित था। मार्च 2021 तक आरआरवीयूएनएल की देयताएं और बढ़कर ₹ 18,220.43 करोड़ (अतिदेय राशि: ₹ 16,936.88 करोड़) हो गई थी। साथ ही, भारत सरकार की तरलता निवेश योजना के अंतर्गत लिए गए (सितंबर 2020 एवं मार्च 2022 के मध्य) ₹ 11,564.62 करोड़ के संपूर्ण ऋण का उपयोग केंद्रीय पीएसयू, वैयक्तिक विद्युत उत्पादकों एवं निजी आपूर्तिकर्ताओं की विद्युत क्रय देयताओं के परिशोधन के लिए किया गया था। तथापि, अत्यधिक बकाया देयताओं के उपरांत भी आरआरवीयूएनएल को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

14 जयपुर डिस्कॉम (648 दिवस तक), अजमेर डिस्कॉम (820 दिवस तक) एवं जोधपुर डिस्कॉम (820 दिवस तक)

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि डिस्कॉम्स विद्युत उत्पादकों की बकाया देयताओं का भुगतान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

तथ्य यह रहा कि डिस्कॉम्स ने इन बकाया देयताओं का एक आवधिक तरीके से परिशोधन किए जाने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार नहीं की थी।

अनुशंसा 4: डिस्कॉम्स विद्युत उत्पादकों की देयताओं का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

टैरिफ सब्सिडी प्राप्त नहीं होना

2.6.5 राजस्थान सरकार विभिन्न श्रेणियों[15] में विद्युत टैरिफ में सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे अग्रिम रूप से जारी किया जाना आवश्यक है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व (आरएसईडीएमआर) अधिनियम 2016 में प्रावधित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार से विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु प्राप्य टैरिफ सब्सिडी तीव्र गति से बढ़कर 2015-16 के प्रारंभ में ₹ 15.83 करोड़ से 2020-21 के अंत में ₹ 17,458.79 करोड़ हो गई थी, जो लगभग 1,103 गुना की वृद्धि को इंगित करती है, जैसा कि **अनुबंध-4** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टैरिफ सब्सिडी, मुख्यतः डिस्कॉम्स के ऋण दायित्व के अधिग्रहण के पश्चात राज्य वित्त पर अतिरिक्त वित्तीय भार, दोषपूर्ण मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में टैरिफ सब्सिडी की गणना पर विवाद, ईंधन अधिभार के पेटे सब्सिडी के अनुमोदन (दिसंबर 2020) में विलंब इत्यादि के कारण लंबित रही थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स द्वारा मिलान किये गये आंकड़े (मार्च 2021 तक) प्रस्तुत किए जाने (अक्टूबर 2021) के उपरांत भी बकाया टैरिफ सब्सिडी का परिशोधन लंबित था।

दोषपूर्ण मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं के टैरिफ सब्सिडी का प्रकरण, जो कि डिस्कॉम्स एवं राजस्थान सरकार के मध्य विवाद का एक बिंदु था, तथा सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के कारण अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी के भार पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है:

ए. कृषि उपभोक्ता के दोषपूर्ण मीटरों पर टैरिफ सब्सिडी

सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, डिस्कॉम्स कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति करते हैं, जिसके लिए सरकार टैरिफ सब्सिडी प्रदान करती है। डिस्कॉम्स कृषि उपभोक्ताओं के बंद/दोषपूर्ण मीटरों पर टैरिफ सब्सिडी स्थिर दर वाले कृषि उपभोक्ताओं के अनुसार किए जाने की मांग कर रहे थे। इस प्रस्ताव पर राजस्थान सरकार ने इस आधार पर सहमति (दिसंबर 2017)

15 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), घरेलू उपभोक्ता, लघु घरेलू उपभोक्ता एवं कृषि उपभोक्ता।

व्यक्त नहीं की कि आपूर्ति के नियम एवं शर्तें (टीसीओएस) में स्थिर दर टैरिफ की प्रयोजनीयता हेतु कोई नियम या व्यवस्था प्रदान नहीं की गयी है एवं यह तथ्य कि टैरिफ सब्सिडी की गणना हेतु डिस्कॉम्स द्वारा अनुमानित लगभग 40 प्रतिशत दोषपूर्ण मीटर डिस्कॉम्स की अक्षमता को दर्शाते हैं। इसलिए डिस्कॉम्स के कारण हानियों को राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के दोषपूर्ण मीटरों से संबंधित टैरिफ सब्सिडी को स्थिर दर पर कनेक्शन के रूप में मानकर जारी किए जाने के डिस्कॉम्स के प्रस्ताव को पुनः अनेक बार (फरवरी 2019, मार्च 2019 और अगस्त 2020) अस्वीकृत कर दिया।

तत्पश्चात्, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया (दिसंबर 2020) कि मात्र मीटरीकृत उपभोक्ताओं को कृषि टैरिफ सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा तथा डिस्कॉम्स को प्राथमिकता के आधार पर दोषपूर्ण मीटरों को परिवर्तित करने का निर्देश दिया। मार्च 2020 एवं मार्च 2021 के अंत में कृषि कनेक्शन से संबंधित दोषपूर्ण मीटरों का डिस्कॉम-वार विवरण निम्नानुसार था:

वर्ष	जयपुर डिस्कॉम			अजमेर डिस्कॉम			जोधपुर डिस्कॉम		
	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन	दोषपूर्ण मीटर	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन में से दोषपूर्ण मीटर की प्रतिशतता	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन	दोषपूर्ण मीटर	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन में से दोषपूर्ण मीटर की प्रतिशतता	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन	दोषपूर्ण मीटर	कुल मीटरीकृत कृषि कनेक्शन में से दोषपूर्ण मीटर की प्रतिशतता
2020	488587	133567	27.34	476232	139548	29.30	340116	159949	47.03
2021	497380	123657	24.86	482378	114194	23.67	364088	168924	46.40

स्त्रोतः वर्ष 2020 एवं 2021 के लिए एममआईएस

अध्यक्ष, डिस्कॉम्स ने मिलान किए गए आंकड़े प्रस्तुत किए (28 अक्टूबर 2021) एवं राजस्थान सरकार को अवगत कराया कि दोषपूर्ण मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ सब्सिडी की गणना टीसीओएस के अनुसार की गई थी। यह भी सूचित किया कि इस पेटे लंबित ₹ 3,611.01 करोड़ की सब्सिडी का लाभ पूर्व में ही पारित किया जा चुका है, एवं इसलिए, राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए सहमत नहीं होने की दशा में, बिलों में राशि डेबिट करने की अनुमति मांगी। वित्त विभाग का अंतिम विचार लंबित था (दिसंबर 2022)।

बी. राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों (ब्लॉक आपूर्ति-ग्रामीण) के सामान्य श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना घोषित की (अक्टूबर 2018) एवं नवंबर 2018 से प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम ₹ 10,000 प्रतिवर्ष तक ₹ 833 प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम राशि ₹ 4,167 निश्चित की गई थी। डीबीटी योजना अक्टूबर 2019 तक प्रभावी थी। राज्य सरकार ने एक नई योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, प्रारंभ की (जुलाई 2021), जिसके अंतर्गत प्रति उपभोक्ता अधिकतम सब्सिडी राशि को बढ़ाकर ₹ 12,000 प्रतिवर्ष कर दिया था। राज्य सरकार की उपर्युक्त दो फ्लैगशिप योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण डिस्कॉम पर टैरिफ सब्सिडी का अतिरिक्त भार निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण				
वर्ष	**जयपुर डिस्कॉम**	**अजमेर डिस्कॉम**	**जोधपुर डिस्कॉम**	**योग**
2018-19	122.57	93.75	48.28	264.6
2019-20	174.34	132.61	108.70	415.65
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना				
2021-22 (जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021)	172.94	90.90	60.25	324.09
योग	**469.85**	**317.26**	**217.23**	**1004.34**

स्रोतः डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त सुचना के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं ने राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में विलंब के कारण डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अतिरिक्त राज्य-वित्त पर ₹ 1,004.34 करोड़ का अतिरिक्त भार डाला, जैसा कि उपरोक्त **अनुच्छेद 2.6.5** में चर्चा की गई है।

इस प्रकार, टैरिफ सब्सिडी को अग्रिम रूप से प्रदान करने में राजस्थान सरकार की विफलता, टैरिफ सब्सिडी की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित नहीं किए जाने एवं सब्सिडी जारी किए बिना फ्लैगशिप योजनाएं प्रारंभ किए जाने से डिस्कॉम्स ऋण-जाल जैसी स्थिति में फंस गए, जो कुछ सीमा तक उदय योजना से पूर्व में उनकी स्थिति के समान ही थी।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि इसने आस्थगित टैरिफ सब्सिडी के समक्ष अनुदान/ सब्सिडी के रूप में विद्युत शुल्क को रखने की अनुमति दी थी। इसने आगे कहा कि प्रमुख योजनाओं के लिए डिस्कॉम्स को टैरिफ सब्सिडी नियमित रूप से भुगतान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, इसने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत सब्सिडी अतिदेय के परिशोधन हेतु एक कार्ययोजना भी तैयार की थी।

तथ्य यह रहा कि सब्सिडी की सारभूत राशि अब तक बकाया थी जिसने उदय योजना के अधीन डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया।

अनुशंसा 5: सरकार डिस्कॉम्स को टैरिफ सब्सिडी समयबद्ध तरीके से जारी किया जाना सुनिश्चित कर सकती है।

उदय के ऋणों का ब्याज भार

2.6.6 उदय में डिस्कॉम्स को 2015-16 एवं 2016-17 में अधिकतम 75 प्रतिशत अनुदान हस्तांतरित किया जाना निर्धारित किया था। साथ ही, संपूर्ण अनुदान के ब्याज भार से तत्काल बचाव के लिए, शेष हस्तांतरण डिस्कॉम्स को राज्य ऋण के माध्यम से करते हुए अनुदान का हस्तांतरण तीन वर्ष में किया जा सकता था, जिसे और दो वर्ष तक बढाया गया था। उदय के

अंतर्गत निष्पादित एमओयू के साथ संलग्न वित्तीय अनुमानों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि अधिग्रहण किए गये ऋण हेतु डिस्कॉम्स पर कोई ब्याज भार नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उदय के अधीन अधिग्रहण किए गये ₹ 62,421.96 करोड़ के ऋण में से, राजस्थान सरकार ने उदय के ऋण के रूप में ₹ 44,721.96 करोड़ (71.64 प्रतिशत) पुनः हस्तांतरित कर दिए। तत्पश्चात, यह ऋण मार्च 2018 एवं मार्च 2020 के मध्य समता पूंजी एवं अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार ने टैरिफ सब्सिडी के माध्यम से उदय ऋणों पर ब्याज को समायोजित करना प्रारंभ कर दिया था (फरवरी 2018) एवं तदनुसार, 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु ₹10,860.20 करोड़ की राशि को समायोजित किया था। साथ ही, डिस्कॉम्स के उदय के अधीन ऋण के ब्याज की वसूली को वापस लेने एवं स्वीकार्य टैरिफ सब्सिडी जारी करने के अनुरोध को राजस्थान सरकार ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि डिस्कॉम्स का वर्ष 2016-17 में कायाकल्प हो गया था एवं वे परिचालन लाभ की स्थिति में थे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि उदय ऋणों पर ब्याज वसूलने से डिस्कॉम्स पर भार पड़ा था, जो उदय योजना एवं एमओयू की भावना के अनुरूप नहीं था। यह डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प होने में एक बाधा सिद्ध हुआ।

सरकार का उत्तर डिस्कॉम से उदय ऋण पर ब्याज वसूली के मुद्दे पर मौन था।

प्राप्य राशि के परिशोधन के समझौते का पालन न करना

2.6.7 राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स के साथ 2008-09 तक उनकी हानियों (₹ 16,448 करोड़) का परिशोधन करने हेतु एक समझौता निष्पादित किया था (26 अक्टूबर 2009)। तत्पश्चात, राज्य मंत्रिमंडल ने डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्ययोजना अनुमोदित की (19 अक्टूबर 2011) जिसके अनुसार राजस्थान सरकार को 2021-22 तक ₹ 9,245 करोड़ की प्रतिपूर्ति करनी थी, जबकि शेष राशि अनिधिक रहनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2016 तक ₹ 3,448 करोड़ की प्रतिपूर्ति के पश्चात, राजस्थान सरकार ने शेष प्राप्य राशि ₹ 5,797 करोड़ के समक्ष कोई सब्सिडी जारी करने से मना कर दिया था। इसलिए, डिस्कॉम को प्रतिपूर्ति नहीं की गई राशि को 2016-17 के दौरान अपने लेखों से अपलिखित करना पड़ा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय के अंतर्गत जारी सब्सिडी के आधार पर, राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्य राशि की प्रतिपूर्ति करने से मना करना उचित नहीं था, क्योंकि उक्त ₹ 5,797 करोड़ की सब्सिडी से वर्ष 2008-09 तक की संचित हानियों को वित्त पोषित किया जाना था जबकि उदय के अंतर्गत सब्सिडी 30 सितंबर 2015 तक के बकाया ऋणों के परिशोधन के विरुद्ध दी गई थी। इस प्रकार, ₹ 5,797 करोड़ की संचित हानि को, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के पश्चात भी परिशोधित नहीं किया जा सका एवं इसे डिस्कॉम्स द्वारा अपने लेखों से हटाना पड़ा।

तथापि, इस संबंध में सरकार का उत्तर मौन था।

इस प्रकार, सरकार ने एमओयू के साथ के संलग्न उदय के ऋणों पर ब्याज नही लेने के वित्तीय अनुमानों एवं प्राप्य राशि के परिशोधन के लिए निष्पादित किए गए समझौते के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया।

अनुशंसा 6: सरकार डिस्कॉम्स के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं का पालन सुनिश्चित कर सकती है।

सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया देयता राशि

2.6.8 एमओयू के वाक्यांश 1.2 (जे) में प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए समस्त बकाया राशि का डिस्कॉम्स को भुगतान 30 मार्च 2016 तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरएसईडीएमआर[16] अधिनियम 2016 की धारा 4(एफ) में प्रावधान था कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति का 15 जून 2016 से कोई बकाया नहीं होगा। ऐसा करने में विफल होने पर, इस तरह के बकाया को बजटीय अनुदान के साथ समायोजित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार/भारत सरकार के विभागों/संस्थानों के विरुद्ध बकाया विद्युत देयता लगातार बढ़ी (2017-18 में नगण्य कमी के अतिरिक्त) एवं मार्च 2021 तक बढ़कर ₹ 1831.76 करोड़ हो गई, जैसा कि **अनुबंध -5** में दिया गया है। सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया विद्युत देयता का आयु-वार विवरण नीचे **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.7: 31 मार्च 2021 तक सरकारी विभागों के विरुद्ध बकाया विद्युत देयता का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम्स	बकाया विद्युत देयता की अवधि						
	<=90 दिन	90-180 दिन	180 दिन से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	>3 वर्ष	योग
जयपुर	252.97	263.79	293.20	50.55	47.92	15.10	923.53
अजमेर	87.41	72.28	44.57	41.81	15.35	5.06	266.48
जोधपुर	241.07	75.28	90.85	21.14	51.34	162.10	641.78
योग	**581.42**	**411.35**	**428.62**	**113.50**	**114.61**	**182.26**	**1831.76**

स्रोत: डिस्कॉम के वित्तीय विवरण।

इसके अतिरिक्त, इन बकाया देयता राशियों का, आरएसईडीएमआर अधिनियम 2016 में प्रावधान होने, राजस्थान सरकार के पास बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता होने, एमओयू के

16 राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व अधिनियम।

वाक्यांशों के माध्यम से नीतिगत हस्तक्षेप उपलब्ध होने तथा डिस्कॉम के साथ-साथ राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों की भागीदारी होने के पश्चात भी, परिशोधन नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने आपूर्ति के नियम एवं शर्तों (टीसीओएस) के प्रावधानानुसार बकाया का भुगतान न करने पर भी चूककर्ता विभागों/संस्थानों की विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, इन बकाया देयता राशियों का डिस्कॉम्स की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं पर भी भारी प्रभाव पड़ा, जिससे विद्युत क्रय के लिए ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ा था।

डिस्कॉम्स ने कहा कि 2021-22 दौरान सरकारी बकाया देयता कम हो गई थी एवं पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार इन बकायों को 2024-25 तक समाप्त करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा 7: सरकार अपने विभागों को उनकी बकाया विद्युत देयता का भुगतान करने एवं भविष्य के विद्युत बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

अतिरिक्त ब्याज का अनियमित भुगतान

2.6.9 उदय योजना के वाक्यांश 7.1 (ई) में प्रावधान किया गया था कि बैंक/वित्तीय संस्थान डिस्कॉम्स के ऋणों पर किसी भी अदत्त अतिदेय ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज को माफ कर देंगे एवं 1 अक्टूबर 2013 से भुगतान किए गए ऐसे किसी भी अतिदेय/दंडात्मक ब्याज का लौटाएंगे/ समायोजित करेंगे। विद्युत मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया (मार्च 2016) कि डिस्कॉम्स 1 अक्टूबर 2013 के पश्चात, सभी बकाया भुगतानों के लिए भुगतान की नियत दिनांक से भुगतान की वास्तविक दिनांक तक बकाया मूलधन पर मात्र साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

लेखापरीक्षा में पाया कि डिस्कॉम्स ने बैंकों को 1 अक्टूबर 2013 से मात्र सितंबर 2015 (निर्दिष्ट दिनांक) तक, भुगतान की वास्तविक दिनांक के स्थान पर, भुगतान किए गए अतिदेय/ दंडात्मक ब्याज का भुगतान/ समायोजन करने के लिए सूचित (नवंबर-दिसंबर 2015 एवं फरवरी 2016) किया था। तत्पश्चात, बैंकों ने बकाया मूल राशि के स्थान पर बकाया राशि (1 अक्टूबर 2015 से वास्तविक भुगतान की दिनांक तक की अवधि के लिए अतिदेय ब्याज राशि सहित) पर ब्याज भारित करना प्रारंभ कर दिया, जो कि उदय के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इसके उपरांत भी, डिस्कॉम्स ने बैंकों के साथ इस प्रकरण को नहीं उठाया एवं बैंकों की मांग के अनुसार ब्याज का भुगतान करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा में देखा कि बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान एवं दंडात्मक ब्याज की वापसी/ समायोजन की निर्दिष्ट दिनांक का उल्लेख करना, उदय के प्रावधानों एवं विद्युत मंत्रालय के

अनुवर्ती स्पष्टीकरण का उल्लंघन था। 1 अक्टूबर 2015 से ऋण खातों को बंद करने की दिनांक तक तीन बैंकों[17] (25 बैंकों में से) के 73 ऋण खातों की जांच से पता चला कि इन बैंकों ने डिस्कॉम्स से ₹ 31.63 करोड़[18] का अतिरिक्त ब्याज/दंडात्मक ब्याज वसूला। सभी बैंकों को सम्मिलित करने पर अतिरिक्त ब्याज का वास्तविक आंकड़ा बहुत बड़ा होगा।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने उदय योजना एवं विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए बैंकों को अनियमित ब्याज/दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया।

डिस्कॉम्स ने (अक्टूबर 2022) कहा कि चूंकि ऋण की पात्रता राशि को निर्दिष्ट दिनांक 30 सितंबर 2015 तक अधिग्रहित किया गया था, इसलिए बैंकों को भी मात्र उक्त दिनांक तक का ही दंडात्मक ब्याज माफ/समायोजित करना वांछित था।

उत्तर तथ्यात्मक रूप सही नहीं था, क्योंकि इन ऋणों से संबंधित अदत्त अतिदेय/दंडात्मक ब्याज को उनके अधिग्रहण (मार्च 2017) तक माफ/समायोजित किया जाना था।

डिस्कॉम्स की वित्त-लागत

2.6.10 डिस्कॉम्स की वित्त-लागत में ब्याज व्यय एवं अन्य ऋण लागत सम्मिलित होती हैं। एमओयू में 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए अनुमानित डिस्कॉम की ब्याज एवं वित्त-लागत तथा 2015-16 से 2020-21 के दौरान वास्तविक वहन की गई लगत को **अनुबंध-6** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2016-19 के दौरान, डिस्कॉम्स की वास्तविक ब्याज एवं वित्त-लागत एमओयू के अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक (2015-16 में जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम के अतिरिक्त) रही थी। साथ ही, राजस्थान सरकार के उदय ऋणों पर ब्याज (2015-18 के लिए ₹ 7,237.92 करोड़) के लेखांकन एवं डिस्कॉम्स द्वारा लिए गये अतिरिक्त ऋणों के कारण, 2017-18 के दौरान वित्त-लागत में भारी वृद्धि हुई थी। उदय से पूर्व के स्तर (2015-16) एवं मार्च 2021 तक की स्थिति के मध्य का अंतर मात्र ₹ 640.51 करोड़ था जो कि डिस्कॉम्स की ब्याज एवं वित्त-लागत में कमी के संबंध में, उदय के न्यूनतम प्रभाव को दर्शाता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ब्याज एवं वित्त-लागत में कमी नहीं होने का प्राथमिक कारण मुख्य रूप से बॉण्ड का निर्गमन नहीं करना, नए ऋणों को जुटाना एवं डिस्कॉम्स के लेखों में उच्च लागत वाले ऋणों का जारी रहना था।

---

17 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई), केनरा बैंक एवं सिंडिकेट बैंक।

18 सीबीआई: 35 ऋण खातों में ₹ 20.71 करोड़ (जयपुर डिस्कॉम- ₹ 7.77 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 5.02 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 7.92 करोड़), केनरा बैंक: 18 ऋण खातों में ₹ 10.33 करोड़ (जयपुर डिस्कॉम- ₹ 9.29 करोड़, अजमेर डिस्कॉम- ₹ 0.86 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 0.18 करोड़) एवं सिंडिकेट बैंक: 20 ऋण खातों में ₹ 0.59 करोड़ (जयपुर डिस्कॉम- ₹ 0.31 करोड़ एवं अजमेर डिस्कॉम- ₹ 0.13 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम- ₹ 0.15 करोड़)।

इस प्रकार, ब्याज एवं वित्त-लागत में कमी नहीं होने के साथ-साथ 31 मार्च 2021 तक कुल ऋण के 53.39 प्रतिशत से 58.44 प्रतिशत के मध्य उच्च लागत वाले ऋणों की निरंतरता इंगित करती थी कि उदय के अधीन प्रदान की गई वित्तीय सहायता के उपरांत भी, डिस्कॉम्स को उच्च लागत वाले ऋणों का सहारा लेना पड़ा जिसने उनके वित्तीय स्वास्थ्य को और खराब कर दिया।

सरकार ने तथ्यों (अक्टूबर 2022) को स्वीकार किया एवं कहा कि एलपीएस से बचाव के लिए, विद्युत उत्पादकों के बकाया को चुकाने के लिए नवीन ऋण लिए गए थे क्योंकि बॉण्ड्स निर्गमन करने के लिए बाजार की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी।

अध्याय–III

उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का परिचालन कायाकल्प

अध्याय–III

उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का परिचालन कायाकल्प

सारांश

डिस्कॉम्स के परिचालन कायाकल्प के लिए, उदय ने कुछ परिचालन लक्ष्य यथा फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर का अनिवार्य मीटरीकरण, उपभोक्ताओं हेतु स्मार्ट मीटर संधारण, उपभोक्ताओं का अनुक्रमण एवं हानियों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण तथा ट्रांसफार्मर एवं मीटर का उन्नयन/ परिवर्तन इत्यादि निर्धारित किए गए जोकि डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किये जाने थे। साथ ही, उदय/एमओयू में डिस्कॉम द्वारा कुछ अन्य पहल यथा 11 केवी फीडर की ऊर्जा लेखापरीक्षा करना, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) को कार्यान्वित करना, मांग-पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान चलाना तथा सतर्कता जांच अभियान चलाना इत्यादि का भी उल्लेख किया गया था।

हमने देखा कि डिस्कॉम्स 9,018 फीडर (कुल फीडर का 31 प्रतिशत) पर समर्थित मीटरिंग उपकरणों का संस्थापन सुनिश्चित नहीं कर पाए। साथ ही, डिस्कॉम्स ने इन फीडर को, इन पर संस्थापित वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अंतर्निहित मीटरिंग उपकरणों के आधार पर, त्रुटिपूर्वक मीटरीकृत मान लिया।

साथ ही, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी लक्षित तिथि (जून 2018) तक वितरण-ट्रांसफार्मर पर मीटरीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयास शुरू नहीं किए तथापि वितरण-ट्रांसफार्मर पर मीटरीकरण की प्रगति नगण्य (मार्च 2021 तक 1.48 प्रतिशत) थी। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स वितरण-ट्रांसफार्मरवार घाटे की पहचान करने एवं उच्च-घाटे वाले वितरण-ट्रांसफार्मर को चिन्हित करने की स्थिति में नहीं थे, जिसने समग्र तकनीकि और वाणिज्यिक घाटे को कम करने के प्रयास को विफल कर दिया।

डिस्कॉम्स ने कुल उपखण्डों के मात्र 2.70 प्रतिशत एवं 13.87 प्रतिशत के मध्य ही स्मार्ट मीटर संस्थापित करने की योजना बनायी। साथ ही, मूल कार्यान्वयन की समयसीमा समाप्त होने के उपरांत भी, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटर की आदेशित मात्रा का क्रमशः 81.44 प्रतिशत, 35.98 प्रतिशत एवं 54.93 प्रतिशत ही संस्थापित कर पाए।

डिस्कॉम्स ने उदय के अन्तर्गत परिकल्पित भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा मानचित्रण करते हुए उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन मार्च 2022 तक नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, फीडरवार उपभोक्ता अनुक्रमण को 100 प्रतिशत प्रमाणित/सत्यापित करने एवं डाटा को मासिक आधार पर अद्यतन करने के डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स उचित एवं विश्वसनीय ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार नहीं कर पाए।

जयपुर और अजमेर डिस्कॉम एक फेज वाले वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमता परिवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रहे जबकि जोधपुर डिस्कॉम की उपलब्धि नगण्य थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने वितरण ट्रांसफार्मर की उच्च विफलता दर की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए।

डिस्कॉम्स ने विफल वितरण ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन भी समय पर सुनिश्चित नहीं किया एवं उनके पास प्रतिस्थापन हेतु मार्च 2021 तक सारभूत शेष (11,387 विफल वितरण ट्रांसफार्मर) था।

डिस्कॉम्स ने दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर के प्रतिस्थापन के मानदण्डों का पालन नहीं किया एवं इस प्रकार, उनको 2016-21 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के विरुद्ध ₹ 56.35 करोड़ की छूट अनुमत्य करनी पड़ी।

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप/अशुद्धियों को रोकने के लिए फीडर निगरानी तंत्र का 100 प्रतिशत स्वचालन, प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन एवं ऊर्जा बचत के लिए डीएसएम को सुनिश्चित नहीं कर पाए। डिस्कॉम्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया। साथ ही, डिस्कॉम्स द्वारा सतर्कता अभियानों को बढ़ाने के प्रयास नहीं किए गए। डिस्कॉम्स/राजस्थान सरकार द्वारा उदय की कार्ययोजना के अन्तर्गत परिकल्पित सतर्कता निगरानी समितियों का गठन भी नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार हेतु लक्ष्य

3.1 उदय ने डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु कुछ परिचालन लक्ष्य निर्धारित किए। उदय/त्रिपक्षीय एमओयू में सम्मिलित लक्ष्य थेः

फीडर का अनिवार्य मीटरीकरण

3.2 फीडर का मीटरीकरण फीडर मीटर में दर्ज विद्युत आगत की संबंधित फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं को बिल की गई विद्युत के साथ तुलना करके फीडरवार विद्युत हानि को चिन्हित करने में सहायता करता है। उदय ने फीडर का अनिवार्य मीटरीकरण 30 जून 2016 तक पूर्ण करने की परिकल्पना की थी।

फीडर मीटरीकरण की 31 मार्च 2016 (उदय से पूर्व), 30 जून 2016 (लक्षित तिथि) तथा 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात) को स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

चार्ट संख्या 3.1: फीडर मीटरीकरण की डिस्कॉम-वार स्थिति

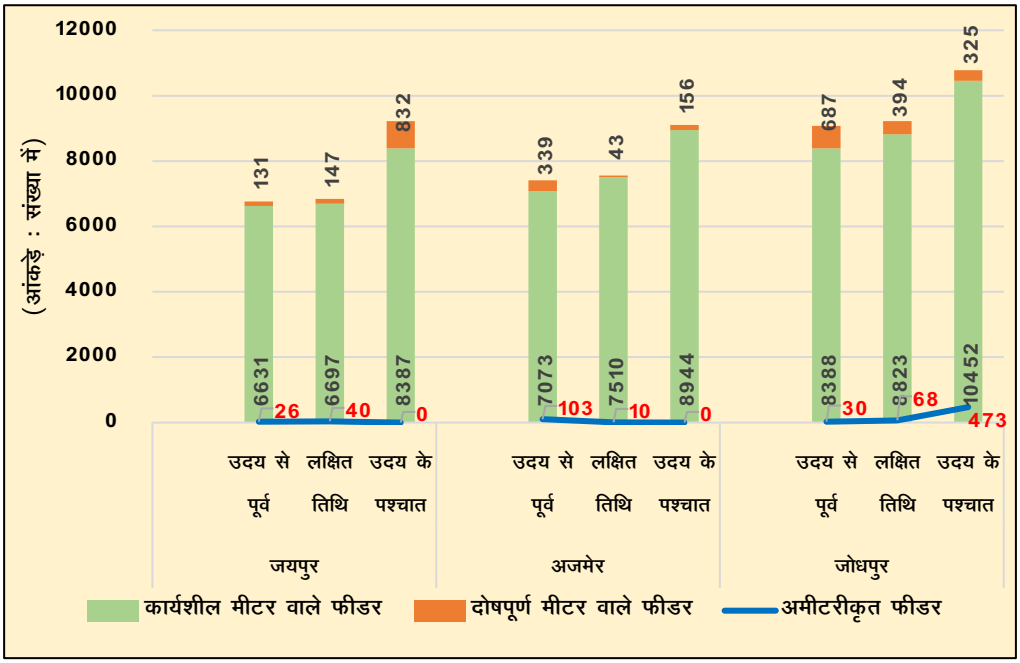

स्रोतः राज्य के डिस्कॉम्स की मीटर एवं संरक्षण (एमएंडपी) शाखा द्वारा संधारित एमआईएस।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स के मीटर एवं संरक्षण (एमएंडपी) शाखा ने 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात्) तक अपने सभी फीडर को मीटरीकृत दर्शाया (जोधपुर डिस्कॉम में 473 गैरमीटरीकृत फीडर के अतिरिक्त)। यद्यपि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 29,096 मीटरीकृत फीडर में से, 9,018 फीडर[1] (31 प्रतिशत) पर समर्पित मीटरिंग-उपकरण के स्थान पर मात्र मीटरिंग उपकरणयुक्त वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि फीडर पर विद्युत के आगम/निर्गम को संधारित करने के लिए मीटरिंग उपकरणयुक्त वीसीबी पर्याप्त नहीं थे क्योंकि विद्युत आपूर्ति बाधित/बंद होने के कारण वीसीबी खराब होने की स्थिति में इनके द्वारा अनियमित/त्रुटिपूर्ण विद्युत पठन हो सकता था। अतः, डिस्कॉम्स द्वारा 9,018 फीडर, जिन पर मीटरिंग-उपकरण मात्र वीसीबी में अन्तर्निहित थे, पर

1 जयपुर डिस्कॉम में 1,048 फीडर, अजमेर डिस्कॉम में 28 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम में 7,942 फीडर।

समर्थित मीटर लगाना वांछित था। साथ ही, 31 मार्च 2021 तक 1,313 फीडर-मीटर[2] खराब पड़े थे।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार इस बात पर सहमत हुई कि वीसीबी के माध्यम से फीडर का मीटरीकरण प्रभावकारी नहीं था एवं इससे पठन दोषपूर्ण हो सकता था। सरकार ने डिस्कॉम्स को वीसीबी में अन्तर्निहित मीटरिंग उपकरण से आश्वस्त होने के स्थान पर समर्पित फीडर मीटर के माध्यम से फीडर का मीटरीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत फीडर मीटरीकरण करने हेतु भी आश्वस्त किया।

वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) का अनिवार्य मीटरीकरण

3.3 (अ) उदय में डीटी का अनिवार्य मीटरीकरण 30 जून 2017 तक पूर्ण किया जाना परिकल्पित था (एमओयू में संशोधित कर इसे 30 जून 2018 तक किया गया)। एमओयू में प्रतिबद्ध प्रक्षेपवक्र के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा सितंबर 2016 तक 20 प्रतिशत डीटी, मार्च 2017 तक 40 प्रतिशत डीटी, सितंबर 2017 तक 60 प्रतिशत डीटी, मार्च 2018 तक 80 प्रतिशत डीटी एवं जून 2018 तक 100 प्रतिशत डीटी का मीटरीकरण करना था।

31 मार्च 2016 (उदय पूर्व), 30 जून 2018 (लक्षित तिथि) एवं 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात) तक डीटी का मीटरीकरण की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

चार्ट संख्या 3.2: वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग की डिस्कॉम वार स्थिति

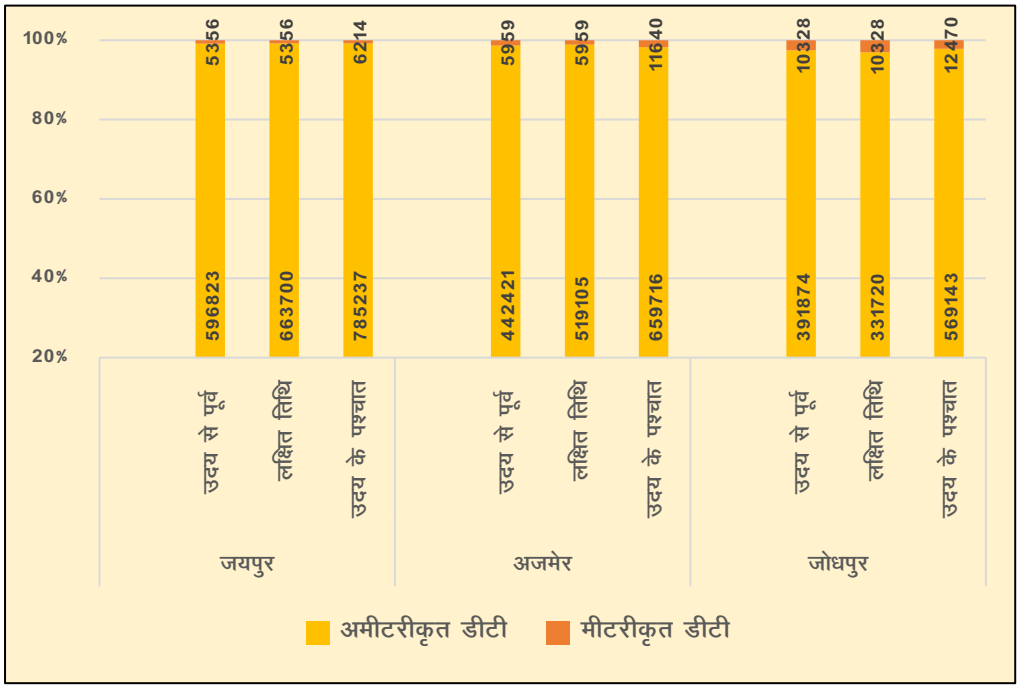

स्रोत: डिस्कॉम द्वारा संधारित एमआईएस एवं प्रदत सूचना।

2 जयपुर डिस्कॉम में 832 फीडर, अजमेर डिस्कॉम में 156 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम में 325 फीडर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी डिस्कॉम ने डीटी का मीटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित तिथि तक प्रयास शुरू नहीं किए थे। साथ ही, डिस्कॉम्स ने डीटी का मीटरीकरण करने के लिए कार्यादेश विलंब से जारी किए (अगस्त 2018 एवं नवंबर 2019 के मध्य)। परिणामस्वरूप, तीनों डिस्कॉम्स सामूहिक रूप से 31 मार्च 2021 तक कुल स्थापित डीटी (20.44 लाख डीटी) के मात्र 1.48 प्रतिशत का मीटरीकरण सुनिश्चित कर सके।

डीटी मीटरीकरण की योजना एवं कार्यान्वयन

(ब) डिस्कॉम्स द्वारा एक डीटी मीटरीकरण नीति बनाई गई (दिसंबर 2016) जिसके अनुसार डीटी का मीटरीकरण सर्वप्रथम उच्च एटीएंडसी घाटे वाले नगरनिकाय वाले कस्बों में किया जाना था। लागत-लाभ अनुपात प्राप्त करने हेतु, उक्त नीति को तीन चरणों[3] में कार्यान्वित किया जाना था। कार्य की पूंजी-गहनता को ध्यान में रखते हुए, नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी का मीटरीकरण शुरू करने का प्रावधान, नगरनिकाय वाले कस्बों में डीटी के मीटरीकरण के परिणामों से इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के पश्चात एवं उच्च हानि वाले डीटी के मीटरीकरण को प्राथमिकता देते हुए करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने उक्त नीति, एमओयू (जनवरी 2016) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर विचार किए बिना एवं इसके अधीन परिकल्पित तीन चरणों के कार्यान्वयन के लिए कोई समयसीमा उल्लेखित किए बिना, विलम्ब से दिसंबर 2016 में तैयार की। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स डीटी के मीटरीकरण का प्रथम चरण मार्च 2022 तक पूर्ण नहीं कर पाए।

डीटी के मीटरीकरण को कार्यान्वित करने के अभाव में, डिस्कॉम्स डीटी-वार घाटे की पहचान करने अथवा उच्च घाटे वाले डीटी का पता लगाने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही, उदय के अन्तर्गत प्रतिबद्ध समयसीमा को प्राप्त नहीं करने से डिस्कॉम्स में एटीएंडसी घाटे को कम करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

डिस्कॉम्स ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि चूंकि डीटी के मीटरीकरण के कार्य की प्रकृति एवं तकनीक नई एवं जटिल थी, अतः उन्होंने उच्च एटीएंडसी घाटे वाले नगरनिकाय वाले कस्बों से प्रारंभ करके चरणबद्ध ढंग से डीटी मीटर लगाने का निर्णय लिया। सरकार ने डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया ।

अनुशंसा 8: डिस्कॉम्स विशिष्ट हानि-क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु सभी फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर की स्थापना एवं एटीएंडसी घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।

3 आर-एपीडीआरपी कस्बे (चरण-I), शेष कस्बे (चरण-II) एवं 40 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी घाटे वाले ग्रामीण क्षेत्र (चरण-III)।

उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटरीकरण

3.4 उदय के वाक्यांश 4.1 में, प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का दिसंबर 2017 तक एवं अन्य (प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक एवं 500 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ता) का दिसंबर 2019 तक स्मार्ट मीटरीकरण पूर्ण करने का प्रावधान था। एमओयू निष्पादित (जनवरी 2016) करते समय, लक्षित तिथियाँ प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु जून 2018 एवं प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं हेतु जून 2020, लागत-लाभ विश्लेषण के अधीन, मानी गई।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अधीन उदय में भाग लेने वाले राज्यों के लिए स्मार्ट मीटरीकरण समाधानों के संस्थापन हेतु डिस्कॉम्स को कोष (₹ 68.21 करोड़) आवंटित किया (जून 2017) तथा इस हेतु सामान्य दिशानिर्देश जारी किए (अक्टूबर 2017)। आईपीडीएस के दिशानिर्देश के अनुसार, जयपुर डिस्कॉम ने 33 वृत्त कार्यालयों के अधीन कुल 600 उपखण्डों[4] में से 60 उपखण्डों (19 वृत्त कार्यालय[5]) को सम्मिलित करते हुए स्मार्ट मीटरीकरण हेतु डीपीआर प्रस्तुत की (नवम्बर 2017 से मार्च 2018)।

साथ ही, डीआरसी[6] बैठक (अगस्त 2018) जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मात्र जयपुर डिस्कॉम ही स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करेगा एवं अन्य दो डिस्कॉम्स जयपुर डिस्कॉम के परिणाम के आधार पर इसका अनुसरण करेंगे, की पालना में, जयपुर डिस्कॉम ने 4.31 लाख उपभोक्ताओं हेतु उन्नत मीटरिंग ढांचा (एएमआई)/स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेका प्रदान (अगस्त 2018) किया। इसके बाद पीएफसी (आईपीडीएस हेतु नोडल संस्थान) एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के हस्तक्षेप करने पर (जनवरी 2019), अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने भी क्रमशः 1.91 लाख उपभोक्ताओं एवं 1.02 लाख उपभोक्ताओं के एएमआई/स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने हेतु दो वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ ठेके प्रदान (जुलाई-अगस्त 2019) किये।

डिस्कॉम-वार समावेश किये जाने वाले उपखण्डों की संख्या, उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु आदेशित एवं मार्च 2022 तक पूर्ण किये कार्य का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

4 जयपुर डिस्कॉम (13 वृत्त कार्यालयों के अधीन 209 उपखण्ड), अजमेर डिस्कॉम (12 वृत्त कार्यालयों के अधीन 204 उपखण्ड) एवं जोधपुर डिस्कॉम (11 वृत्त कार्यालयों के अधीन 185 उपखण्ड)।

5 जयपुर डिस्कॉम (आठ वृत्त कार्यालयों के अधीन 29 उपखण्ड), अजमेर डिस्कॉम (10 वृत्त कार्यालयों के अधीन 26 उपखण्ड) एवं जोधपुर डिस्कॉम (मात्र एक वृत्त कार्यालय के अधीन पांच उपखण्ड)।

6 वितरण सुधार समिति।

तालिका 3.1: डिस्कॉम-वार समावेश किये जाने वाले उपखण्डों की संख्या, उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु आदेशित एवं मार्च 2022 तक पूर्ण किये कार्य का विवरण

डिस्कॉम	कुल उपखण्ड	समावेश किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखण्ड	उपभोक्ताओं की संख्या जिनके लिए कार्यादेश जारी किया गया था	उपभोक्ताओं की संख्या जिनके लिए स्मार्ट मीटरीकरण किया गया
जयपुर	209	29	4.31 लाख	3.50 लाख
अजमेर	204	26	1.91 लाख	0.68 लाख
जोधपुर	185	5	1.02 लाख	0.56 लाख

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा, आईपीडीएस के अधीन कोष आवंटन होने तक, उदय के अंतर्गत स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए। साथ ही, स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने के लिए अपनाये गए मानदंड उदय/एमओयू के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे क्योंकि डिस्कॉम्स ने उच्च टीएंडडी हानि वाले एवं प्रति उपभोक्ता कम उपभोग वाले उपखण्डों का चयन किया। इसके अतिरक्त, कार्यान्वयन का वास्तविक स्तर बहुत कम था क्योंकि डीपीआर के अंतर्गत जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के कुल उपखण्डों का क्रमशः 13.87 प्रतिशत और 12.74 प्रतिशत ही नियोजित था। जोधपुर डिस्कॉम में तो यह नगण्य (2.70 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मूल कार्यान्वयन समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटर की आदेशित मात्रा का क्रमशः 81.44 प्रतिशत, 35.98 प्रतिशत एवं 54.93 प्रतिशत संस्थापित कर पाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 3.80 लाख एवं 6.80 लाख उपभोक्ता थे जिनका मासिक उपभोग 200 यूनिट से अधिक था जबकि जयपुर डिस्कॉम के पास उपभोक्ताओं का उपभोगवार विवरण नहीं था। तथापि डीपीआर में उपभोक्ताओं की उपभोगवार पहचान की अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि स्मार्ट मीटर उदय के प्रावधानों के अनुसार संस्थापित किये गए थे।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स न तो उदय के अंतर्गत निर्धारित/प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति जागरूक थे एवं न ही उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु प्रदत्त अनुबंधों का समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर पाए।

डिस्कॉम्स ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संपूर्ण राजस्व इकाई को समाविष्ट करने के स्थान पर स्मार्ट मीटर (मात्र 200 यूनिट एवं 500 यूनिट से अधिक के उपभोक्ताओं के लिए) का बिखराव में संस्थापन करने में अवरोध यथा नियुक्त मानवशक्ति में कोई कमी नहीं होना, पथ-अनुक्रमण एवं बिलिंग-चक्र में व्यवधान आना इत्यादि उत्पन्न होते। सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया ।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स द्वारा स्मार्ट मीटरीकरण उदय के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। साथ ही, डिस्कॉम्स के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण एवं अपर्याप्त प्रयासों के कारण मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन नगण्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप उदय की प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

अनुशंसा 9: डिस्कॉम्स प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं के सिरे पर स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के लिए उदय के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

उपभोक्ता-अनुक्रमण और जीआईएस द्वारा मानचित्रण

3.5 उपभोक्ता-अनुक्रमण, उस फीडर या वितरण ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा किसी विशेष उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, का स्थान निर्धारण करने का एक तंत्र है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित भौगोलिक-डेटा के प्राप्तिकरण, संग्रहण, जांच, एकीकरण, संशोधन, विश्लेषण एवं प्रदर्शन की एक तकनीक है।

उदय के वाक्यांश 4.1 में, अन्य बातों के साथ, डिस्कॉम्स को सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए घाटे वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाने हेतु, 30 सितंबर 2018 तक घाटे की संपूर्ण उपभोक्ता-अनुक्रमण एवं जीआईएस द्वारा मानचित्रण का प्रावधान था।

जीआईएस-मानचित्रण सहित उपभोक्ता-अनुक्रमण

3.5.1 भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी[7] के अंतर्गत उपभोक्ता-अनुक्रमण एवं जीआईएस द्वारा मानचित्रण प्रभावी किया (दिसंबर 2008)। तदनुसार, डिस्कॉम्स ने एक निजी विक्रेता (एचसीएल इंफोसिस्टम्स) की सहायता से राज्य के 188 कस्बों में उपभोक्ताओं का जीआईएस द्वारा सर्वेक्षण प्रारंभ किया (सितंबर 2009)। तथापि, जीआईएस द्वारा सर्वेक्षण हेतु अपनायी गई पद्धति पर विवाद के कारण, निजी विक्रेता ने 2015 में कार्य बंद कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने, कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों एवं जीआईएस डाटा को अद्यतन करने की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, जीआईएस द्वारा मानचित्रण के स्थान पर नेटवर्क इंडेक्सिंग मॉड्यूल (एनआईएम[8]) को अपनाने का निर्णय किया (मई 2016)। तदनुसार, जयपुर डिस्कॉम को उक्त प्रणाली के 'गो-लाइव' होने के पश्चात एक बाह्य संस्था के माध्यम से जीआईएस डाटा को अद्यतन/ संशोधित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

---

7 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

8 एनआईएम के अन्तर्गत, जीआईएस द्वारा मानचित्रीकरण के स्थान पर संबंधित फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर के संदर्भ में उपभोक्ता-अनुक्रमण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर-एपीडीआरपी में सम्मिलित 188 कस्बों के जीआईएस सर्वेक्षण के डाटा 2015 में कार्य बंद होने के कारण अप्रचलित (मार्च 2021) हो गये थे। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने जीआईएस द्वारा मानचित्रण के कार्य को आउटसोर्स करने के निर्देशों की मार्च 2021 तक अनदेखी की। इस प्रकार, उदय के अंतर्गत परिकल्पित जीआईएस द्वारा मानचित्रण एवं उपभोक्ता-अनुक्रमण मार्च 2022 तक अकार्यान्वित रहे तथा वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि परियोजना को अनुबंधात्मक समझौते के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। इसने आगे कहा कि जीआईएस रहित एनआईएम को जीआईएस आधारित नेटवर्क अनुक्रमण एवं उपभोक्ता-अनुक्रमण मॉड्यूल के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। वर्तमान में यह कार्य मानवीय रूप से किया जाता है परन्तु जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत अपनाया जाएगा।

तथ्य यह रहा कि 2018-19 में उदय के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, उदय के अन्तर्गत परिकल्पित जीआईएस-मानचित्रण सहित उपभोक्ता-अनुक्रमण को मार्च 2022 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। साथ ही, आरडीएसएस के अंतर्गत जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन करने हेतु सरकार का उत्तर, यह पुष्टि करता है कि विकल्प के रूप में विकसित जीआईएस-मानचित्रण रहित एनआईएम, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है।

जीआईएस-मानचित्रण रहित उपभोक्ता-अनुक्रमण

3.5.2 उपभोक्ता-अनुक्रमण की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष-डिस्कॉम्स[9] ने डिस्कॉम्स को नियत पद्धति के अनुसार 31 मार्च 2019 तक उपभोक्ता-अनुक्रमण का 100 प्रतिशत सत्यापन/प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने एवं मासिक आधार पर डाटा को अद्यतन करने का निर्देश दिया (जनवरी-फरवरी 2019)।

(अ) फीडरवार उपभोक्ता-अनुक्रमण के मामले में, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स 1 फरवरी 2022 तक क्रमशः 99.87 प्रतिशत, 84.77 प्रतिशत एवं 80.88 प्रतिशत फीडरवार अनुक्रमण को सत्यापित/प्रमाणित कर सके। इस प्रकार, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स अध्यक्ष-डिस्कॉम्स के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

(ब) डीटी-वार उपभोक्ता-अनुक्रमण के मामले में, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने 1 फरवरी 2022 तक क्रमशः 47.10 प्रतिशत, 98.98 प्रतिशत एवं 98.35 प्रतिशत उपभोक्ताओं का अनुक्रमण दर्शाया। इस प्रकार, जयपुर डिस्कॉम डीटी-वार उपभोक्ता-अनुक्रमण करने में बहुत पीछे रह गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता-अनुक्रमण के आंशिक डाटा के सत्यापन/ प्रमाणीकरण ने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की क्योंकि पूर्णतः सत्यापित डाटा के अभाव में, डिस्कॉम्स उचित और विश्वसनीय ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नहीं बना पाए। अप्रमाणित/असत्यापित उपभोक्ता-

9 अध्यक्ष-डिस्कॉम्स तीनों डिस्कॉम्स के अध्यक्ष हैं।

अनुक्रमण डाटा के कारण ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विसंगतियों (यथा उपभोक्ताविहीन फीडर) की चर्चा नीचे **अनुच्छेद 3.5.3** में की गई है। इसके अतिरिक्त, जीआईएस द्वारा मानचित्रण का कार्यान्वयन एवं प्रत्येक फीडर/डीटी से वास्तविक-समय आधारित स्वचालित डाटा प्राप्ति की व्यवस्था किए बिना, अनुक्रमित डाटा को वास्तविक-समय पर अद्यतन करते हुए 100 प्रतिशत उपभोक्ता-अनुक्रमण प्राप्ति का नियोजन संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, घाटे वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने का प्रमुख उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) कि उपभोक्ता-अनुक्रमण की अद्यतन स्थिति जानने एवं उसके अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए, एक वास्तविक-समय आधारित निगरानी तंत्र अधिक प्रभावी है। समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने आरडीएसएस के अन्तर्गत जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।

परिकल्पित उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन किए बिना विश्वासप्रद डाटा का अभाव

3.5.3 लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फीडरवार ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वृत्तवार सारांश प्रतिवेदन में दर्शाए गए सभी 32,175 फीडर (विभाजित/क्रॉस फीडर[10] सहित) की एटीएंडसी हानियों का विश्लेषण किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 8,179 फीडर (25.42 प्रतिशत) ने नकारात्मक/ गैर-संख्यात्मक एटीएंडसी घाटा दर्शाया जबकि 8,728 फीडर (27.13 प्रतिशत) ने 50 प्रतिशत से अधिक (100 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी हानि वाले 66 फीडर[11] को सम्मिलित करते हुए) का एटीएंडसी घाटा दर्शाया। असंभव/असामान्य परिणामों को दर्शाने वाले डाटा की सारभूत मात्रा ने इंगित किया कि डाटा को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित/प्रमाणित नहीं किया गया था तथा इसप्रकार यह विश्वसनीय नहीं थे। सॉफ़्टवेयर से उत्पन्न परिणामों की असामान्यता को देखते हुए, डिस्कॉम्स द्वारा प्रदर्शित उपभोक्ता-अनुक्रमण के आंकड़ों/संख्याओं में सारभूत कमियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि डिस्कॉम्स ने डाटा में विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जिसने न केवल डिस्कॉम्स द्वारा सृजित प्रतिवेदनों को विकृत किया अपितु त्रुटिपूर्ण डाटा एवं प्रतिवेदन का भी प्रदर्शन किया। साथ ही, अविश्वसनीय/ अप्रमाणित डाटा के अनुरक्षण ने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की क्योंकि घाटे वाले क्षेत्र अचिन्हित रहे।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने स्वीकार किया कि त्रुटिपूर्ण अनुक्रमण के कारण, डाटा में कमियां/असामान्यताएं थी। सरकार ने डिस्कॉम्स को उनके स्तर पर समुचित डाटा का अनुरक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

---

10 किसी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताओं को व्यवस्थित/प्रबंधित करने हेतु भौतिक/प्रत्यक्ष फीडर में से सृजित किये गए एवं बाद में नियमित व्यवस्था होने पर बंद किये गए फीडर को संदर्भित करता है।

11 जयपुर डिस्कॉम (नौ फीडर), अजमेर डिस्कॉम (17 फीडर) और जोधपुर डिस्कॉम (40 फीडर)।

अनुशंसा 10: डिस्कॉम्स जीआईएस द्वारा मानचित्रण तथा उपभोक्ता-अनुक्रमण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

ट्रांसफार्मर एवं मीटर का उन्नयन/ बदलाव

3.6 उदय के वाक्यांश 4.1 में तकनीकि घाटे एवं विद्युत कटौती को कम करने हेतु ट्रांसफार्मर एवं मीटर के उन्नयन/ बदलाव का प्रावधान था।

साथ ही, डीटी की उच्च विफलता दर एवं 11 केवी ग्रामीण फीडर के घाटे में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष-डिस्कॉम्स ने सिंगल-फेज डीटी का क्षमता संवर्द्धन, गांवों में थ्री-फेज प्रणाली का विकास, क्षतिग्रस्त डीटी का प्रतिस्थापन आदि को सम्मिलित करते हुए पंद्रह-सूत्री फीडर संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया (मार्च 2014)।

डीटी के क्षमता संवर्द्धन/ उन्नयन तथा दोषपूर्ण डीटी एवं उपभोक्ता मीटर के प्रतिस्थापन में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) का क्षमता संवर्द्धन

3.6.1 2015-16 से 2020-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी का थ्री-फेज डीटी में क्षमता संवर्द्धन करने के वार्षिक लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 3.3: 2015-16 से 2020-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी के क्षमता संवर्द्धन के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि

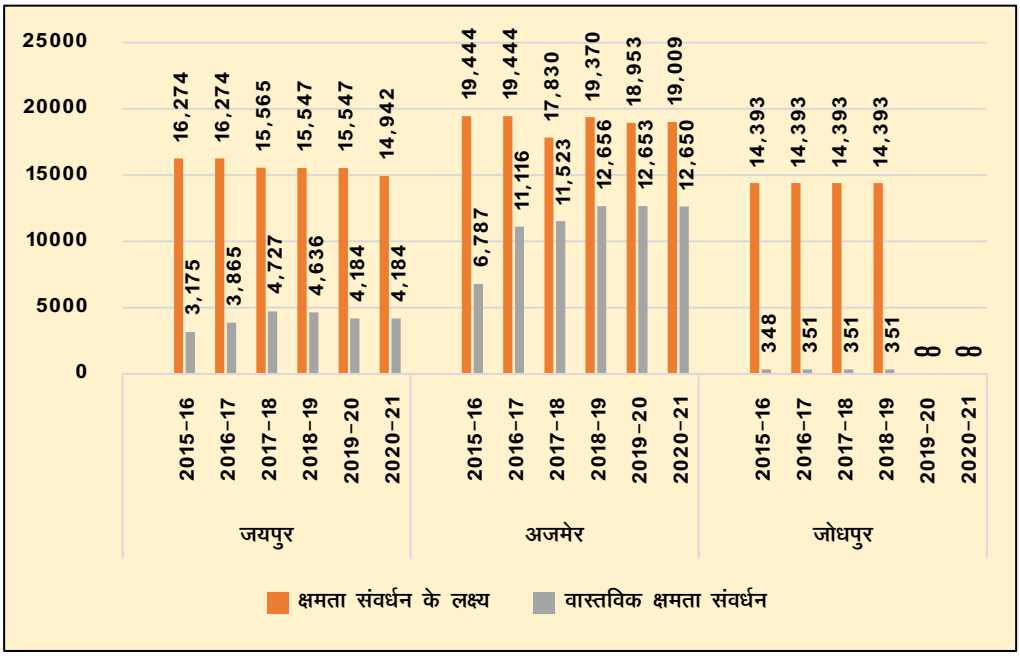

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत एमआईएस

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान लक्षित क्षमता संवर्धन के समक्ष उपलब्धि जयपुर डिस्कॉम में 19.51 प्रतिशत एवं 30.37 प्रतिशत के मध्य तथा अजमेर डिस्कॉम में 34.91 प्रतिशत एवं 66.76 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार, उक्त दोनों डिस्कॉम्स 2015-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी के लक्षित क्षमता संवर्धन को प्राप्त करने में पीछे रहे। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम का प्रदर्शन अत्यधिक बुरा था क्योंकि 2015-19[12] के दौरान लक्षित क्षमता संवर्धन की तुलना में उपलब्धि नगण्य (तीन प्रतिशत से कम) थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मासिक आधार पर प्रतिवेदित लक्षित क्षमता संवर्धन के उप इष्टतम उपलब्धि के उपरांत भी, प्रबंधन ने प्रदर्शन में सुधार हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने कहा (अक्टूबर 2022) कि 2019-20 एवं 2020-21 के क्षमता संवर्धन के आंकड़ों में नए संस्थापित डीटी, जो विद्यमान वितरण प्रणालियों के संवर्धन का भाग भी थे, सम्मिलित नहीं थे। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम ने 2019-20 से एमआईएस से उक्त प्रारूप को बाहर करने के तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं भविष्य में एमआईएस में संबंधित प्रारूप को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया। सरकार ने उत्तर का समर्थन किया।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के उत्तर युक्तियुक्त नहीं थे क्योंकि आक्षेप में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े डिस्कॉम्स के एमआईएस पर आधारित थे जबकि उत्तर में उल्लेखित 2019-20 एवं 2020-21 के आंकड़े साक्ष्य से समर्थित नहीं थे। यदि, तर्क-वितर्क के लिए ही डिस्कॉम्स के उत्तरों को स्वीकार कर लिया जाए, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन नए संस्थापित डीटी को संबंधित एमआईएस में क्यों नहीं दर्शाया जा रहा था। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम के संबंध में 2016-17 से 2018-19 के लिए दर्शाए गए वास्तविक क्षमता संवर्धन के स्थैतिक डाटा ने भी एमआईएस की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न किया।

वितरण ट्रांसफार्मर की उच्च विफलता दर

3.6.2 समुचित विश्वसनीयता हेतु, डीटी की विफलता दर, जैसा कि विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा विनिर्दिष्ट की गई, 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होनी वांछित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स में डीटी की विफलता दर 7.26 प्रतिशत एवं 11.90 प्रतिशत[13] के मध्य थी, जैसा कि **अनुबंध-7** में दिया गया है। इसप्रकार, डीटी की विफलता दर बहुत अधिक थी। साथ ही, इस समयावधि में विफल हुए कुल डीटी में से गारंटी अवधि के पश्चात् विफल होने वाले डीटी का भाग सारभूत था जोकि इस समयावधि में विफल हुए कुल डीटी के 46.88 प्रतिशत एवं 65.22 प्रतिशत के मध्य था।

12 जोधपुर डिस्कॉम ने 2019-20 से सम्बंधित प्रारूप को एमआईएस से बाहर कर दिया।

13 जयपुर डिस्कॉम (9.14 प्रतिशत एवं 11.90 प्रतिशत के मध्य), अजमेर डिस्कॉम (7.96 प्रतिशत एवं 10.91 प्रतिशत के मध्य) एवं जोधपुर डिस्कॉम (7.26 प्रतिशत एवं 9.53 प्रतिशत के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीटी की उच्च विफलता दर डीटी पर अधिभार, अनुपयुक्त अर्थिंग एवं सुरक्षा, अनुपयुक्त फ़्यूज़, अपर्याप्त निवारक अनुरक्षण, आदि के कारण थी। तथापि, डिस्कॉम ने डीटी की उच्च विफलता दर की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर को जलने से रोकने के लिए मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) के संस्थापन का प्रावधान अपनाया गया। तथापि, डीटी की विफलता के अन्य कारणों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

दोषपूर्ण/ जले हुए वितरण ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन/ जमा कराना

3.6.3 समन्वय समिति[14] द्वारा अनुमोदित (दिसंबर 2009) जले हुए/ दोषपूर्ण डीटी के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के अनुसार, उपखण्डों को डीटी को 72 घंटों के भीतर प्रतिस्थापित करना था एवं विफल डीटी को संबंधित सहायक भंडार नियंत्रक (एसीओएस) के पास 7 से 14 दिवस के भीतर जमा करवाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-21 के दौरान, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने क्रमशः 4,09,920 डीटी, 3,11,523 डीटी एवं 2,47,750 डीटी, जैसा कि **अनुबंध-8** में दिया गया है, प्रतिस्थापित किये। इनमें से, तीनों डिस्कॉम्स ने क्रमशः 6,448 डीटी, 597 डीटी एवं 90 डीटी को 72 घंटे की निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रतिस्थापित किया। विफल डीटी में से 11,387 डीटी प्रतिस्थापन के लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पास ऐसे डीटी, जो विफल हो चुके थे परन्तु संबंधित एसीओएस के पास जमा करवाये जाने हेतु लंबित थे, का शेष क्रमशः 94 दिवस एवं 137 दिवस के मध्य, 10 दिवस एवं 73 दिवस के मध्य तथा 11 दिवस एवं 74 दिवस के मध्य था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम में विफल डीटी को जमा करवाने में विलम्ब अत्यधिक था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि भण्डार की समग्र कार्यक्षमता के बेहतर विश्लेषण हेतु ईआरपी मॉड्यूल का क्रियान्वयन किया जा रहा था। साथ ही, गतिविधियों की बेहतर निगरानी हेतु एसीओएस में सीसीटीवी कैमरे भी संस्थापित किये जा रहे थे।

उपभोक्ता के दोषपूर्ण मीटर को प्रतिस्थापित नहीं करना

3.6.4 डिस्कॉम्स की विद्युत आपूर्ति के नियम एवं शर्तों (टीसीओएस) में बंद/ दोषपूर्ण मीटर को शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटों के भीतर प्रतिस्थापित करने का प्रावधान था। साथ ही, बंद/ दोषपूर्ण मीटर को दो माह (60 दिवस) की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किये जाने की स्थिति में, उपभोक्ता के कुल बिल (विद्युत शुल्क को छोड़कर) पर पांच प्रतिशत की छूट दी जानी थी।

14 विद्युत क्षेत्र की गतिविधियों में समन्वय एवं एकरूपता हेतु राज्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों (राज्य के डिस्कॉम्स के प्रतिनिधियों) की एक समिति।

31 मार्च 2021 तक प्रतिस्थापन हेतु लंबित दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर की डिस्कॉमवार समयावधि नीचे तालिका में दी गयी है:

तालिका 3.2: प्रतिस्थापन के लिए लंबित दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर का विवरण

डिस्कॉम	मीटरीकृतकुल उपभोक्ता (लाख में)	3 माह तक	3 से 6 माह	6 से 12 माह	12 माह से अधिक	कुल दोषपूर्ण मीटर	दोषपूर्ण मीटर का प्रतिशत
		(आंकड़े संख्या में)					
जयपुर	45.41	47805	45855	49762	81704	225126	4.96
अजमेर	48.40	98137	42144	27516	67227	235024	4.86
जोधपुर	43.31	76201	64008	49239	147212	336660	7.77

स्रोत: डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स टीसीओएस के अन्तर्गत निर्धारित मानदडों का पालन करने में विफल रहे तथा इन दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर का एक बड़ा भाग 12 महीने से अधिक की अवधि से प्रतिस्थापन हेतु लंबित था। निर्धारित समयसीमा के भीतर दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन नहीं करने के कारण, डिस्कॉम्स को 2016-21 के दौरान दोषपूर्ण मीटर हेतु ₹ 56.35 करोड़[15] की छूट अनुमत करनी पड़ी एवं उपभोग की औसत आधारित बिलिंग जारी रखनी पड़ी। तथापि, वास्तविक उपभोग डाटा की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा द्वारा औसत बिलिंग के परिणामस्वरूप हुई राजस्व हानि का आकलन नहीं किया जा सका।

सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंसा 11: डिस्कॉम्स डीटी की उच्च विफलता दर को नियंत्रित करने एवं समय पर दोषपूर्ण डीटी/उपभोक्ता मीटर का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने हेतु उपाय कर सकते हैं।

फीडर निगरानी तंत्र

फीडर मीटरीकरण के डाटा/पठन का स्वचालन

3.7 एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी के स्तर तक ऊर्जा लेखापरीक्षा सितंबर 2016 तक प्रारंभ करनी थी। साथ ही, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 केवी ग्रामीण फीडर पर संचारक मीटर लगााने का निर्णय लिया (मार्च 2016) तथा उक्त कार्य को कार्यान्वित करने हेतु एवं 11 केवी ग्रामीण फीडर के रियलटाइम डाटा प्राप्त करने हेतु डीपीआर बनाने के लिए आरईसी लिमिटेड (आरईसी) को नोडल संस्था नियुक्त किया (मार्च 2016)। आरईसी ने इसलिए फीडर मीटरीकरण एवं उन पर दूरस्थ-संचार की उपलब्धता से संबंधित विवरण मांगा (मार्च 2016)। तत्पश्चात्, आरईसी ने कार्यों के दोहरेपन से बचने हेतु

15 जयपुर डिस्कॉम (₹ 22.30 करोड़), अजमेर डिस्कॉम (₹ 13.34 करोड़) और जोधपुर डिस्कॉम (₹ 20.71 करोड़)।

डिस्कॉम्स से उक्त योजना में उनकी भागीदारी की इच्छा के संबंध में बारम्बार पुष्टिकरण मांगा गया (सितंबर से दिसंबर 2016)।

(अ) अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत आरईसी के माध्यम से उक्त कार्य के निष्पादन का विकल्प चुना (मई 2017)। आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी की एक सहायक कंपनी एवं कार्यान्वयन संस्था) ने 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश (जुलाई 2017) दिया। कार्यादेश में अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के क्रमशः 8,000 फीडर एवं 8,315 फीडर पर मॉडेम संस्थापन की परिकल्पना की गई थी। दोनों डिस्कॉम्स द्वारा शहरी फीडर में भी संचार प्रणाली स्थापित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 तक अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के क्रमशः 1,452 फीडर एवं 2,409 फीडर पर, जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया गया है, संचार प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, 2018-21 के दौरान अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में अकार्यशील मॉडेम वाले फीडर की संख्या क्रमशः 878 से बढ़कर 1,690 फीडर एवं 2,939 से 4,244 फीडर हो गई। स्वचालित/ तकनीकि संचार के अभाव में, अजमेर डिस्कॉम के 34.53 प्रतिशत फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम के 59.14 प्रतिशत फीडर से डाटा मानवीय रूप से एकत्र एवं तंत्र में दर्ज किये जा रहे थे (मार्च 2021)। तत्पश्चात्, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एवं विक्रेता के बीच विवाद के कारण, विक्रेता ने दोनों डिस्कॉम्स में जुलाई 2021 से संचार प्रणाली का संचालन बंद कर दिया। विवाद का मार्च 2022 तक समाधान नहीं हुआ।

इस प्रकार, फीडर सूचना निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन के अभाव में, तंत्र में अब तक मानवीय हस्तक्षेप एवं अशुद्धियाँ विद्यमान रही। साथ ही, तंत्र की वास्तविक-समय आधारित निगरानी का उद्देश्य दिसंबर 2022 तक अपूर्ण रहा।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि उक्त प्रकरण आरईसी के विचारार्थ उठाया जाएगा क्योंकि ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही मात्र आरईसी के स्तर पर ही प्रारंभ की जा सकती है।

(ब) जयपुर डिस्कॉम ने, आरईसी के माध्यम से कार्यान्वयन का विकल्प चुनने के स्थान पर, क्रमशः 5,000 फीडर एवं 2,500 फीडर पर फीडर मीटर सूचना प्रणाली हेतु दो निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं हस्तांतरण (बीओओटी) अनुबंध ₹ 275 प्रति फीडर के मासिक भुगतान पर पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए (मार्च 2017 एवं फरवरी 2019)। लेखापरीक्षा ने देखा कि अध्यक्ष-डिस्कॉम्स ने अपना अनुमोदन प्रदान करते समय, जयपुर डिस्कॉम को, आरईसी को उसकी फीडर निगरानी प्रणाली के साथ जयपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित प्रणाली को एकीकृत करने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता पर विचार करने के संबंध में सूचित करने हेतु, निर्देशित किया (मार्च 2017)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम ने अपनी प्रणाली को आरईसी की प्रणाली के साथ एकीकृत करने के निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, जयपुर डिस्कॉम ने उक्त प्रणाली को कार्यान्वित करने पर खर्च हुए ₹ 5.05 करोड़ के समक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर खो दिया। चूंकि उक्त व्यय आवर्ती प्रकृति का है, वास्तविक अवसर की हानि और भी अधिक होगी। साथ ही, डिस्कॉम में बिना मॉडेम वाले फीडर की संख्या एवं अकार्यशील मॉडेम वाले फीडर की संख्या 2018-21 के दौरान क्रमशः 813 से बढ़कर 1,727 एवं 756 से 1,564 हो गई, जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया गया है। स्वचालित/तकनीकि संचार के अभाव में, डिस्कॉम के 35.70 प्रतिशत फीडर से डाटा मानवीय रूप से एकत्र एवं तंत्र में दर्ज किये जा रहे थे (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम ने विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए मॉडेम की गुणवत्ता के साथ समझौता किया क्योंकि उसने मॉडेम हेतु कोई भारतीय मानक संहिता नहीं होने के उपरांत भी, मॉडेम के सत्यापन/ निरीक्षण एवं परीक्षण को क्षमा कर दिया (जुलाई 2017)। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम की ओर से फीडर मीटर सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन में कई कमियाँ यथा फीडर की अनुपलब्धता (भारविहीन फीडर), फीडर को प्रतिरूपी संख्यांक का आवंटन, जले/ दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन नहीं करना, सीटीपीटी सेट का प्रतिस्थापन नहीं करना, पहले से संस्थापित मीटर के मीटरपोर्ट से संचार नहीं होना/ अनुकूलता संबंधी समस्याएं, इत्यादि देखी गई। साथ ही, विक्रेता के पक्ष पर कमियों में नेटवर्क संयोजन का अभाव, मॉडेम में प्रयुक्त केबल की खराब गुणवत्ता, फीडर मीटर एवं वास्तविक-समय घड़ी के गुणनकारक का अद्यतन नहीं करना इत्यादि सम्मिलित थे।

इस प्रकार, फीडर सूचना निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन के अभाव में, तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप/ अशुद्धियाँ अभी भी विद्यमान थी। साथ ही, सिस्टम की वास्तविक-समय आधारित निगरानी का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

जयपुर डिस्कॉम ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ग्रामीण एवं शहरी फीडर के लिए अलग-अलग प्रणाली की जटिलताओं से बचने के लिए, उसने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल एक निविदा जारी की। डिस्कॉम ने आगे कहा कि कई बाधाएं यथा दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की अनुपलब्धता, सीटीपीटी/ मीटर/ मॉडेम के प्रतिस्थापन/ मरम्मत की समय लेने वाली प्रक्रिया, असामान्य मौसम के कारण खराबी आना, इत्यादि। सरकार ने उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया।

उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप से सम्बंधित नहीं था एवं अध्यक्ष-डिस्कॉम्स के निर्देशों का पालन नहीं करने के विषय पर मौन था। साथ ही, डिस्कॉम ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाई।

अनुशंसा 12: वितरण-प्रणाली की वास्तविक-समय आधारित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स फीडर निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन हेतु कदम उठा सकते हैं।

डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए अन्य पहल

3.8 उदय ने डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कुछ अन्य पहल की भी परिकल्पना की थी। इन अन्य पहल के कार्यान्वयन के अभाव/कमियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

उद्यम संसाधन योजना का कार्यान्वयन

3.9 एमओयू के वाक्यांश 1.3 जी (xi) में बेहतर एवं प्रभावी भंडार-प्रबंधन, लेखा-प्रबंधन, आदि के लिए मार्च 2018 तक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने (मई 2018 से जून 2019 के मध्य) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) को डिस्कॉम्स के लिए एकीकृत रूप में चार मॉड्यूल विकसित करने हेतु ₹ 4.03 करोड़[16] की कुल लागत का ईआरपी कार्य 12 माह की निर्धारित समापन अवधि के लिए सौंपा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरआईएसएल सभी मॉड्यूल विकसित नहीं कर सका चूँकि 31 मार्च 2021 तक चार मुख्य मॉड्यूल के अन्तर्गत मात्र नौ से 21 उप-मॉड्यूल[17] (कुल 39 उप-मॉड्यूल में से) ही कार्यात्मक थे जबकि शेष उप-मॉड्यूल परीक्षण-चरण में थे।

इस प्रकार, ईआरपी के कार्यान्वयन में देरी के कारण, डिस्कॉम्स एक एकीकृत, केंद्रीकृत एवं संयुक्त डेटाबेस, उन्नत सूचना साझाकरण एवं प्रक्रिया संगतिकरण, लेनदेन दक्षता में सुधार, कार्य के दोहराव में कमी एवं तात्कालिक एमआईएस प्रतिवेदन निर्माण की क्षमता इत्यादि के लाभ नहीं प्राप्त कर सके।

सरकार ने देरी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि डिस्कॉम्स ने ईआरपी परियोजना को 31 जुलाई 2022 को बंद करने का फैसला किया था (15 जून 2022) एवं इन मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल के पूर्व-समापन हेतु दंडात्मक प्रावधान की खोज की जा रही है।

16 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 1.52 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 1.27 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 1.24 करोड़।

17 जयपुर डिस्कॉमः 9 उप-मॉड्यूल, अजमेर डिस्कॉमः 21 उप-मॉड्यूल एवं जोधपुर डिस्कॉमः 12 उप-मॉड्यूल।

मांग पक्ष प्रबंधन

3.10 उदय एवं इसके अन्तर्गत निष्पादित एमओयू में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) की परिकल्पना की गई थी, जिसके अनुसार डिस्कॉम्स को निष्पादन, सम्पादन एवं व्यापार (पीएटी)[18] के माध्यम से एलईडी बल्ब, कृषि पंप, पंखे/एयर कंडीशनर एवं कुशल औद्योगिक उपकरण उपलब्ध कराने के उपाय करने थे।

कृषि पम्प सेटों का प्रतिस्थापन

3.10.1 ऊर्जा उपभोग को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य तक घटाने के लक्ष्य के साथ, एमओयू में विद्यमान कृषि-पंप के कम से कम 10 प्रतिशत को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंपसेट से मार्च 2019 तक प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।

जयपुर डिस्कॉम ने प्रायोगिक आधार पर एक फीडर[19] पर सामान्य कृषि-पंप को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंप से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2016) एवं 50 कृषि-पंप के प्रतिस्थापन हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को कार्य प्रदान किया। ईईएसएल को इन पंप से हुई वास्तविक ऊर्जा बचत की जानकारी भी देनी थी जिससे कि इस परियोजना को प्रारंभ करने हेतु तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ईईएसएल ने 28 कृषि-पंप को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंप से प्रतिस्थापित किया एवं तदनुसार ऊर्जा में 31.70 प्रतिशत की बचत सूचित की (अक्टूबर 2016)। तत्पश्चात, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को तीन[20] चयनित जिलों में 31,200 कृषि-पंप को प्रतिस्थापित करने का एक प्रस्ताव, ₹ 145 करोड़ की अनुमानित कुल लागत के साथ, सब्सिडी प्रदान करने हेतु भेजा गया (मई 2017) क्योंकि इससे पांच वर्षों में कृषि कनेक्शन पर राजस्थान सरकार का सब्सिडी का बोझ (₹ 276 करोड़) कम हो जाता। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त अनुदान को पूर्ण रूप से प्रदान करने से मना कर दिया, परन्तु कार्यान्वयन अवधि के दौरान सब्सिडी में होने वाली बचत की सीमा तक परियोजना-लागत को वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की। तथापि, डिस्कॉम्स ने बाद में प्रस्तावित परियोजना को बंद कर दिया (अगस्त 2018) क्योंकि वे इसे वित्तपोषित करने की स्थिति में नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी में बचत की सीमा तक कोष प्रदान करने हेतु सहमत होने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स ने कृषि-पंपसेट के प्रतिस्थापन की प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने हेतु कोई दूसरी योजना नहीं बनाई।

---

18 पीएटी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन एक पहल, एक बाजार-सहाय अनुपालन तंत्र है जिसे व्यापार-योग्य ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा-गहन वृहत उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में लागत बचत के सुधार में तीव्रता लाने के लिए तैयार किया गया था।

19 चौमू उपखंड का तेजाजी फीडर।

20 झालावाड़ (जयपुर डिस्कॉम), पाली (जोधपुर डिस्कॉम) एवं चित्तौड़गढ़ (अजमेर डिस्कॉम)।

इस प्रकार, कार्ययोजना को लागू करने में डिस्कॉम्स की निष्क्रियता एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबद्ध वित्तपोषण से लाभान्वित होने में असमर्थता ने मात्र डीएसएम के अन्तर्गत ऊर्जा बचत में ही बाधा उत्पन्न नहीं की अपितु उदय के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया।

सरकार/ डिस्कॉम्स द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया गया।

प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की अप्राप्ति

3.10.2 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14क के अनुसार, भारत सरकार ऐसे प्राधिकृत उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा खपत नियत सन्नियमों एवं मानकों से कम है, को ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) जारी कर सकेगी। ऊर्जा संरक्षण नियम 2012 के नियम 13 (ख) में आगे प्रावधान किया गया कि जब ऊर्जा खपत सन्नियमों एवं मानकों के अनुपालन प्राप्ति हेतु किए गए उपाय अपर्याप्त होंगे, प्राधिकृत उपभोक्ता मीट्रिक टन तेल के समकक्ष आकलित ऊर्जा खपत सन्नियमों एवं मानकों में कमी की पूर्ण संतुष्टि के समतुल्य ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) क्रय करेंगे। साथ ही, ऊर्जादक्षता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना प्रारंभ की (जुलाई 2012)। भारत सरकार ने डिस्कॉम्स को पीएटी के अधीन प्राधिकृत उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में सम्मिलित किया (दिसंबर 2015) एवं ऊर्जा संरक्षण नियम 2012 के अन्तर्गत प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य ₹ 18,402 अधिसूचित किया (दिसंबर 2020)।

ऊर्जा बचत के आधिक्य को ईएससी नामक व्यापार-योग्य विलेख, जिनका व्यापार हेतु मंच प्रदान करने वाले विद्युत एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किया जाता है, में परिवर्तित कर दिया जाता है जहां डीसी, जो अपने अनुपालन में विफल रहे हों, ईएससी के क्रय हेतु बोली लगाते हैं।

भारत सरकार ने राजस्थान डिस्कॉम्स के लिए 2018-19 (लक्ष्य वर्ष) हेतु ऊर्जा खपत सन्नियम एवं मानक (टीएंडडी हानि[21] के रूप में) निर्धारित किए (मार्च 2016) जिन्हें अक्टूबर 2018 में संशोधित कर 15 प्रतिशत कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 के दौरान कोई भी डिस्कॉम टीएंडडी हानि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में वास्तविक टीएंडडी हानि क्रमशः 20.54 प्रतिशत, 18.03 प्रतिशत एवं 23.12 प्रतिशत रही। तदनुसार, डिस्कॉम्स ₹ 573.15 करोड़[22] मूल्य के 3,11,462 ईएससी खरीदने के लिए उत्तरदायी थे चूँकि एक ईएससी का मूल्य एक मीट्रिक टन तेल के समकक्ष होना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अक्टूबर-नवंबर 2021 में आयोजित व्यापार में, ईएससी ₹ 250 पर विपणन हुए थे, परन्तु डिस्कॉम्स ने उक्त दर पर ईएससी क्रय का अवसर खो दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने ईएससी क्रय का कार्य विलम्ब से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम

21 जयपुर डिस्कॉम-28.12 प्रतिशत, अजमेर डिस्कॉम-24.53 प्रतिशत एवं जोधपुर डिस्कॉम-22.80 प्रतिशत।

22 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 220.56 करोड़ (1,19,854 ईएससी * ₹ 18,402), अजमेर डिस्कॉमः ₹ 83.67 करोड़ (45,470 ईएससी * ₹ 18,402) एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 268.92 करोड़ (1,46,138 ईएससी * ₹18,402)।

लिमिटेड को प्रदान किया (दिसंबर 2021)। तथापि, ईएससी का क्रय मार्च 2022 तक नहीं किया गया था।

तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ईएससी के व्यापार हेतु निम्नतम आधार मूल्य, खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य एक मीट्रिक टन तेल के मूल्य के दस प्रतिशत के समकक्ष अर्थात् ₹ 1,840, विनिर्दिष्ट किया (अगस्त 2022)।

इस प्रकार, डिस्कॉम की निष्क्रियता ईएससी क्रय करने हेतु कम से कम ₹ 57.30 करोड़ की देयता, रूढ़िवादी माध्यम से निर्धारित निम्नतम आधार मूल्य पर मूल्यांकित, उत्पन्न कर सकती है।

डिस्कॉम्स मात्र टीएंडडी हानि में लक्षित कमी को प्राप्त करने में ही विफल नहीं रहे, अपितु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, टीएंडडी हानि में कमी लाने में विफलता ईएससी क्रय करने हेतु कम से कम ₹ 57.30 करोड़ की देयता उत्पन्न कर सकती है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2022) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

सतर्कता जांच

3.11 उदय की कार्ययोजना में डिस्कॉम/राजस्थान सरकार द्वारा सतर्कता अभियान चलाने एवं सतर्कता निगरानी समितियों के गठन की परिकल्पना की गई थी। इस संबंध में कमियों/अभावों पर नीचे चर्चा की गई है।

सतर्कता अभियान

3.11.1 उदय की कार्ययोजना के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए विद्युत चोरी की जांच एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक उपखण्ड में एक दल नियुक्त करते हुए सतर्कता अभियान चलाए जाने वांछित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम ने कार्ययोजना में परिकल्पित सतर्कता अभियान के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। तथापि, जयपुर डिस्कॉम ने देर से अप्रैल 2019 में कार्यवाही प्रारंभ की। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2015 से 2021 तक डिस्कॉम्स द्वारा की गई सतर्कता जांच की कुल संख्या में, जैसा कि **अनुबंध–10** में दर्शाया गया है, अत्यधिक कमी (राज्य विधानसभा चुनावों के कारण 2018-19 में असाधारण रूप से कम) हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिस्कॉम्स ने, उदय की कार्ययोजना में की गयी परिकल्पना के अनुसार सतर्कता शाखा एवं ओएंडएम वृत्त के माध्यम से सतर्कता अभियान बढ़ाने के स्थान पर, वास्तव में सतर्कता जांच कम कर दी एवं इसप्रकार अनुमोदित हानि प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी घाटे में कमी सुनिश्चित नहीं कर सके।

साथ ही, 2015-21 के दौरान सतर्कता जांच में पाए गए चोरी के प्रकरणों में देयता राशि के निर्धारण एवं वसूली का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: 2015-21 के दौरान सतर्कता जांच में पाए गए चोरी के प्रकरणों में देयता राशि के निर्धारण एवं वसूली की स्थिति

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	चोरी के पाए गए प्रकरणों की संख्या	निर्धारित देयता राशि	निर्धारण के विरुद्ध वसूली गयी देयता राशि		निर्धारण के विरुद्ध वसूल नहीं की गई देयता राशि	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
जयपुर	434820	929.25	469.27	50.49	459.98	49.51
अजमेर	358464	790.09	427.86	54.15	362.23	45.85
जोधपुर	145557	481.44	217.45	45.17	263.99	54.83
कुल	**938841**	**2200.78**	**1114.58**	**50.64**	**1086.20**	**49.36**

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सतर्कता जांच के दौरान पकड़े गए 9.39 लाख चोरी के प्रकरणों के समक्ष, डिस्कॉम्स ने 2015-21 के दौरान ₹ 2200.78 करोड़ के बकाया का आकलन किया। तथापि, मात्र ₹ 1,114.58 करोड़ की राशि ही वसूल की गई जो कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 50.49 प्रतिशत, 54.15 प्रतिशत और 45.17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य दो डिस्कॉम्स की तुलना में, जोधपुर डिस्कॉम का प्रदर्शन सभी क्षेत्रों यथा सतर्कता जांच, चोरी का पता लगाना एवं निर्धारित राशि की वसूली, में अत्यधिक बुरा था जो कि 2018-19 से लेकर एटीएंडसी घाटे में निरंतर वृद्धि, जैसा कि **अनुच्छेद 5.3** में वर्णित है, में परिवर्तित हुआ। साथ ही, उदय-पूर्व की समयावधि की तुलना में एटीएंडसी घाटे में वृद्धि, योजना से लाभान्वित होने में जोधपुर डिस्कॉम की पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

सरकार/ डिस्कॉम्स ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022)। तथापि, उत्तर सतर्कता जाँच में गिरावट की प्रवृत्ति के विषय में मौन था।

सतर्कता निगरानी समितियों का गठन

3.11.2 उदय की कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रारंभ किए गए सतर्कता अभियानों के आधार पर, प्रत्येक वृत्त द्वारा एटीएंडसी घाटे के संदर्भ में दो सर्वाधिक बुरा प्रदर्शन करने वाले उपखण्डों एवं प्रत्येक उपखण्ड में दो सर्वाधिक प्रभावित भागों की पहचान किया जाना वांछित था। साथ ही, इन पहचाने गए भागों की जांच जिला स्तरीय सतर्कता अभियान निगरानी समिति (डीएलवीडीएमसी) के सहयोग से बाहरी दलों द्वारा की जानी थी। इन अभियानों के कार्यान्वयन एवं परिणाम की निगरानी राज्य स्तरीय सतर्कता अभियान निगरानी समिति (एसएलवीडीएमसी) द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सतर्कता अभियान की निगरानी हेतु मार्च 2022 तक डीएलवीडीएमसी और एसएलवीडीएमसी का गठन नहीं किया गया था। तथापि, तीन सदस्यों[23] वाली एक राज्य स्तरीय समिति का गठन फरवरी 2021 में विलम्ब से किया गया था।

सरकार/ डिस्कॉम्स ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंसा 13: डिस्कॉम्स, विशेषतः जोधपुर डिस्कॉम, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने एवं हानियों को लक्षित सीमा के भीतर तक कम करने के लिए सतर्कता जांच बढ़ा सकते हैं।

सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान का अभाव

3.12 उदय में दिसंबर 2016 तक उन्नत जन-जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विद्युत चोरी की जांच हेतु राज्य के साथ संयुक्त रूप से व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान चलाने की परिकल्पना की गई थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने भी उदय की राज्य कार्ययोजना के दस्तावेज में आईईसी के हस्तक्षेप को सम्मिलित करने हेतु एवं समय-समय पर विद्युत चोरी पर नियंत्रण के लिए आईईसी अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी किये (मई 2016)।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया एवं परिणामस्वरूप राज्य कार्ययोजना में आईईसी के हस्तक्षेपों को सम्मिलित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स के अभिलेखों में जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक आईईसी अभियान चलाने की कोई कार्यवाही नहीं पाई गई।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने विद्युत संबंधी दुर्घटनाओं एवं विद्युत के दुरुपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम/ अभियान आयोजित किए थे।

उत्तर राज्य कार्ययोजना में आईईसी हस्तक्षेपों को सम्मिलित नहीं करने के विषय में मौन था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने जागरूकता कार्यक्रम/ अभियान आयोजित करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

23 अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा मंत्री तथा सदस्य के रूप में उद्योग मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

अध्याय–IV

विद्युत क्रय की लागत का अनुकूलन

अध्याय-IV

विद्युत क्रय की लागत का अनुकूलन

सारांश

उदय में राज्य उत्पादन इकाइयों की दक्षता में सुधार करके विद्युत उत्पादन की लागत में कमी की परिकल्पना की गई थी।

हमने पाया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के विद्युत संयंत्रों का निष्पादन संतोषजनक नहीं था क्योंकि 2015-21 के दौरान निर्धारित मानदंडों से स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) अधिक थी जबकि संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) कम रहा।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को पीपीए प्रबंधन, विद्युत व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाने एवं सुव्यवस्थित करने तथा विद्युत क्रय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दिसम्बर 2015 में निगमित किया गया था। तथापि, आरयूवीएनएल परिकल्पना के अनुसार संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि इसका गठन संचालन के अपेक्षित तौर-तरीकों को दृष्टिगत रखे बिना किया गया था। परिणामस्वरूप, इसके गठन का उद्देश्य विफल हो गया था।

विद्युत क्रय के स्त्रोत

4.1 डिस्कॉम्स दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों, राज्य स्वामित्व वाले राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) के तापीय विद्युत संयंत्रों, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों (एनसीईएस) एवं वैयक्तिक विद्युत उत्पादनकर्ताओं (आईपीपी) से विद्युत क्रय करते हैं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स अल्पकालिक आधार पर कैप्टिव विद्युत उत्पादनकर्ताओं (सीपीपी), द्विपक्षीय एवं व्यापार सौदों तथा ऊर्जा विनिमय केंद्र के माध्यम से विद्युत क्रय करते हैं। 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई विद्युत का स्त्रोतानुसार विवरण (जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है) से इंगित हुआ कि डिस्कॉम्स द्वारा 98 प्रतिशत विद्युत दीर्घकालिक पीपीए के अंतर्गत क्रय की गई थी।

चार्ट संख्या 4.1: 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई विद्युत के स्रोत

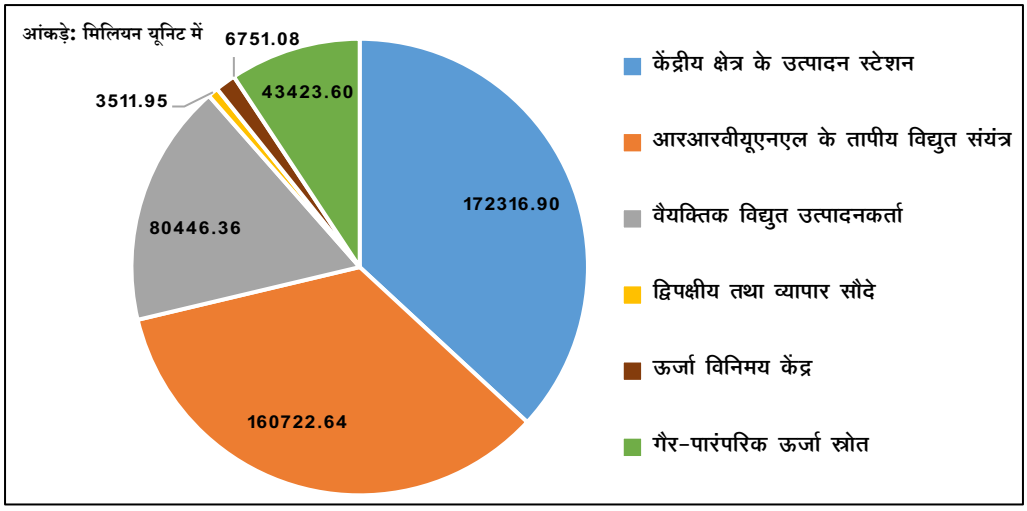

स्रोत: डिस्कॉम्स/आरयूवीएनएल द्वारा प्रदत्त सूचना।

विद्युत लागत को कम/अनुकूलित करने हेतु कदम

4.2 उदय के वाक्यांश 5.3 एवं एमओयू के साथ संलग्न कार्ययोजना के अनुसार, राज्यों/ डिस्कॉम्स/आरआरवीयूएनएल/ राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) द्वारा विद्युत की लागत को कम करने एवं विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी:

i. डिस्कॉम्स द्वारा पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्रत्याशित विद्युत क्रय करना;
ii. राज्य की उत्पादन इकाइयों की दक्षता में सुधार करना;
iii. विद्युत क्रय प्रबंधन के माध्यम से विद्युत क्रय लागत का अनुकूलन करना;
iv. अल्पकालिक विद्युत का क्रय करना; एवं
v. वरियता क्रम की ठोस पालना करना।

विद्युत की लागत में कमी एवं विद्युत क्रय लागत के अनुकूलन में पायी गई कमियों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

विद्युत क्रय की लागत एवं राज्य की उत्पादन इकाइयों की दक्षता

4.3 लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआरवीयूएनएल से प्रति इकाई क्रय लागत (2015-21 के दौरान कुल हिस्सेदारी का 34.40 प्रतिशत[1]) 2015-16 से 2020-21 के दौरान एनसीईएस के अतिरिक्त अन्य स्रोतों की तुलना में महंगी थी, जैसा कि **अनुबंध-11** में दर्शाया गया है।

1 2015-21 के दौरान आरआरवीयूएनएल के सभी विद्युत संयंत्रों से क्रय की विद्युत/2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा कुल विद्युत क्रय*100

आरआरवीयूएनएल के सभी चार उत्पादन स्टेशनों की प्रति इकाई उत्पादन लागत **अनुबंध-12** में दर्शाई गई है ।

जैसा कि **अनुबंध-12** से देखा जा सकता है कि 2016-17, 2019-20 एवं 2020-21 में केएसटीपीएस तथा 2016-19 में एसएसटीपीएस के अतिरिक्त, सभी चारों उत्पादन स्टेशनों[2] की स्टेशन ऊष्मा दर (एसएचआर) आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों से सदैव अधिक थी। मानदंडों से अधिक एसएचआर के कारण इन तापीय स्टेशनों में कोयले की अत्यधिक खपत हुई और तदनुसार उत्पादन की लागत अधिक थी। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018-19 में सीटीपीपी को छोड़कर, सभी चारों उत्पादन स्टेशनों का 2015-21 के दौरान संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) लक्षित पीएलएफ से कम था। कम पीएलएफ ने यह इंगित किया कि संयंत्रों का उनकी इष्टतम क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया था एवं इस प्रकार उत्पादित विद्युत की प्रति इकाई लागत बढ़ गई थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2015-21 के दौरान लक्षित पीएलएफ की उपलब्धि नहीं होने के कारण, आरआरवीयूएनएल के सभी विद्युत संयंत्र आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम 2014 एवं 2019 (विनियम 2014/2019) के तहत निर्धारित किसी भी प्रोत्साहन (2018-19 के ट्रू-अप ऑर्डर के तहत सीटीपीपी को ₹ 4.82 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को छोड़कर) से वंचित रह गए थे।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि आरआरवीयूएनएल एवं केंद्रीय क्षेत्र से विद्युत वरीयता क्रम प्रेषण (एमओडी[3]) के अनुसार अनुसूचित की जाती है। इसने आगे कहा कि यदि संयंत्र उपलब्ध हैं लेकिन एमओडी में अनुसूचित नहीं किए जाते हैं तो स्थाई शुल्क का भुगतान करना होगा।

साथ ही, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा विद्युत अनुसूचित नहीं किए जाने के कारण पीएलएफ कम था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि एसएलडीसी द्वारा संयंत्रों हेतु उत्पादन अनुसूची परिवर्तनीय शुल्क के आधार पर निर्णित की जाती है। तथापि, आरआरवीयूएनएल परिवर्तनीय शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए परिचालन दक्षता सुनिश्चित नहीं कर सका। साथ ही, यह उच्च एसएचआर के संबंध में मौन था।

अनुशंषा 14: आरआरवीयूएनएल अपने विद्युत संयंत्रों के प्रदर्शन में सुधार हेतु एसएचआर को मानदंडों के भीतर रखने एवं पीएलएफ बढ़ाए जाने के संबंध में उचित कदम उठा सकता है।

2 कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र (केएसटीपीएस), सूरतगढ़ सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र (एसएसटीपीएस), छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र (सीटीपीपी) और कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र (केटीपीपी)।

3 एमओडी वह क्रम है जिसमें ऊर्जा संयंत्रों का उनके परिवर्तनीय शुल्कों के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है।

विद्युत क्रय प्रबंधन

विद्युत क्रय प्रबंधन हेतु नवीन उपक्रम का निगमन

4.4 दक्षता में सुधार एवं विद्युत क्रय (पीपीए प्रबंधन सहित), विद्युत व्यापार, विद्युत क्रय दक्षता पर ध्यान बढ़ाने, दीर्घकालिक कर्मचारी व्यवस्था के माध्यम से बेहतर संस्थागत व्यवस्था तथा विशेषज्ञों की सेवाओं को लेने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने एक नई कंपनी-राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (आरयूवीएनएल) को निगमित किया (दिसंबर 2015)। पूर्व में, डिस्कॉम्स विद्युत क्रय गतिविधि को राजस्थान डिस्कॉम्स विद्युत प्रापण केन्द्र नामित एक सामूहिक प्रकोष्ठ के माध्यम से करते थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरयूवीएनएल ने सीईआरसी विनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार व्यापार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया (मार्च 2017)। तदोपरांत, राजस्थान सरकार ने आरयूवीएनएल को व्यापार अनुज्ञापत्र की आवश्यकता के बिना थोक विद्युत क्रय एवं विक्रय का कारोबार करने में समर्थ बनाने हेतु राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में सुधार स्थानांतरण योजना, 2000 में संशोधन किया (जुलाई 2019)। राजस्थान सरकार ने डिस्कॉम्स को पीपीए/ प्रसारण सेवा अनुबंध (टीएसए) आरयूवीएनएल को हस्तांतरित करने एवं विद्युत उत्पादकों/ प्रसारण सेवा प्रदाताओं को अक्टूबर 2019 से बिल आरयूवीएनएल के नाम से जारी किए जाने हेतु सूचित करने का भी निर्देश दिया (अगस्त 2019)। आरयूवीएनएल ने मानद अनुज्ञाधारी[4] के रूप में अपने नाम पर विद्युत क्रय से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए कार्ययोजना अनुमोदित की (अगस्त 2019)।

अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार, डिस्कॉम्स को विद्युत उत्पादकों की चालू देनदारी को चुकाने के लिए, अपनी दैनिक प्राप्तियों के निश्चित प्रतिशत के आधार पर, एस्क्रो प्रबंधन के माध्यम से दैनिक आधार पर आरयूवीएनएल को निधि हस्तांतरित करनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार ने कार्ययोजना के कार्यान्वयन को मार्च 2020 तक के लिए आस्थगित कर दिया था (अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020) क्योंकि डिस्कॉम्स अपने रोकड़ प्रवाह में सारभूत अंतर एवं ऋण सेवा के रूप में महत्वपूर्ण भुगतान देनदारियों को नियत तिथि पर पूर्ण करने में असमर्थ होने के कारण आरयूवीएनएल को दैनिक प्राप्तियों पर एस्क्रो सुविधा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरयूवीएनएल को कंपनी में रोकड़ प्रवाह के परिचालन तौरतरीकों का पूर्वानुमान किए बिना संचालित किया गया था। साथ ही, आरयूवीएनएल को सही भावना से संचालित नहीं किया गया था एवं मार्च 2021 तक विद्युत क्रय से सम्बंधित समस्त लेनदेन

4 राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में सुधार स्थानांतरण योजना 2000, (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अनुसार) के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

डिस्कॉम्स के नाम पर किए गए थे क्योंकि कार्ययोजना को आस्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, आरयूवीएनएल द्वारा डिस्कॉम्स से ₹ 101.42 करोड़ का प्रशासनिक व्यय वसूल किया गया था, जिस पर 2016-22 के दौरान सेवा कर (जून 2017 तक) तथा वस्तु एवं सेवा कर (जुलाई 2017 से) की ₹ 12.51 करोड़ देनदारी भी उत्पन्न हुई।

इस प्रकार, पीपीए प्रबंधन सहित विद्युत क्रय, विद्युत व्यापार संबंधी सभी प्रक्रियाओं को एक साथ लाने एवं सुव्यवस्थित करने तथा विद्युत क्रय दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आरयूवीएनएल को निगमित करने का उद्देश्य विफल हो गया था।

डिस्कॉम्स ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि आरयूवीएनएल, जब भी एक स्वतंत्र ऊर्जा व्यापार कंपनी के रूप में अपने नाम से काम करना शुरू करेगी, विद्युत के विक्रय पर जीएसटी प्रभारित नहीं होगा। सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत किए गये उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंषा 15: आरयूवीएनएल अपने निगमन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकता है।

आरईआरसी द्वारा व्यय की अस्वीकृति

4.5 आरईआरसी ने 2015-19 की अवधि हेतु वितरण हानियों में कमी के लिए प्रक्षेपपथ को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2015)। साथ ही, आरईआरसी ने उदय/एमओयू के अंतर्गत डिस्कॉम्स द्वारा प्रतिबद्ध हानियों की अनुपालना में 2016-19 की अवधि के लिए वितरण हानियों के प्रक्षेपपथ को संशोधित किया (नवंबर 2017) (जैसा कि **अनुच्छेद 5.3.1** में दर्शाया गया है)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण हानि में आरईआरसी द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक वृद्धि के कारण आरईआरसी ने विद्युत के अतिरिक्त क्रय के पेटे 2015-21 हेतु डिस्कॉम्स के ₹ 11,980.98 करोड़[5] रुपये के व्यय को अस्वीकृत कर दिया। आरईआरसी ने व्यय को अस्वीकृत करते हुए कहा कि विभिन्न हानि कटौती योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त निवेश करने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स उदय के अंतर्गत अनुमोदित/संशोधित हानि कटौती प्रक्षेपपथ के अनुसार हानियों को कम नहीं कर सके। साथ ही, डिस्कॉम्स मीटरिंग, बिलिंग एवं संग्रहण इत्यादि गतिविधियों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित नहीं कर सके एवं इसलिए, अपेक्षित निवेश की अनुमति के पश्चात भी डिस्कॉम्स द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ताओं पर भार नहीं डाला जाना चाहिए। तदनुसार, आरईआरसी ने डिस्कॉम द्वारा की गई वास्तविक हानियों के स्थान पर इसके द्वारा अनुमोदित लक्षित हानियों पर आधारित ऊर्जा आवश्यकता की अनुमति दी। इस प्रकार,

5 जयपुर डिस्कॉम: ₹ 5918.47 करोड़, अजमेर डिस्कॉम: ₹ 2172.67 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉम: ₹ 3889.84 करोड़।

परिचालन दक्षता में सुधार नहीं होने एवं आरईआरसी/उदय द्वारा तय किए गए प्रक्षेपपथ के अनुसार हानियों में कमी नहीं होने से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी द्वारा निर्दिष्ट हानि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पूर्ण प्रयास किए थे तथा इस संबंध में कई उपाय एवं योजनाएं शुरू की गई हैं।

ईंधन अधिभार

4.6 आरईआरसी के विनियम (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) 2014/2019 के वाक्यांश 88 में डिस्कॉम द्वारा अपने उपभोक्ताओं से किसी भी तिमाही के लिए वसूल किए जाने वाले ईंधन अधिभार (एफएस) की गणना के लिए एक सूत्र निर्दिष्ट किया गया था। साथ ही, निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार वसूली योग्य कुल ईंधन अधिभार, वास्तविक विक्रय से वसूल किया जाना था एवं बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यह ऐसे उपभोक्ताओं को किए गए अनुमानित विक्रय के आधार पर वसूल किया जाना था।

ईंधन अधिभार की गणना एवं प्रभारित किए जाने से संबंधित 2015-21 की अवधि के अभिलेखों की समीक्षा से उजागर हुआ कि:

- सात से दस तिमाहियों[6] में, डिस्कॉम्स ने ईंधन अधिभार प्रभारित किए जाने हेतु आदेश 4 से 226 दिवस के मध्य विलंब से जारी किए;
- ईंधन अधिभार विगत तिमाही के उपभोग पर वसूला जाना था। तथापि, अजमेर डिस्कॉम ने 2016-17 की प्रथम एवं चतुर्थ तिमाही हेतु ईंधन अधिभार विगत तिमाहियों के स्थान पर चालू तिमाहियों के उपभोग के आधार पर वसूल किया एवं इस प्रकार उपभोक्ताओं से ₹ 2.31 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.1: उपभोक्ता से वसूली गई अतिरिक्त राशि का विवरण

वर्ष (तिमाही)	एफएस दर	आदेश दिनांक	गत तिमाही का उपभोग	चालू तिमाही का उपभोग	अंतर	अतिरिक्त वसूली
2016-17	**₹ प्रति यूनिट**		**(एमयू)**	**(एमयू)**	**(एमयू)**	**(₹ करोड़ में)**
प्रथम	0.01	17 नवंबर 2016	3406.95	3434.34	27.39	0.03
चतुर्थ	0.11	25 अक्टूबर 2017	3403.87	3611.87	208.00	2.28
योग						**2.31**

स्रोत: अजमेर डिस्कॉम के अभिलेख।

6 जयपुर डिस्कॉम: 10 तिमाही, अजमेर डिस्कॉम: 9 तिमाही एवं जोधपुर डिस्कॉम: 7 तिमाही।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने समय पर आदेश जारी किए जाने के पूर्ण प्रयास किए। तथापि, संग्रहण, समीक्षा एवं आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने हेतु आंकड़ों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण आदेशों को जारी करने में विलंब हुआ।

तथ्य तथापि यही रहा कि आदेशों को जारी किए जाने में विलंब के कारण ईंधन अधिभार की वसूली में विलंब हुआ।

नवीकरणीय क्रय दायित्व

4.7 उदय के वाक्यांश 9 के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से तय की जाने वाली अवधि के भीतर, 1 अप्रैल 2012 से बकाया नवीकरणीय क्रय दायित्वों (आरपीओ[7]) की पालना की जानी आवश्यक थी।

आरपीओ हेतु नियामक तंत्र नीचे वर्णित है:

विनियमन	वाक्यांश	प्रावधान
आरईआरसी (आरपीओ) विनियमन 2007	**4**	**2007-08 हेतु नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का न्यूनतम (4.88 प्रतिशत) क्रय दायित्व जिसे वर्ष 2011-12 के लिए आगे 9.50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।**
	5	**आरई दायित्व को पूर्ण किए जाने में कोई भी कमी हेतु 2007-08 में डिस्कॉम द्वारा ₹ 3.59/केडब्ल्यूएच की दर से आरई अधिभार भुगतान करना था जो संशोधित होने तक जारी रहना था।**
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र एवं नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालना तंत्र) विनियमन, 2010	**4(अ)**	**बाध्य इकाई दायित्व के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत क्रय करेगी।**
	9	**यदि बाध्य इकाई निर्दिष्ट आरपीओ को पूर्ण नहीं करती है, तो आयोग बाध्य इकाई को आरपीओ की इकाइयों में कमी के आधार पर इसके द्वारा निर्धारित आरपीओ प्रभार एवं केंद्रीय आयोग द्वारा तय किए गए सहनशीलता मूल्य[8] को एक पृथक कोष में जमा करने का निर्देश दे सकता है।**
	9 उपांतरित	**चूक वाली बाध्य संस्थाओं को मूल्यांकन वर्ष के 30 नवंबर तक, संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लागू सौर या गैर-सौर आरईसी की कमी एवं सहनशीलता मूल्य के उत्पाद के बराबर आरपीओ प्रभारों का भुगतान करना होगा।**

7 आरपीओ अधिदेशित करता है कि सभी डिस्कॉम्स अपनी आवश्यकताओं की एक न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से क्रय अथवा उत्पादित करें।

8 जुलाई 2020 से सौर एवं गैर-सौर आरईसी के लिए ₹ 1000/मेगावाट।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, डिस्कॉम्स, 2019-20 के दौरान सौर ऊर्जा के प्रकरण को छोड़कर, 2011-21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि **अनुबंध-13** में दर्शाया गया है। विनियम के अनुसार, 13,105.02 एमयू की समग्र कमी को या तो ₹ 1,310.50 करोड़ मूल्य के आरपीओ के क्रय के माध्यम से पूर्ण किया जाना वांछित था या चालू सहनशीलता मूल्य की राशि को पृथक खाते में जमा करवाई जानी थी।

आरईआरसी ने डिस्कॉम्स को उक्त कमी को रिवर्स बिडिंग[9] के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदकर अगले पांच वर्षों में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया (नवंबर 2017)। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने आरईआरसी द्वारा पारित आदेश पर कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी। आरईआरसी ने डिस्कॉम को आगामी तीन वर्षों में कमी को पूर्ण किए जाने हेतु पुनः निर्देशित किया (अक्टूबर 2020)। तथापि, विनियम के अनुसार आरपीओ को क्रय किए जाने अथवा पृथक खाते में चालू सहनशीलता मूल्य पर निर्दिष्ट राशि को जमा किए जाने के संबंध में की गई कोई कार्यवाही डिस्कॉम्स के अभिलेखों नहीं पायी गई थी।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स ने बकाया आरपीओ के संबंध में उदय के प्रावधान की पालना नहीं की थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स की ओर से, आरयूवीएनएल ने आरपीओ की कमी को माफ करने हेतु आरईआरसी के समक्ष एक याचिका दायर की थी। आरईआरसी ने अपने आदेश (दिसंबर 2021) में आदिनांक तक संचित आरपीओ शेष के साथ-साथ भविष्य के आरपीओ लक्ष्यों को 2023-24 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया है। आरयूवीएनएल/डिस्कॉम्स ने आरपीओ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपेक्षित मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा क्रय करने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक विद्युत विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

9 रिवर्स बिडिंग एक ऐसी विधि है जिसमें विक्रेता उन कीमतों के लिए बोली लगाते हैं जिन पर वे अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के इच्छुक होते हैं।

अध्याय–V

उदय का परिणाम

अध्याय-V

उदय का परिणाम

सारांश

तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का समावेश एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ बनाता हैं, इसलिए दोनों प्रकार की हानियों को नियंत्रित करने एवं उससे एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार किया जाना अनिवार्य है।

उदय में परिकल्पित विभिन्न वित्तीय एवं परिचालन गतिविधियों का लक्ष्य, एटीएंडसी हानियों को 2018-19 तक 15 प्रतिशत तक कम करना तथा डिस्कॉम्स की आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर) के मध्य अंतर को 2018-19 तक समाप्त करना था।

हमने पाया कि जयपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम्स, 2015-16 से 2020-21 के दौरान अपनी एटीएंडसी हानियों को अत्यधिक कम करने के उपरांत भी, एटीएंडसी हानि में लक्षित कमी किए जाने में पिछड़ गये। इसके विपरीत, 2016-18 के दौरान एटीएंडसी हानि में नगण्य कमी के पश्चात जोधपुर डिस्कॉम की स्थिति और खराब हो गई एवं 2018-21 के दौरान एटीएंडसी हानियों ने 2015-16 के हानि के स्तर को चिंताजनक रूप से पार कर दिया। परिणामस्वरूप, कोई भी डिस्कॉम लक्षित एटीएंडसी हानियों, जैसा कि उदय/एमओयू के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, को प्राप्त नहीं कर सका।

तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी डिस्कॉम (2017-18 तथा 2019-20 में जयपुर डिस्कॉम एवं 2017-18 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सका। जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति एक चिंता का कारण थी क्योंकि 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में एसीएस एआरआर से सारभूत रूप से अधिक रहा।

यद्यपि उदय के कार्यान्वयन से डिस्कॉम्स के ऋण ₹ 80,529.90 करोड़ (सितंबर 2015) से सारभूत रूप से घटकर ₹ 48,309.09 करोड़ (मार्च 2020) हो गए थे, परन्तु नए ऋण लिए जाने के कारण, डिस्कॉम्स का ऋण भार पुनः बढ़कर ₹ 52,799.02 करोड़ हो गया (मार्च 2021)।

वितरण क्षेत्र में विगत सुधार

5.1 2001-14 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व में सुधार करने हेतु वितरण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर परिचालन दक्षता में वृद्धि करने

एवं एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं/केंद्र प्रायोजित योजनाएं[1] प्रारंभ की। इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त होने एवं 2011-15 के दौरान सारभूत पूंजीगत व्यय (₹ 13,246.33 करोड़) किए जाने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था।

वर्ष 2014-15 के अंत तक, डिस्कॉम्स का संचित घाटा ₹ 81,411.30 करोड़[2] पहुँच गया। विगत देनदारियों को चुकाने के लिए, डिस्कॉम्स ने बड़े ऋण उठाए एवं इसलिए 2014-15 के दौरान उनकी कुल ब्याज देनदारी ₹ 8,254 करोड़ (₹ 1.79 प्रति विक्रय की गई विद्युत की यूनिट के बराबर) थी।

चूंकि डिस्कॉम्स गंभीर वित्तीय तनाव से जूझ रहे थे एवं राजस्व घाटा/संचित हानियों को ध्यान में रखते हुए, डिस्कॉम्स ने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा वित्तीय कायाकल्प का प्रयास करने के लिए उदय को चुना।

उदय का परिणाम

परिचालन परिणाम

5.2 उदय के वाक्यांश 4.3 में प्रावधान था कि परिचालन सुधार के परिणामों को निम्न के माध्यम से मापा जाएगाः

- हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार, 2018-19 में एटीएंडसी हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक करना; एवं
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के मध्य अंतर को 2018-19 तक शून्य करना।

एटीएंडसी हानियों में कमी

5.3 उदय ने 2018-19 में एटीएंडसी हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक किए जाने की परिकल्पना की थी एवं उसके पश्चात के हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। किसी निर्धारित लक्ष्य/प्रक्षेपवक्र के अभाव में, 2018-19 के लिए लक्षित एटीएंडसी हानि (15 प्रतिशत) को ही 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि हेतु भी लक्ष्य माना गया था।

---

1 त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम; राज्य विद्युत मंडल के बकाया का निपटान; त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम; राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना; पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम; वित्तीय पुनर्गठन योजना-2012; एकीकृत विद्युत विकास योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

2 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 27,831.09 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 26,843.76 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 26,736.45 करोड़।

2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए डिस्कॉम-वार लक्ष्य के समक्ष वास्तविक एटीएंडसी हानि को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया हैं:

चार्ट संख्या 5.1: डिस्कॉम-वार लक्ष्य के समक्ष वास्तविक एटीएंडसी हानि

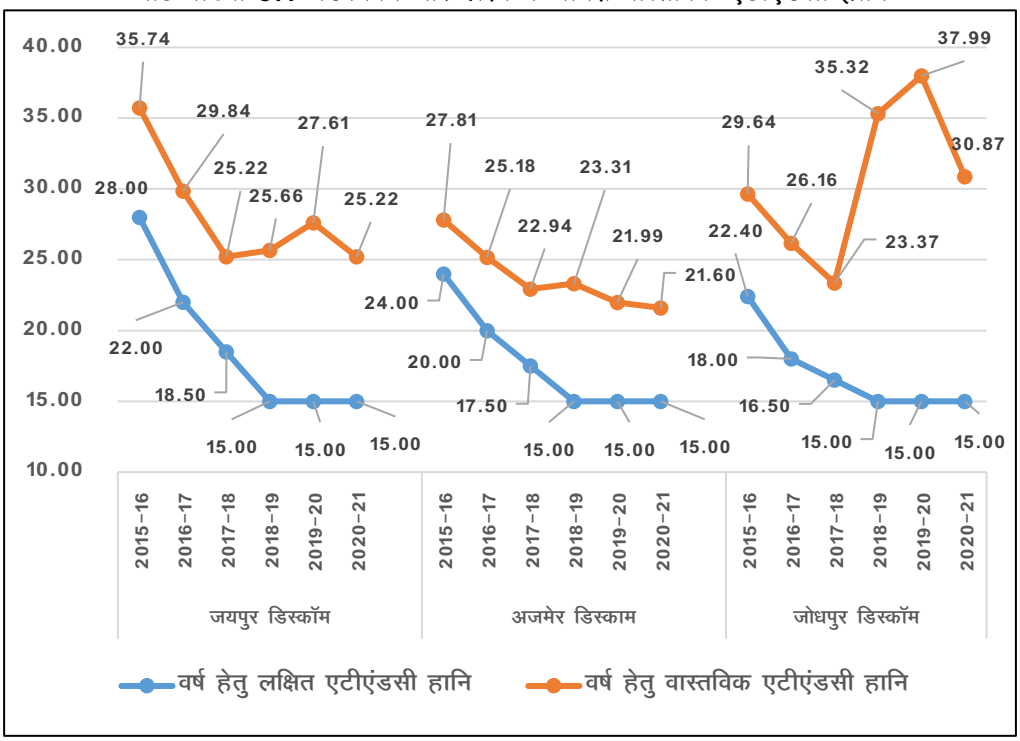

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम्स, 2015-16 से 2020-21 के दौरान अपने एटीएंडसी हानियों को अत्यधिक कम करने के उपरांत भी, एटीएंडसी हानि में लक्षित कमी किए जाने में पिछड़ गये। इसके विपरीत, 2016-18 के दौरान एटीएंडसी हानि में नगण्य कमी के पश्चात जोधपुर डिस्कॉम की स्थिति और खराब हो गई एवं 2018-21 के दौरान एटीएंडसी हानियों ने 2015-16 के हानि स्तर को चिंताजनक रूप से पार कर दिया। परिणामस्वरूप, कोई भी डिस्कॉम लक्षित एटीएंडसी हानियों, जैसा कि उदय/एमओयू के अंतर्गत निर्धारित की गई, को प्राप्त नहीं कर सका।

एटीएंडसी हानि, ऊर्जा हानि (टीएंडडी हानि) एवं वाणिज्यिक हानि का एक संयोजन है। इसलिए, उच्च एटीएंडसी हानि के कारणों की पहचान करने के लिए डिस्कॉम्स की टीएंडडी हानि, बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता का विश्लेषण किया जाना उपयोगी है। इस पर चर्चा आगामी **अनुच्छेदों 5.3.1 से 5.3.3** में की गई है।

तकनीकी एवं वितरण हानि

5.3.1 डिस्कॉम द्वारा एमओयू के तहत प्रतिबद्ध तकनीकी एवं वितरण (टीएंडडी) हानियों के लक्ष्यों के साथ-साथ 2015-16 से 2020-21 के दौरान उनके समक्ष उपलब्धि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट सं. 5.2: डिस्कॉम्स-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक टीएंडडी हानि

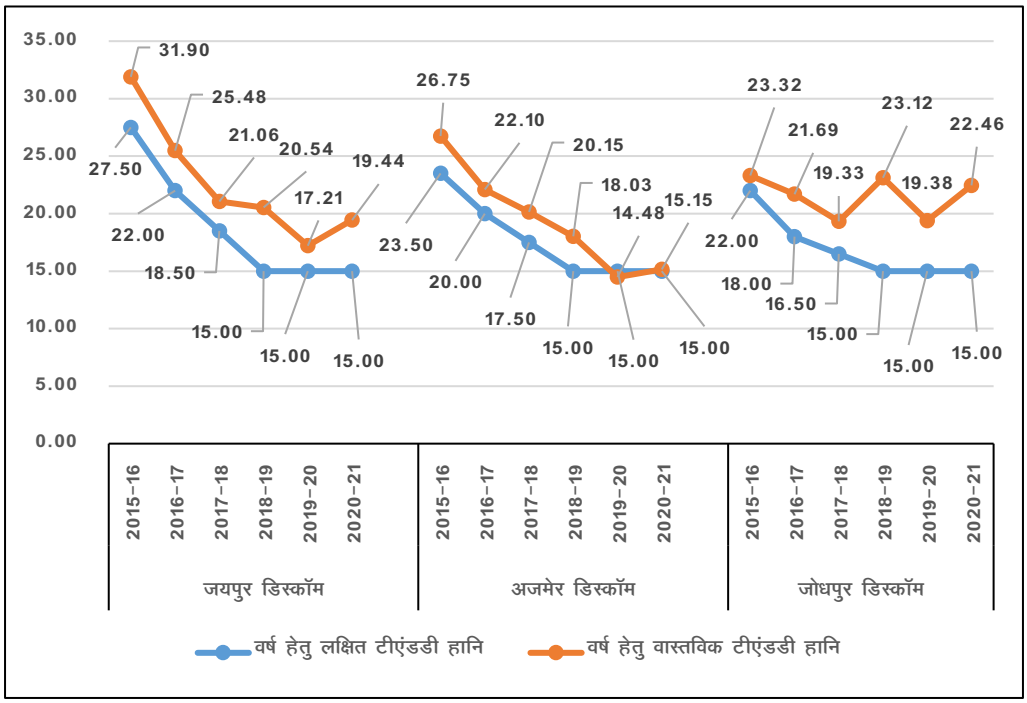

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2019-20 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान टीएंडडी हानियों में लक्षित कमी को प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स विद्युत की चोरी एवं बिलिंग अक्षमताओं पर अंकुश नहीं लगा सके। सुधार की कमी मुख्य रूप से संरचनात्मक सुधारों यथा, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग, उपभोक्ताओं की अनुक्रमणिका तथा जीआईएस द्वारा मानचित्रण, स्मार्ट/उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचे को अपनाना, ट्रांसफार्मर तथा मीटर को उन्नत करना/बदलना इत्यादि की धीमी गति के कारण थी जैसा कि **अध्याय-III** में चर्चा की गई है।

बिलिंग दक्षता

5.3.2 2015-16 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा एमओयू के तहत प्रतिबद्ध बिलिंग दक्षता[3] के लक्ष्य एवं उनके समक्ष उपलब्धि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

3 यह किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोक्ताओं को बिल (मीटर वाली व बिना मीटर वाली दोनों विक्रय सम्मिलित है) की गई ऊर्जा के अनुपात का एक संकेतक है ।

चार्ट संख्या 5.3: डिस्कॉम-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक बिलिंग दक्षता

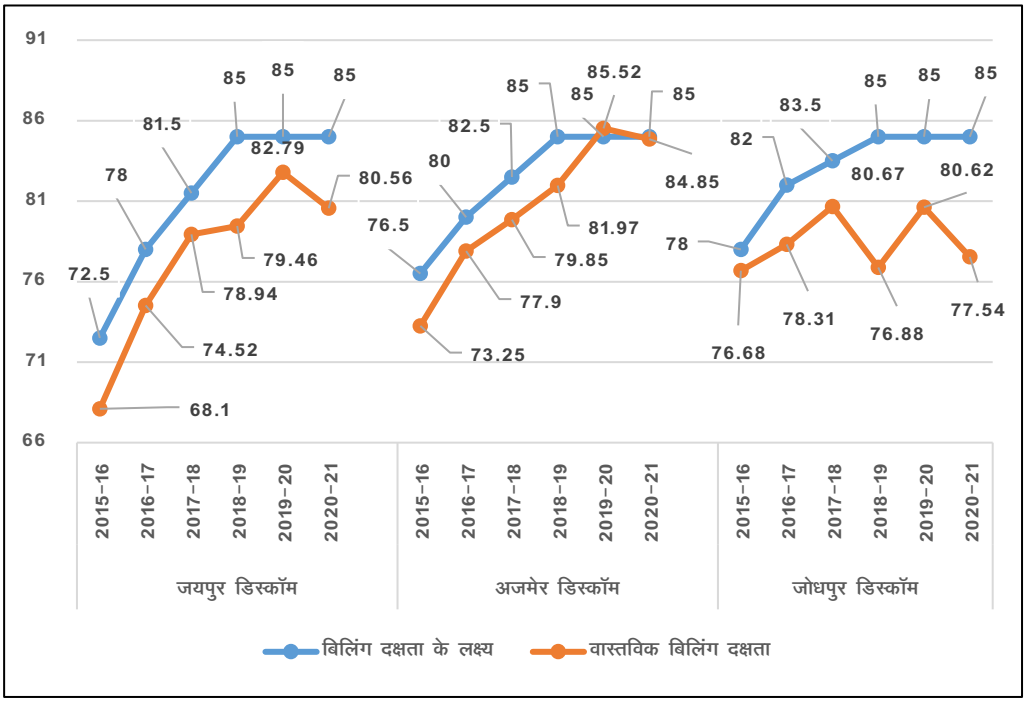

स्रोत: एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्षित स्तर तक टीएंडडी हानियों में कमी नहीं होने के कारण, तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2019-20 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान एमओयू के तहत प्रतिबद्ध बिलिंग दक्षता को प्राप्त नहीं कर सका।

संग्रहण क्षमता

5.3.3 एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स को 2015-16 में 99.50 प्रतिशत संग्रहण दक्षता[4] एवं उसके पश्चात 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता प्राप्त करनी थी। 2015-21 के दौरान डिस्कॉम-वार वास्तविक संग्रहण दक्षता नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

4 यह उपभोक्ताओं से उन्हें बिल की गई राशि के संबंध में संग्रहित राशि के अनुपात का एक संकेतक है। यह बकाया भुगतान में चूक करने की उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है।

चार्ट संख्या 5.4: डिस्कॉम-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक संग्रहण दक्षता

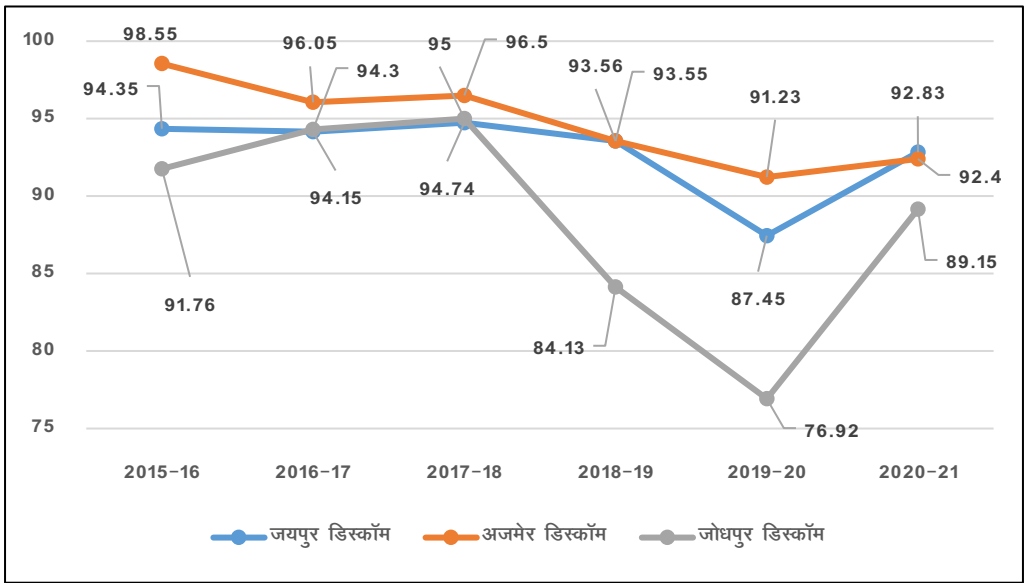

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीनों डिस्कॉम्स की संग्रहण दक्षता 2015-21 के दौरान बिगड़ गई थी। परिणामस्वरूप, 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता प्राप्त किए जाने का अंतर बढ़ गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-21 के दौरान, जयपुर डिस्कॉम (2016-18 के दौरान) एवं जोधपुर डिस्कॉम (2015-16 तथा 2018-21 के दौरान) की संग्रहण दक्षता बहुत खराब थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के मुख्य भाग का अधिग्रहण करने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स को गंभीर तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं विद्युत क्रय देयताओं के भुगतान में विलंब के कारण शास्तियां भी वहन करनी पड़ी जैसा कि **अनुच्छेद 2.6.4** में चर्चा की गई है।

एसीएस-एआरआर के अंतर में कमी

5.4 एसीएस-एआरआर के अंतर[5] को कम करने में कमियों/विसंगतियों पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

(ए) एमओयू में एसीएस-एआरआर में अंतर के अनुमानों का निर्धारण

उदय दिशानिर्देशों के वाक्यांश 4.3 के अनुसार, डिस्कॉम्स को एसीएस एवं एआरआर के मध्य अंतर को 2018-19 तक शून्य करना था, जैसा कि एमओपी एवं राज्यों द्वारा निर्धारित किया गया था।

5 एसीएस-एआरआर अंतर क्रय/विक्रय की गई ऊर्जा की प्रत्येक इकाई की लागत एवं राजस्व वसूली में अंतर को इंगित करता है। अधिक एसीएस हानि को इंगित करता है जबकि अधिक एआरआर लाभ को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओयू (जनवरी 2016) में एसीएस-एआरआर का अंतर 2015-16 से 2018-19 की अवधि हेतु अनुमानित किया गया था। अनुमान कुल आय में सरकार से प्राप्य टैरिफ सब्सिडी को विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व का भाग मानते हुए लगाए गए थे। विभिन्न राज्यों द्वारा एसीएस-एआरआर अंतर की गणना के लिए अपनाई गई पद्धतियों में विसंगतियों को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एसीएस-एआरआर में अंतर की गणना हेतु एक पद्धति निर्धारित एवं प्रसारित की (अगस्त 2017), जैसी कि नीचे दर्शाई गई है:

आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	**राशि में कुल व्यय/कुल आगत ऊर्जा इकाइयाँ,** जहां कुल आगत ऊर्जा से आशय, प्रसारण हानियों, अंतर-राज्यीय विक्रय या व्यापार की गई ऊर्जा इत्यादि जैसे समायोजन करने से पूर्व की आगत ऊर्जा से है।
औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर)	**{विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व में से बुक की गई सब्सिडी को घटाकर एवं प्राप्त सब्सिडी + अन्य आय को जोड़कर}/ कुल आगत ऊर्जा इकाइयां**
एसीएस-एआरआर अंतर	**एआरआर में से एसीएस को घटाकर**

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओयू में अनुमान एमओपी द्वारा पद्धति निर्धारित किए जाने से पूर्व की पद्धति का उपयोग करके लगाए गए थे, जिसमें संबंधित वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के स्थान पर सरकार से प्राप्य टैरिफ सब्सिडी सम्मिलित थी। इस प्रकार, अनुमानों ने सही अनुमानों को प्रतिबिंबित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानों को संशोधित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स के अनुमान इस आधार पर लगाए गए थे कि उदय के तहत राजस्थान सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण के पेटे ब्याज का कोई भार नहीं होगा एवं वित्तीय वर्ष 2017 के पश्चात से कोई नकद सहायता तथा हानि की सब्सिडी नहीं होगी। अनुमानों में यह विचार ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों/पद्धतियों के अनुसार नहीं थे।

(बी) एसीएस-एआरआर का अंतर समाप्त नहीं होना

उदय दिशानिर्देशों के वाक्यांश 4.3 (बी) के अनुसार, परिचालन दक्षता के समग्र परिणाम एसीएस-एआरआर के अंतर में कमी के माध्यम से मापे जाने थे। साथ ही, एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स को 2018-19 एवं उसके आगे से एसीएस-एआरआर के बीच अंतर को समाप्त करना था।

एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस, एआरआर और एसीएस-एआरआर अंतर के समक्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार तथा 2015-21 के दौरान लेखों के अनुसार वास्तविक एसीएस-एआरआर के अंतर को **अनुबंध-14** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2017-18 में जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स को छोड़कर) वर्ष 2018-19 तक एसीएस-एआरआर के अंतर[6] को समाप्त नहीं कर सका। साथ

6 एमओपी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार एसीएस -एआरआर अंतर।

ही, 2019-21 के दौरान, दो डिस्कॉम्स (अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम) एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सके, जबकि जयपुर डिस्कॉम केवल 2019-20 में एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त कर सका।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स उदय सब्सिडी के क्रमशः ₹ 4,164 करोड़ एवं ₹ 3,986 करोड़ के कारण, 2017-18 में एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त कर सके तथा क्रमशः केवल ₹ 943 करोड़ एवं ₹ 1,199 करोड़ का लाभ दर्ज कर पाए। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति एक चिंता का विषय थी क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा ऋण का अधिग्रहण करने एवं इसके एक हिस्से को राजस्व सब्सिडी में परिवर्तित करने के उपरांत भी, 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में एसीएस एआरआर से सारभूत रूप से अधिक रहा। एसीएस-एआरआर का अंतर समाप्त न होने के मुख्य कारण, विद्युत क्रय की उच्च लागत एवं राजस्थान सरकार से रियायती उपभोक्ताओं की टैरिफ सब्सिडी का प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना थे।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स, राजस्थान सरकार द्वारा उनकी ऋण देयता के 75 प्रतिशत अधिग्रहण के समक्ष, उदय के तहत ₹ 62,421.96 करोड़ की वित्तीय सहायता (पूंजीः ₹ 15,605.49 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 46,816.47 करोड़) प्राप्त होने के उपरांत भी एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त नहीं कर सके, जैसा कि उदय के तहत परिकल्पित किया गया था।

डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प

5.5 भारत सरकार ने उदय को इन अपेक्षाओं के साथ प्रारंभ किया था कि यह डिस्कॉम्स को स्थायी आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर उनकी वित्तीय स्थिति को बदलने में सहायक होगी। डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर उदय के प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है।

डिस्कॉम्स की लाभप्रदता पर प्रभाव

5.5.1 उदय के कार्यान्वयन ने ऐतिहासिक रूप से घाटे में चल रहे डिस्कॉम्स के 2016-17 से वित्तीय कायाकल्प के संकेत दिए, क्योंकि 2015-16 की तुलना में हानियां 84.12 प्रतिशत कम हो गयी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अपने निगमन के पश्चात (जुलाई 2000) से 2017-18 के दौरान प्रथम बार लाभ अर्जित किया।

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के राजस्व, व्यय एवं लाभ को दर्शाने वाला वित्तीय प्रदर्शन **अनुबंध-15** में दिया गया है। उदय से पूर्व एवं उदय के कार्यान्वयन के दौरान डिस्कॉम्स की लाभप्रदता नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैः

चार्ट संख्या 5.5: 2014-15 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स की लाभप्रदता

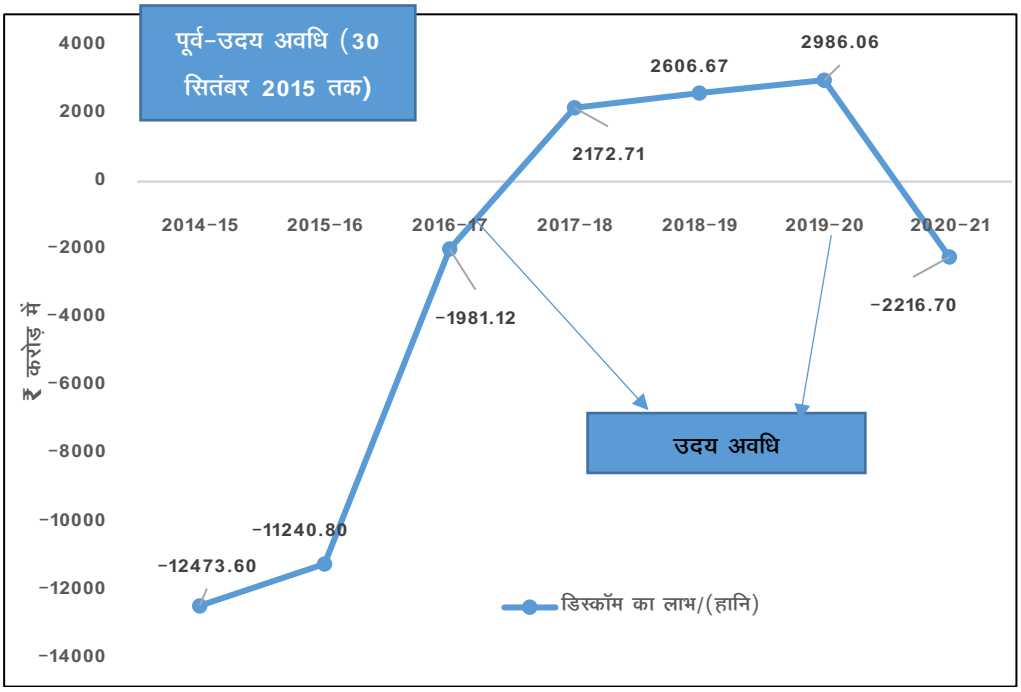

स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

डिस्कॉम-वार लाभप्रदता का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: डिस्कॉम्स की लेखा-पुस्तकों में दर्शाए गए लाभ/हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कॉम		
	जयपुर	अजमेर	जोधपुर
2014-15	(4734.57)	(3592.89)	(4146.12)
2015-16	(4462.91)	(3504.00)	(3273.87)
2016-17	(615.75)	(336.69)	(1028.68)
2017-18	943.16	1199.08	30.47
2018-19	906.09	466.82	1233.76
2019-20	2188.15	788.06	9.85
2020-21	(660.75)	175.73	(1731.68)

स्रोत: डिस्कॉम के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा 2017-18 से 2019-20 के दौरान दर्शाया गया लाभ उनकी परिचालन दक्षता के कारण नहीं था। डिस्कॉम्स की लाभप्रदता केवल उदय के तहत ऋण को राजस्व सब्सिडी में परिवर्तित किए जाने के कारण थी। साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी समर्थन समाप्त किए जाने के पश्चात, 2020-21 के दौरान जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम ने पुनः हानियां वहन की, जबकि अजमेर डिस्कॉम ने सूक्ष्म लाभ अर्जित किया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उसके टैरिफ विनियमों के तहत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(आरआरवीयूएनएल) को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु प्रदान किया गया पूंजी पर प्रतिफल वापस ले लिया था (सितंबर 2021)। तदनुसार, आरआरवीयूएनएल ने डिस्कॉम्स को ₹ 1811.74 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20: ₹ 856.53 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020-21: ₹ 955.21 करोड़) वापस कर दिए। आरआरवीयूएनएल द्वारा वापस की गयी राशि को डिस्कॉम्स द्वारा 'अन्य परिचालन आय' के रूप में दर्ज किया गया था और क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विद्युत क्रय से समायोजित किया गया था। यद्यपि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स वापस की गयी राशि के समायोजन के पश्चात भी हानि में ही रहे, अजमेर डिस्कॉम, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हानि में था, आरआरवीयूएनएल द्वारा ऐसी वापस की गई राशि के कारण लाभ दर्ज कर पाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय के तहत लेखांकित की गई राजस्व सब्सिडी को छोड़कर प्राप्त लाभ, डिस्कॉम्स की लाभप्रदता का वास्तविक संकेतक था। इस तर्क के आधार पर डिस्कॉम्स ने सभी वर्षों में भारी हानियां वहन की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: 2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय के तहत राजस्व सब्सिडी को छोड़ने के पश्चात डिस्कॉम्स की लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जयपुर	(4462.91)	(1737.02)	(3220.48)	(3257.55)	(2605.70)	(660.75)
अजमेर	(3504.00)	(1303.55)	(2787.25)	(2793.83)	(436.94)	175.73
जोधपुर	(3273.87)	(1775.48)	(3819.57)	(3341.95)	(3697.31)	(1731.68)

स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

वर्ष 2015-16 में वहन की गई हानियों की तुलना में 2016-17 से आगामी वर्षों में डिस्कॉम्स की हानियों के प्रवाह ने उदय के कार्यान्वयन का बहुत कम प्रभाव दिखाया क्योंकि 31 मार्च 2021 तक तीन डिस्कॉम्स में से दो डिस्कॉम्स हानि में रहे एवं अजमेर डिस्कॉम भी बहुत कम लाभ अर्जित कर सका।

डिस्कॉम्स के बकाया ऋण

5.5.2 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 5.3: डिस्कॉम के बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कॉम			
	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	कुल
2015-16	27940.03	26615.83	26111.30	80667.16
2016-17	25960.16	23915.27	23516.60	73392.03
2017-18	22709.52	20421.54	20376.27	63507.33

2018-19	19335.93	17726.87	16513.25	53576.05
2019-20	17025.33	15099.44	16184.32	48309.09
2020-21	18161.89	16445.59	18191.54	52799.02

स्रोतः डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

उदय के पूर्व एवं पश्चात की अवधि के दौरान राजस्थान डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 5.6: डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों की स्थिति

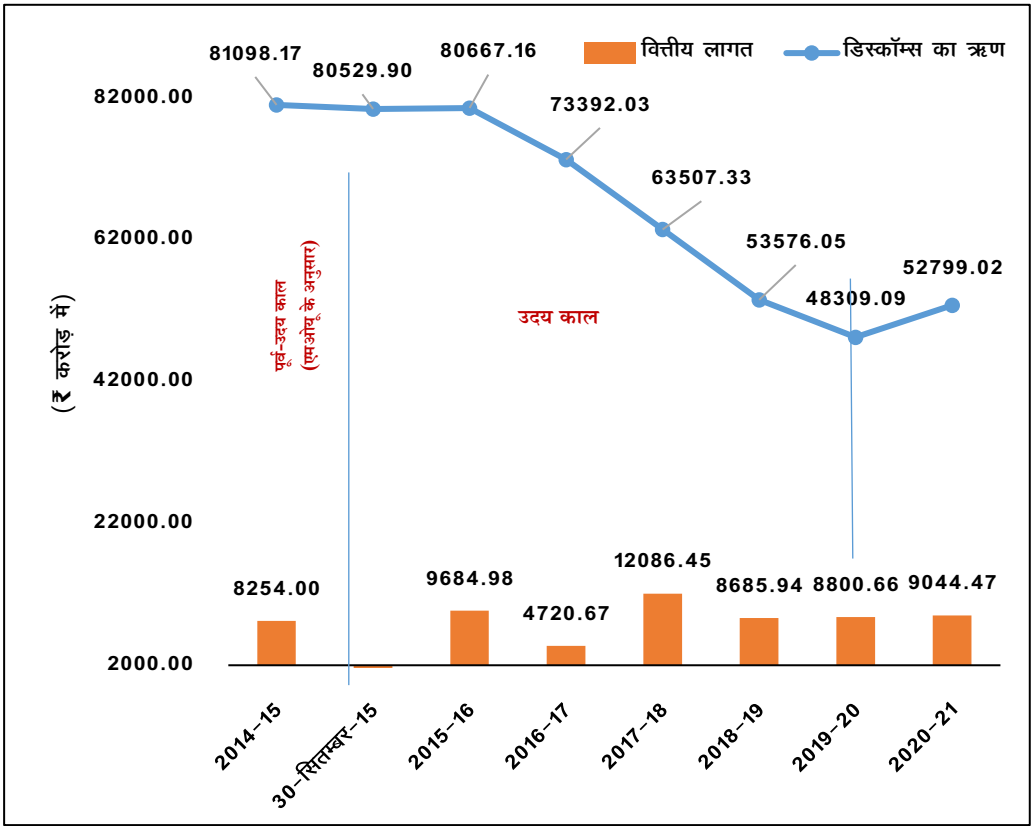

स्रोतः डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम्स के ऋण को सितंबर 2015 (उदय के लिए निर्दिष्ट तिथि) में ₹ 80,529.90 करोड़ से सारभूत रूप से घटाकर मार्च 2020 तक ₹ 48,309.09 करोड़ कर दिया था। तथापि, विद्युत क्रय की बकाया देयताओं एवं हानि के वित्तपोषण के दायित्वों की पूर्ति हेतु डिस्कॉम्स द्वारा नए ऋण लिए जाने के कारण मार्च 2021 तक ऋणों में पुनः वृद्धि होने के पश्चात ₹ 52,799.02 करोड़ हो गए थे। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स का कुल ब्याज दायित्व 2014-15 में ₹ 8,254 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 9,044.47 करोड़ (₹ 1.39 प्रति विक्रय की गई विद्युत की इकाई के बराबर) हो गई। इस प्रकार, उदय के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के बड़े हिस्से के अधिग्रहण के पश्चात भी, डिस्कॉम्स की विक्रय की गई प्रति इकाई ब्याज लागत में कोई सारभूत कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई थी। साथ ही, संरचनात्मक सुधारों एवं परिचालन मापदंडों यथा राज्य सरकार द्वारा टैरिफ देयताओं का भुगतान,

सरकारी विभागों की बकाया देयताएं, स्मार्ट मीटर की स्थापना आदि को पूर्ण नहीं किए जाने के कारण डिस्कॉम्स की ऋण दायित्वों में वृद्धि निरंतर रहेगी।

राजस्थान डिस्कॉम्स की रेटिंग

5.6 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने परिचालन, वित्तीय तथा बाह्य मापदंडों पर राज्य डिस्कॉम्स के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एक एकीकृत रेटिंग पद्धति तैयार की (जुलाई 2012)। रेटिंग प्रक्रिया आईसीआरए ऐनालिटिक्स लिमिटेड एवं केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

विद्युत मंत्रालय की 2019-20 के लिए नौवें एकीकृत रेटिंग प्रतिवेदन से उजागर हुआ (जुलाई 2021) कि 41 राज्य डिस्कॉम्स में से, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम को क्रमशः 'सी+', 'सी' एवं 'सी' रेटिंग[7] के साथ 26वीं, 35वीं और 41वीं रैंक दी गई थी। राजस्थान डिस्कॉम्स के संबंध में रेटिंग एजेंसियों की चिंता के प्रमुख क्षेत्र उच्च एटीएंडसी हानियाँ, निम्न बिलिंग दक्षता, कम लागत व्याप्ति अनुपात, भुगतान अधिक दिवसों में किया जाना, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ याचिका दायर नहीं करना, वित्तीय वर्ष 2020-21 टैरिफ आदेश की अनुपलब्धता एवं समयबद्ध रूप से सब्सिडी प्राप्त नहीं होना इत्यादि थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विगत कुछ वर्षों में राजस्थान डिस्कॉम्स ने विभिन्न मापदंडों पर खराब प्रदर्शन किया था एवं अखिल भारतीय रैंकिंग में निम्न रेटिंग प्राप्त की थी। साथ ही, डिस्कॉम्स की ग्रेडिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'बी' से गिरकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'सी+' एवं 'सी' हो गई थी। इसने इंगित किया कि उदय के कार्यान्वयन के पश्चात परिचालन तथा वित्तीय मापदंडों पर डिस्कॉम्स का प्रदर्शन और खराब हो गया था।

सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने के उपरांत भी निम्न रेटिंग गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि अपेक्षित परिणाम लक्ष्यों के आसपास भी नहीं थे।

सारांश में

डिस्कॉम्स उदय/एमओयू के प्रावधानों के अनुसार परिचालन लक्ष्य यथा फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) पर अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण तथा ट्रांसफार्मर व मीटर का उन्नयन/परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर सके। इन परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स 2020-21 तक न तो एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर तक कम कर सके तथा न ही एसीएस-एआरआर के अंतर को

7 'सी' रेटिंग 'बहुत कम परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन क्षमता' को दर्शाती है जबकि 'सी+' रेटिंग 'कम परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन क्षमता' को दर्शाती है।

समाप्त कर सके। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स अपनी परिचालन दक्षता में सुधार नहीं कर सके जो कि आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने हेतु आवश्यक था।

साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा ऋण की कमी को लिए जाने में अत्यधिक विलंब के कारण डिस्कॉम्स द्वारा सारभूत ब्याज का भुगतान किए जाने, उच्च लागत वाले ऋण खातों को अधिग्रहित करने की प्राथमिकता को नहीं बनाए रखने, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान हानियों का वित्तपोषण नहीं करने एवं डिस्कॉम्स द्वारा बॉण्ड जारी नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स में ब्याज व वित्त लागत एवं तरलता संबंधी समस्याएं बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के पेटे बकाया टैरिफ सब्सिडी के शेष एवं सरकारी विभागों के प्रति बकाया विद्युत देयताओं ने भी डिस्कॉम की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर भारी असर डाला क्योंकि वे विद्युत उत्पादकों के बकाया का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स ऋण लेने के लिए विवश थे, जिसने उदय के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के प्राथमिक उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

इस प्रकार, उदय के कार्यान्वयन में डिस्कॉम्स एवं राज्य सरकार की उपरोक्त कमियों के कारण, राज्य में डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प अप्राप्य रहा।

अर्चना गुर्जर

जयपुर
17 अप्रैल 2024

(अर्चना गुर्जर)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II) राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
6 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 4 पर अनुच्छेद 1.6 में संदर्भित)

चयनित वृत्त कार्यालयों, खण्ड कार्यालयों, उप-खण्ड कार्यालयों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

डिस्कॉम	चयनित वृत्त कार्यालय	चयनित खण्ड कार्यालय	चयनित उप-खण्ड कार्यालयों की संख्या
जयपुर	कोटा	रामगंज मंडी	3
	टोंक	टोंक	4
	झालावाड़	झालावाड़-प्रथम	4
अजमेर	नागौर	मेड़तासिटी	4
	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	7
	झुंझुनूं	झुंझुनूं	3
जोधपुर	जोधपुर जिला वृत्त	जिला वृत्त, जोधपुर	4
	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	5
	बीकानेर	जिला खण्ड-प्रथम, बीकानेर	3
योग	**9**	**9**	**37**

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 9 पर अनुच्छेद 2.4 एवं पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद 2.5 में संदर्भित)

30 सितंबर 2015 तक कुल बकाया ऋणों का डिस्कॉम-वार विवरण, राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया ऋण, कमी, बकाया ऋणों की प्राथमिकता, बकाया ऋणों का विवरण और जारी किए गए बॉण्ड को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

	विवरण	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	कुल
		(राशिः ₹ करोड़ में)			
I	**कुल बकाया ऋण**				
	i. 30 सितंबर 2015 तक बकाया ऋण	28056.36	26596.93	25876.61	80529.90
	ii. राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व मे अधिग्रहण किए गये 9.95% एफआरपी बॉण्ड	855.60	1006.20	838.20	2700.00
	योग-I (i+ii)	**28911.96**	**27603.13**	**26714.81**	**83229.90**
II	**एमओयू के अनुसार लक्षित अधिग्रहण किए जाने वाले ऋण व एफआरपी बॉण्ड का 75 प्रतिशत**				
	i. मार्च 2016 तक अधिग्रहण किए जाने वाले ऋण (एमओयू की सूची ए के अनुसार)	14028.16	13298.28	12938.20	**40264.64**
	ii. एफआरपी बॉण्ड का 50%	427.80	503.10	419.10	**1350.00**
	iii. **मार्च 2016 तक अधिग्रहण किए जाने वाले ऋण** (i+ii)	**14455.96**	**13801.38**	**13357.30**	**41614.64**
	iv. मार्च 2017 तक के अधिग्रहण किए जाने वाले ऋण (एमओयू की सूची बी के अनुसार)	7014.75	6649.23	6469.26	**20133.24**
	v. एफआरपी बॉण्ड का 25%	213.90	251.55	209.55	675.00
	vi. **मार्च 2017 तक के अधिग्रहण किए जाने वाले ऋण** (i+ii)	**7228.65**	**6900.78**	**6678.81**	**20808.24**
	योग-II (iii+vi)	**21684.61**	**20702.16**	**20036.11**	**62422.88**
III	**राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया ऋण**				
	समता अंश	3031.06	2873.38	2795.56	8700.00
	ऋण	15517.17	14856.35	14348.44	44721.96

	अनुदान		3135.57	2972.47	2891.96	9000.00
	योग-III		**21683.80**	**20702.20**	**20035.96**	**62421.96**
IV	**कमी (II-III)**					**0.92**
V	**अधिग्रहित ऋणों का विवरण**	**ऋण अधिग्रहण करने की तिथि/माह**	**जयपुर**	**अजमेर**	**जोधपुर**	**कुल**
	9.95% एफआरपी बॉण्ड	मई 2015	855.60	1006.20	838.20	2700.00
	प्रथम किश्त-	17 मार्च 2016	9647.35	10023.53	8784.20	28455.08
	द्वितीय किश्त-	31 मार्च 2016	3267.52	2638.69	2988.48	8894.69
	2015-16 के दौरान अधिग्रहित कुल ऋण		**13770.47**	**13668.42**	**12610.88**	**40049.77**
	तृतीय किश्त-	22 जून 2016	7227.94	6900.73	6678.65	20807.32
	चौथी किश्त	7 फरवरी 2017	685.39	133.05	746.43	1564.87
	2016-17 के दौरान लिया अधिग्रहित कुल ऋण		**7913.33**	**7033.78**	**7425.08**	**22372.19**
	योग		**21683.80**	**20702.20**	**20035.96**	**62421.96**

VI	**एमओयू के साथ संलग्न सूची के अनुसार बकाया ऋणों को अधिग्रहण करने की प्राथमिकता**	**जयपुर**		**अजमेर**		**जोधपुर**		**कुल**	
		संख्या	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
	सूची-ए 2015-16 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाने वाला प्रथम 50% ऋण	142	14028.16	141	13298.28	116	12938.20	399	**40264.64**
	ऋण खाते अधिग्रहण किये गए (17 मार्च 2016 तक)	121	9647.35	132	10023.53	108	8784.20	361	28455.08
	सूची 'ए' के पूर्ण रूप से अधिग्रहित किये गए ऋण खाते	120	9379.29	132	10023.53	108	8784.20	360	28187.02
	सूची-सी में से राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए ऋण खाते, जो डिस्कॉम के पास शेष रहना था।	1	268.06	-	-	-	-	1	268.06
	सूची-बी 2016-17 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाने वाला 25% ऋण		7014.75		6649.23		6469.26		**20133.24**
	सूची-सी शेष 25% ऋण (संबंधित डिस्कॉम्स द्वारा जारी किए जाने वाले बॉण्ड)		7013.46		6649.41		6469.15		**20132.02**

VII	**बकाया ऋणों के विच्छेद का विवरण**							
	डिस्कॉम	**सूची**	**बैंकों से संबंधित ऋण**	**वित्तीय संस्थाओं से संबंधित ऋण**	**9.95% एफआरपी बॉण्ड**	**राजस्थान सरकार के ऋण**	**अन्य ऋण**	**कुल**
	जयपुर डिस्कॉम	ए	9552.79	4475.37	-	-	-	14028.16
		बी	5364.75	1650.00	-	-	-	7014.75
		सी	460.45	2954.61	3205.64	267.13	125.63	7013.46
	उप-योग		**15377.99**	**9079.98**	**3205.64**	**267.13**	**125.63**	**28056.37**
	अजमेर डिस्कॉम	ए	10023.53	3274.75	-	-	-	13298.28
		बी	2282.56	4366.67	-	-	-	6649.23
		सी	810.96	1714.30	3770.12	241.26	112.77	6649.41
	उप-योग		**13117.05**	**9355.72**	**3770.12**	**241.26**	**112.77**	**26596.92**
	जोधपुर डिस्कॉम	ए	8784.20	4154.00	-	-	-	12938.20
		बी	2969.80	3499.46	-	-	-	6469.26
		सी	1248.96	1747.20	3140.28	234.72	97.99	6469.15
	उप-योग		**13002.96**	**9400.66**	**3140.28**	**234.72**	**97.99**	**25876.61**
	महा-योग		**41498.00**	**27836.36**	**10116.04**	**743.11**	**336.38**	**80529.90**

VIII	**बॉण्ड जारी करना**	**जयपुर**	**अजमेर**	**जोधपुर**	**कुल**
	9.95% एफआरपी बॉण्ड	4781.98	2749.01	3841.67	11372.66
	बैंकों से संबंधित ऋण	2834.94	3349.33	2861.79	9046.06
	योग	**7616.92**	**6098.34**	**6703.46**	**20418.72**

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 16 पर अनुच्छेद 2.6.1 में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 तक कार्यशील पूंजी का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र (आंकड़े वित्तीय वर्ष के अंत के है)

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जयपुर	गत वर्ष का राजस्व	10954.39	12454.96	14460.78	17249.46	18198.94	19291.12
	डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी का विवरण	6261.59	2442.64	4059.63	4629.63	5252.86	5257.40
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	57.16	19.61	28.07	26.84	28.86	27.25
	कार्यशील पूंजी, विशेष रूप से जो डिस्कॉम द्वारा नहीं माने गए विद्युत क्रय के लंबित भुगतान हेतु, ऋण	0	0	0	0	1400.00	1689.01
	कुल कार्यशील पूंजी	6261.59	2442.64	4059.63	4629.63	6652.86	6946.41
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	**57.16**	**19.61**	**28.07**	**26.84**	**36.56**	**36.00**
अजमेर	गत वर्ष का राजस्व	8280.60	9405.54	10314.67	12097.38	13174.28	14616.41
	डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी का विवरण	6084.02	1534.41	2466	2921	3043.67	2831.70
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	73.47	16.31	23.91	24.15	23.10	19.37
	कार्यशील पूंजी, विशेष रूप से जो डिस्कॉम द्वारा नहीं माने गए विद्युत क्रय के लंबित भुगतान हेतु, ऋण	0	0	0	0	1300.00	1573.97
	कुल कार्यशील पूंजी	6084.02	1534.41	2466	2921	4343.67	4405.67
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	**73.47**	**16.31**	**23.91**	**24.15**	**32.97**	**30.14**
जोधपुर	गत वर्ष का राजस्व	9100.41	10683.66	11716.57	12992.11	14072.12	15432.46
	डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी का विवरण	6171.21	1720.99	2796.40	3152	3395.82	3272.55
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	67.81	16.11	23.87	24.26	24.13	21.20
	कार्यशील पूंजी, विशेष रूप से जो डिस्कॉम द्वारा नहीं माने गए विद्युत क्रय के लंबित भुगतान हेतु, ऋण	0	0	0	0	1750.00	2072.84
	कुल कार्यशील पूंजी	6171.21	1720.99	2796.40	3152	5145.82	5345.39
	कार्यशील पूंजी की गत वर्ष के टर्नओवर में प्रतिशतता	**67.81**	**16.11**	**23.87**	**24.26**	**36.57**	**41.06**

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 21 पर अनुच्छेद 2.6.5 में संदर्भित)

राजस्थान सरकार से प्राप्त होने वाली लंबित सब्सिडी का विवरण एवं समाशोधित टैरिफ सब्सिडी के डिस्कॉम-वार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वसूली योग्य सब्सिडी का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान देय सब्सिडी	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी	वसूली योग्य सब्सिडी का अंतिम शेष
2015-16	15.83	8640.19	6788.48	1867.54
2016-17	1867.54	9311.09	7823.07	3355.56
2017-18	3355.56	10246.14	8759.14	4842.56
2018-19	4842.56	10982.79	7681.33	8144.02
2019-20	8144.02	12921.38	7384.00	13681.40
2020-21	13681.40	16544.84	12767.45	17458.79

विवरण	डिस्कॉम्स			कुल
	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	
	(राशिः ₹ करोड़ में)			
गत वर्ष के अंकेक्षित खातों के आधार पर चालू वर्ष की टैरिफ सब्सिडी की गणना के कारण टैरिफ सब्सिडी की कम प्राप्ति	2618.97	1851.21	3906.66	8376.84
बंद/खराब मीटर वाले कृषि कनेक्शनों पर फ्लैट श्रेणी के स्थान पर मीटर श्रेणी की दर पर दी गई सब्सिडी के कारण कम टैरिफ सब्सिडी	773.46	752.51	2085.04	3611.01
वर्ष 2020-21 की सब्सिडी वर्ष 2021-22 तक के लिए स्थगित हुई	1115.17	863.35	1618.77	3597.29
गणना में गणितीय त्रुटि के कारण 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई कम टैरिफ सब्सिडी	145.94	148.89	120.70	415.53
ईंधन अधिभार के पेटे कम प्राप्त हुई सब्सिडी	228.93	11.88	156.97	397.78
अन्य	4.09	126.86	929.39	1060.34
कुल	**4886.56**	**3754.70**	**8817.53**	**17458.79**

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 25 पर अनुच्छेद 2.6.8 में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 तक विद्युत शुल्क का विभागवार बकाया दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

समाप्ति वर्ष	केंद्र सरकार	पीएचईडी	जनता जल योजना एवं सरपंच	प्रशासन	पुलिस	नगर निगम बोर्ड/ शहरी सुधार ट्रस्ट	अन्य	कुल
जयपुर डिस्कॉम								
मार्च 2016	बकाया राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है							**157.32**
मार्च 2017	13.81	79.11	58.68	3.13	4.22	92.76	13.89	**265.60**
मार्च 2018	7.45	58.06	75.88	8.32	4.49	54.10	9.68	**217.99**
मार्च 2019	7.93	84.63	117.06	13.91	6.12	158.78	15.49	**403.91**
मार्च 2020	11.87	141.01	165.38	18.96	7.99	333.02	23.30	**701.52**
मार्च 2021	6.02	202.00	218.85	24.00	7.99	430.13	34.53	**923.52**
अजमेर डिस्कॉम								
मार्च 2016	1.32	25.97	18.18	0.70	1.27	8.24	5.16	**60.84**
मार्च 2017	1.23	34.43	19.62	0.74	1.37	33.79	2.20	**93.38**
मार्च 2018	1.67	17.97	29.92	1.19	1.86	22.03	2.81	**77.45**
मार्च 2019	4.22	22.98	41.95	1.56	2.45	65.77	4.22	**143.15**
मार्च 2020	5.27	68.89	54.33	2.77	3.08	46.07	6.13	**186.53**
मार्च 2021	2.08	100.79	76.72	3.40	2.75	72.14	8.59	**266.47**
जोधपुर डिस्कॉम								
मार्च 2016	2.50	146.63	22.60	2.22	3.11	179.93	5.65	**362.64**
मार्च 2017	4.97	114.79	13.98	2.14	2.99	239.63	4.51	**383.01**

मार्च 2018	0.56	23.23	23.06	2.93	3.44	18.97	6.03	**78.22**
मार्च 2019	0.26	70.46	43.37	7.08	4.75	98.95	6.65	**231.52**
मार्च 2020	12.40	145.35	71.87	11.22	4.74	165.43	9.75	**420.77**
मार्च 2021	10.20	208.65	143.84	16.84	**4.33**	227.48	30.44	**641.77**
मार्च 2021 तक महा-योग	**18.30**	**511.44**	**439.41**	**44.24**	**15.07**	**729.75**	**73.56**	**1831.76**

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 27 पर अनुच्छेद 2.6.10 में संदर्भित)

31 मार्च 2021 तक डिस्कॉम्स के अनुमानित ब्याज तथा वित्त लागत की तुलना में लेखा पुस्तकों में वास्तविक ब्याज तथा वित्त लागत की डिस्कॉम-वार स्थिति एवं उच्च लागत वाले ऋणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जयपुर		अजमेर		जोधपुर	
	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक	अनुमानित	वास्तविक
2015-16	3408	3405.28	3091	3144.69	3152	3135.01
2016-17	1264	1715.83	1137	1432.37	1220	1572.47
2017-18	1108	4312.20	1018	3881.52	1090	3892.73
2018-19	1186	3207.64	1118	2676.96	1177	2801.34
2019-20	कोई अनुमान नहीं	3068.29	कोई अनुमान नहीं	2612.67	कोई अनुमान नहीं	3119.70
2020-21	कोई अनुमान नहीं	3229.23	कोई अनुमान नहीं	2537.02	कोई अनुमान नहीं	3278.22

31 मार्च 2021 तक डिस्कॉम्स की लेखा पुस्तकों में उच्च लागत वाले ऋण			
विवरण	**जयपुर**	**अजमेर**	**जोधपुर**
मार्च 2016 को अग्रणी बैंक की ब्याज दर में जोड़े 0.1 *प्रतिशत (% में)*	9.80	9.75	9.70
मार्च 2021 को ऋण खातों की कुल संख्या	64	67	73
डिस्कॉम्स का कुल ऋण (₹ करोड़ में)	18161.89	16445.60	18191.53
मार्च 2021 को अग्रणी बैंक में ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत जोड़कर से ऊपर की दरों के ऋण खातों की संख्या	47	49	55
ऋण राशि (₹ करोड़ में)	9696.03	9609.87	10632.00
उच्च लागत वाले ऋणों की प्रभावी ब्याज दर (% में)	9.95 से 12.25 तक	9.95 से 12.65 तक	9.95 से 12.50 तक
डिस्कॉम्स के कुल ऋण में उच्च लागत वाले ऋण का प्रतिशत	53.39	58.43	58.44

अनुबंध-7

(पृष्ठ संख्या **40** पर अनुच्छेद **3.6.2** में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 के दौरान वितरण ट्रांसफार्मर की विफलता दर दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	वर्ष के अंत में स्थापित किए गए डीटी (अंकों में)	वर्ष के दौरान विफल होने वाले डीटी की संख्या				कुल (संख्या में)	डीटी की विफलता दर (% में)
		गारंटी अवधि के भीतर		गारंटी अवधि के पश्चात			
		संख्या	%	संख्या	%		
जयपुर डिस्कॉम							
2015-16	602179	38079	53.12	33610	46.88	71689	11.90
2016-17	643044	36793	51.02	35317	48.98	72110	11.21
2017-18	647089	30682	50.89	29603	49.11	60285	9.32
2018-19	715550	30632	46.71	34946	53.29	65578	9.16
2019-20	767066	34306	47.60	37764	52.40	72070	9.40
2020-21	791451	30950	42.77	41422	57.23	72372	9.14
अजमेर डिस्कॉम							
2015-16	448380	18823	40.12	28096	59.88	46919	10.46
2016-17	481897	20602	39.19	31970	60.81	52572	10.91
2017-18	504921	16416	34.78	30787	65.22	47203	9.35
2018-19	564740	16287	36.21	28691	63.79	44978	7.96
2019-20	628335	21741	35.91	38800	64.09	60541	9.64
2020-21	671356	23425	36.24	41217	63.76	64642	9.63
जोधपुर डिस्कॉम							
2015-16	402202	14845	38.78	23434	61.22	38279	9.52
2016-17	414767	12405	38.49	19823	61.51	32228	7.77
2017-18	450096	14464	37.63	23970	62.37	38434	8.54

2018-19	481889	13073	37.35	21932	62.65	35005	7.26
2019-20	546684	18647	37.63	30913	62.37	49560	9.07
2020-21	581613	22253	40.17	33150	59.83	55403	9.53

स्रोतः डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत एमआईएस।

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 40 पर अनुच्छेद 3.6.3 में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 के दौरान विफल लेकिन प्रतिस्थापित नहीं किए गए एवं एसीओ कार्यालयों में जमा करने हेतु लंबित वितरण ट्रांसफार्मर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आंकड़े अंकों में)

डिस्कॉम	क्र.सं.	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
जयपुर	1.	विफल हुए वितरण ट्रांसफार्मर	71689	72110	60285	65578	72070	72372	**4,14,104**
	2.	प्रतिस्थापित किए गए वितरण ट्रांसफार्मर	70054	71260	59605	65178	72599	71224	**4,09,920**
	3.	प्रतिस्थापित नहीं किए गए वितरण ट्रांसफार्मर (1-2)	1635	850	680	400	**-529**[$]	1148	**4,713**
	4.	विफल हुए डीटी परन्तु वर्ष के अंत तक जमा किए जाने लंबित	26338	23321	17651	16789	21776	23102	
	5.	जमा कराने हेतु लंबित डीटी का शेष (दिनों में) (4/2*365)	**137.23**	**119.45**	**108.09**	**94.02**	**109.48**	**118.39**	
अजमेर	6.	विफल हुए वितरण ट्रांसफार्मर	46919	52572	47203	44978	60541	64642	**3,16,855**
	7.	प्रतिस्थापित किए गए वितरण ट्रांसफार्मर	46098	48212	47052	44978	60541	64642	**3,11,523**
	8.	प्रतिस्थापित नहीं किए गए वितरण ट्रांसफार्मर (6-7)	821	4360	151	0	0	0	**5,332**
	9.	विफल हुए डीटी परन्तु वर्ष के अंत तक जमा किए जाने लंबित	9247	6344	5569	3015	1781	1825	
	10.	जमा कराने हेतु लंबित डीटी का शेष (दिनों में) (9/7*365)	**73.22**	**48.03**	**43.20**	**24.47**	**10.74**	**10.30**	
जोधपुर	11।	विफल हुए वितरण ट्रांसफार्मर	38279	32228	38434	35005	49560	55403	**2,48,909**
	12.	प्रतिस्थापित किए गए वितरण ट्रांसफार्मर	38180	31528	38411	35188	49526	54917	**2,47,750**
	13.	प्रतिस्थापित नहीं किए गए वितरण ट्रांसफार्मर (11-12)	99	700	23	**-183**[$]	34	486	**1,342**
	14.	विफल हुए डीटी परन्तु वर्ष के अंत तक जमा किए जाने लंबित	1361	2043	1197	7127	3360	3406	
	15.	जमा कराने हेतु लंबित डीटी का शेष (दिनों में) (14/12*365)	**13.01**	**23.65**	**11.37**	**73.93**	**24.76**	**22.64**	

स्रोतः डिस्कॉम्स का एमआईएस।

[$]**2018-19 में जोधपुर डिस्कॉम और 2019-20 में जयपुर डिस्कॉम के दिखाए गए नकारात्मक आंकड़े एमआईएस में कमी को दर्शाते हैं।**

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 42 पर अनुच्छेद 3.7(अ) एवं पृष्ठ संख्या 43 पर अनुच्छेद 3.7(ब) में संदर्भित)

मीटरीकृत फीडर की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	कुल फीडर	मीटरीकृत फीडर	फीडर जहां फीडर मीटर को जोड़ने के लिए मॉडेम स्थापित किए गए	फीडर, जहां आंकड़े मॉडेम द्वारा संप्रेषित किए गये		फीडर जहां मीटर के आंकड़े एकत्र किए गये एवं प्रणाली में मानवीय रूप से प्रविष्ट किए गये			
				संख्या	%	मॉडेम के बिना फीडर	गैर-संचारी मॉडेम वाले फीडर	कुल	%
1	2	3	4	5	6	7=2-4	8=4-5	9=7+8	10
जयपुर डिस्कॉम									
2018-19	7867	7818	7054	6298	89.28	813	756	1569	19.94
2019-20	8709	8707	7488	6481	86.55	1221	1007	2228	25.58
2020-21	9219	9219	7492	5928	79.12	1727	1564	3291	35.70
अजमेर डिस्कॉम									
2018-19	8273	8166	6378	5500	86.23	1895	878	2773	33.52
2019-20	8615	8544	7648	5578	72.93	967	2070	3037	35.25
2020-21	9100	9100	7648	5958	77.90	1452	1690	3142	34.53
जोधपुर डिस्कॉम									
2018-19	10539	10245	7616	4677	61.41	2923	2939	5862	55.62
2019-20	10650	10361	8828	4825	54.66	1822	4003	5825	54.69
2020-21	11250	10777	8841	4597	52.00	2409	4244	6653	59.14

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 47 पर अनुच्छेद 3.11.1 में संदर्भित)

सतर्कता विंग एवं ओएंडएम वृत्त द्वारा की गई सतर्कता जाँच तथा एटीएंडसी हानियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	उपभोक्ताओं की कुल संख्या (लाख में)	लक्ष्य	जाँच की गई		कुल की गई जांच	उपभोक्ताओं की कुल संख्या में जाँच की गई संख्या की प्रतिशतता	चोरी के मामलों की संख्या	आकलित राशि (₹ करोड़ में)	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	आकलित राशि से वसूल की गई राशि (%)	टीएंडडी हानियां (%)	एटीएंडसी हानियां (%)
			ओ एंड एम	सतर्कता शाखा								
जयपुर डिस्कॉम												
2015-16	47.16	लागू नही	122865	15421	138286	2.93	92496	136.05	63.44	46.63	31.90	35.74
2016-17	50.04	लागू नही	126516	18693	145209	2.90	106706	174.16	84.85	48.72	25.48	29.84
2017-18	53.35	लागू नही	86404	14284	100688	1.89	77789	162.82	101.36	62.25	21.06	25.22
2018-19	56.80	लागू नही	8555	1754	10309	0.18	4317	16.38	20.42	124.66	20.54	25.66
2019-20	55.53	लागू नही	60696	14067	74763	1.35	64526	186.72	75.58	40.48	17.21	27.61
2020-21	57.83	लागू नही	74522	23829	98351	1.70	88986	253.12	123.62	48.84	19.44	25.22
योग							**434820**	**929.25**	**469.27**	**50.49**		
अजमेर डिस्कॉम												
2015-16	44.35	252910	136620	38447	175067	4.19	73308	143.02	64.55	45.13	26.75	27.81
2016-17	47.19	219835	123034	27984	151018	3.60	72218	148.4	86.97	58.61	22.10	25.18
2017-18	50.18	207460	68526	21758	90014	2.08	62971	139.89	100.17	71.61	20.15	22.94
2018-19	54.18	120769	9127	4461	13788	0.29	10357	33.47	21.78	65.07	18.03	23.31
2019-20	58.24	208641	66422	25574	91996	1.78	57974	129.14	56.72	43.92	14.48	21.99
2020-21	60.89	308253	89528	31961	121489	2.00	81636	196.17	97.67	49.79	15.15	21.60
योग							**358464**	**790.09**	**427.86**	**54.15**		

जोधपुर डिस्कॉम												
2015-16	33.12	173440	67773	22170	89927	2.97	28557	90.88	37.5	41.26	23.32	29.64
2016-17	34.35	137180	61112	28300	89412	2.81	29501	81	36.64	45.23	21.69	26.16
2017-18	36.10	176490	59178	15600	74778	2.39	30299	103.76	51.23	49.37	19.33	23.37
2018-19	39.46	178623	4421	6779	11200	0.27	4786	19.3	13.95	72.28	23.12	35.32
2019-20	42.49	175506	65200	11809	77009	1.72	19036	96.12	44.27	46.06	19.38	37.99
2020-21	44.16	178644	43301	12686	55987	1.27	33378	90.38	33.86	37.46	22.46	30.87
योग							**145557**	**481.44**	**217.45**	**45.17**		

अनुबंध-11

(पृष्ठ संख्या 52 पर अनुच्छेद 4.3 में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा क्रय लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(ए) केंद्रीय/राज्य क्षेत्र से विद्युत क्रय						
केंद्रीय क्षेत्र (एमयू में)	24277.86	24389.95	31203.86	30062.33	30766.65	31616.25
दर (₹ में)	2.65	2.79	2.88	3.16	3.11	3.17
आरआरवीयूएनएल (एमयू में)	24114.6	23987.32	25781.78	30141.81	29248.09	27449.04
दर (₹ में)	4.13	4.55	4.56	4.13	4.98	4.27
विद्युत क्रय की प्रतिशतता	68.24	70.14	75.73	72.64	72.99	67.94
केंद्रीय/राज्य क्षेत्र से कुल विद्युत क्रय (एमयू में)	**48392.46**	**48377.27**	**56985.64**	**60204.14**	**60014.74**	**59065.29**
प्रति इकाई लागत	**3.39**	**3.66**	**3.64**	**3.65**	**4.02**	**3.68**
(बी) अन्य स्त्रोतों से विद्युत क्रय						
आईपीपी (एमयू में)	14639.95	13697.33	11141.85	13467.77	12928.10	14571.36
दर (₹ में)	3.78	4.01	3.90	4.53	4.40	4.20
द्विपक्षीय एवं व्यापार (एमयू में)	1709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.28
दर (₹ में)	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
ऊर्जा एक्सचेंज (एमयू में)	826.23	546.80	598.07	849.19	710.10	3220.69
दर (₹ में)	3.67	2.81	4.35	4.44	3.94	3.50
एनसीईएस (एमयू में)	5349.75	6347.07	6526.74	8357.32	8562.22	8280.50
दर (₹ में)	4.91	5.03	5.04	4.83	4.69	4.63
अन्य (कैप्टिव) एमयू में	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दर (₹ में)	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल क्रय का प्रतिशत	31.76	29.86	24.27	27.36	27.01	32.06

निजी क्षेत्र से कुल विद्युत क्रय (एमयू में)	22525.60	20591.20	18266.66	22674.28	22200.32	27874.83
प्रति ईकाई लागत (₹)	4.01	4.29	4.32	4.64	4.50	4.15
कुल विद्युत क्रय (एमयू में)	70918.06	68968.47	75252.3	82878.42	82215.06	86940.12
प्रति ईकाई लागत (₹)	3.59	3.85	3.81	3.92	4.15	3.83

अनुबंध-12

(पृष्ठ संख्या 53 पर अनुच्छेद 4.3 में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 के दौरान उत्पादन लागत, स्टेशन ऊष्मा दर एवं संयंत्र भार घटक की संयंत्र-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

संयंत्र	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केएसटीपीएस	उत्पादन लागत (करोड़ में)	2135.57	2049.88	1953.28	2139.67	1992.32	1589.04
	उत्पन्न इकाइयां (एमयू)	7769.54	7486.91	7213.04	7920.96	6513.08	5195.56
	प्रति इकाई उत्पादन लागत	2.75	2.74	2.71	2.70	3.06	3.06
	स्वीकृत एसएचआर	2561.70	2561.70	2561.70	2561.70	2561.70	2561.70
	वास्तविक एसएचआर	2787.00	2551.29	2650.90	2613.76	2552.86	2491.58
	लक्षित पीएलएफ	82.00	82.00	82.00	82.00	83.00	83.00
	वास्तविक पीएलएफ	70.45	67.26	65.08	71.52	58.31	46.64
एसएसटीपीएस	उत्पादन लागत (करोड़ में)	2106.82	1414.97	1595.24	2253.50	1719.33	379.04
	उत्पन्न इकाइयां (एमयू)	5902.98	4474.71	4964.45	7168.98	4690.33	989.69
	प्रति इकाई उत्पादन लागत	3.57	3.16	3.21	3.14	3.67	3.83
	स्वीकृत एसएचआर	2476.28	2476.28	2476.28	2476.28	2471.48	2476.28
	वास्तविक एसएचआर	2655.00	2452.04	2449.20	2476.09	2471.48	2512.37
	लक्षित पीएलएफ	82.00	82.00	82.00	82.00	83.00	83.00
	वास्तविक पीएलएफ	44.00	33.65	37.22	54.07	35.50	7.44
सीटीपीपी	उत्पादन लागत (करोड़ में)	1099.98	1671.31	1471.20	1767.67	1850.52	1784.09
	उत्पन्न इकाइयां (एमयू)	4473.89	6825.04	6251.55	7289.83	7090.64	6665.15
	प्रति इकाई उत्पादन लागत	2.46	2.45	2.35	2.42	2.61	2.68
	स्वीकृत एसएचआर	2312.31	2476.28	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00
	वास्तविक एसएचआर	2863.00	2648.38	2527.72	2549.00	2471.29	2508.72
	लक्षित पीएलएफ	80.00	80.00	80.00	80.00	83.00	83.00

	वास्तविक पीएलएफ	49.93	76.95	70.61	82.77	80.85	76.39
केटीपीपी	उत्पादन लागत (करोड़ में)	1498.63	1501.54	1702.48	1521.13	1813.03	1808.31
	उत्पन्न इकाइयां (एमयू)	5921.2	5944.12	6691.18	5550.4	5708.09	6089.98
	प्रति इकाई उत्पादन लागत	2.53	2.53	2.54	2.74	3.18	2.97
	स्वीकृत एसएचआर	2322.17	2322.17	2322.17	2322.17	2333.28	2333.28
	वास्तविक एसएचआर	2601.00	2418.16	2388.68	2435.10	2397.63	2399.55
	लक्षित पीएलएफ	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
	वास्तविक पीएलएफ	65.83	55.83	62.84	52.26	53.49	57.40

अनुबंध-13

(पृष्ठ संख्या **58** पर अनुच्छेद **4.7** में संदर्भित)

2011-21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा की क्रय में कमी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(मिलियन इकाइयों में)

वर्ष	जयपुर डिस्कॉम		अजमेर डिस्कॉम		जोधपुर डिस्कॉम		कुल
	सौर ऊर्जा	गैर-सौर ऊर्जा	सौर ऊर्जा	गैर-सौर ऊर्जा	सौर ऊर्जा	गैर-सौर ऊर्जा	
2011-12	-79.45	-141.20	-57.73	-3.05	-62.19	-75.91	-419.53
2012-13	-61.47	-243.75	-42.95	-14.59	-48.37	-28.31	-439.44
2013-14	-28.59	-263.77	-15.99	-51.08	-33.24	-193.21	-585.88
2014-15	-214.54	-439.59	-145.47	-181.11	-183.84	-378.72	-1543.27
2015-16	-286.20	-408.42	-192.26	-310.21	-240.59	-378.51	-1816.19
2016-17	-352.85	-183.03	-235.03	-254.00	-319.02	-281.81	-1625.74
2017-18	-494.82	-382.31	-333.59	-381.66	-411.86	-383.85	-2388.09
2018-19	-90.29	-75.58	-57.33	-207.72	-105.63	-211.09	-747.64
2019-20	10.08	-236.95	26.54	-244.86	13.11	-253.60	-685.68
2020-21	-314.22	-743.92	-245.81	-573.89	-336.94	-638.78	-2853.56
योग (ए)	**-1912.35**	**-3118.52**	**-1299.62**	**-2222.17**	**-1728.57**	**-2823.79**	**-13105.02**
सहनशीलता मूल्य प्रति एमयू (बी)*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
आरपीओ में कमी के कारण कुल दायित्व (₹ करोड़ में) (ए*बी)	**191.23**	**311.85**	**129.96**	**222.12**	**172.86**	**282.38**	**1310.50**

स्रोतः डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा

***प्रति एमयू सहनशीलता मूल्य = प्रति मेगावाट प्रति सहनशीलता मूल्य/1000**

अनुबंध-14

(पृष्ठ 65 पर अनुच्छेद 5.4 (बी) में संदर्भित)

2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स की आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत राजस्व वसूली (एआरआर) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(आगत ऊर्जा की प्रति यूनिट ₹ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जयपुर डिस्कॉम						
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस (ए)	9.09	8.01	7.82	7.71	-	-
एमओयू के अनुसार लक्षित एआरआर (बी)	7.05	7.48	7.93	7.82	-	-
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस-एआरआर अंतर (सी)=(ए)-(बी)	2.04	0.53	(0.11)	(0.11)	0.00	0.00
एमओपी द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया गया एसीएस-एआरआर अंतर	**1.87**	**0.37**	**(0.12)**	**0.03**	**(0.19)**	**0.46**
लेखाखातों के अनुसार एसीएस-एआरआर अंतर (एमओयू पद्धति)	1.60	0.23	(0.31)	(0.27)	(0.67)	0.20
अजमेर डिस्कॉम						
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस (ए)	9.36	7.89	7.87	7.87	-	-
एमओयू के अनुसार लक्षित एआरआर (बी)	7.01	7.50	8.02	8.02	-	-
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस-एआरआर अंतर (सी)=(ए)-(बी)	2.35	0.39	(0.15)	(0.15)	0.00	0.00
एमओपी द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया गया एसीएस-एआरआर अंतर	**1.97**	**0.37**	**(0.42)**	**0.08**	**0.18**	**0.36**
लेखाखातों के अनुसार एसीएस-एआरआर अंतर (एमओयू पद्धति)	1.85	0.18	(0.58)	(0.21)	(0.36)	(0.08)
जोधपुर डिस्कॉम						
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस (ए)	8.43	7.19	7.21	7.17		
एमओयू के अनुसार लक्षित एआरआर (बी)	6.45	6.87	7.32	7.28	-	-
एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस-एआरआर अंतर (सी)=(ए)-(बी)	1.98	0.32	(0.11)	(0.11)	0.00	0.00
एमओपी द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया गया एसीएस-एआरआर अंतर	**1.80**	**0.75**	**0.22**	**0.15**	**0.99**	**1.19**
लेखाखातों के अनुसार एसीएस-एआरआर अंतर (एमओयू पद्धति)	1.43	0.43	(0.01)	(0.44)	0.00	0.57

अनुबंध-15

(पृष्ठ संख्या 66 पर अनुच्छेद 5.5.1 में संदर्भित)

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के वित्तीय प्रदर्शन यथा कुल राजस्व, कुल व्यय एवं लाभ को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जयपुर	परिचालन से राजस्व	10,070.09	11,502.12	13,682.36	16,257.44	17,213.81	18,335.72	20,903.79
	अन्य आय	884.31	952.84	778.42	992.02	985.13	955.41	864.35
	कुल राजस्व	10,954.39	12,454.96	14,460.78	17,249.46	18,198.94	19,291.12	21,768.14
	कुल व्यय	15,644.77	16,775.79	16,167.77	20,467.87	21,369.71	21,865.54	22,440.74
	अपवाद मद (उदय सब्सिडी) एवं पूर्व अवधि की आय/(व्यय) से पहले लाभ/(हानि)	(4,690.38)	(4,320.83)	(1,706.99)	(3,218.41)	(3,170.78)	(2,574.42)	(672.60)
	पूर्व अवधि की आय/(व्यय)	(44.20)	(142.08)	(30.02)	(2.07)	(86.77)	(31.33)	11.85
	उदय सब्सिडी	0	0	1,121.26	4,163.64	4,163.64	4,793.90	0
	अपवाद मद के पश्चात लाभ/(हानि)	(4,734.57)	(4,462.91)	(615.75)	943.16	906.09	2,188.15	(660.75)
अजमेर	परिचालन से राजस्व	7,413.63	8,331.21	9,596.79	11,285.67	12,355.47	13,763.74	14,721.73
	अन्य आय	866.97	1,074.33	717.88	811.71	818.81	852.68	867.73
	कुल राजस्व	8,280.60	9,405.54	10,314.67	12,097.38	13,174.28	14,616.41	15,589.45
	कुल व्यय	11,845.57	12,739.05	11,517.77	14,826.65	15,737.86	15,087.58	15,434.54
	अपवाद मद (उदय सब्सिडी) एवं पूर्व अवधि की आय/(व्यय) से पहले लाभ/(हानि)	(3,564.98)	(3,333.51)	(1,203.11)	(2,729.27)	(2,563.58)	(471.17)	154.91
	पूर्व अवधि की आय/(व्यय)	(27.91)	(170.49)	(100.44)	(57.97)	(230.25)	34.22	20.82
	उदय सब्सिडी	0	0	966.86	3,986.32	3,260.65	1,225.00	0
	अपवाद मद के पश्चात लाभ/(हानि)	(3,592.89)	(3,504.00)	(336.69)	1,199.08	466.82	788.06	175.73
जोधपुर	परिचालन से राजस्व	8,223.05	9,983.61	11,138.63	12,304.22	13,396.52	14,614.85	17,656.55

	अन्य आय	877.35	700.05	577.94	687.88	675.61	817.61	840.29
	कुल राजस्व	9,100.41	10,683.66	11,716.57	12,992.11	14,072.12	15,432.46	18,496.85
	कुल व्यय	13,047.18	13,912.48	13,539.72	16,819.59	17,476.69	18,976.70	20,216.58
	अपवाद मद (उदय सब्सिडी) एवं पूर्व अवधि की आय/(व्यय) से पहले लाभ/(हानि)	(3,946.77)	(3,228.82)	(1,823.15)	(3,827.48)	(3,404.57)	(3,544.23)	(1,719.73)
	पूर्व अवधि की आय/(व्यय)	(199.35)	(45.05)	47.67	7.92	62.62	(153.08)	(11.95)
	उदय सब्सिडी	0	0	746.80	3,850.04	4,575.71	3,707.16	0
	अपवाद मद के पश्चात लाभ/(हानि)	(4,146.12)	(3,273.87)	(1,028.68)	30.47	1,233.76	9.85	(1,731.68)

पारिभाषिक शब्दावली

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
एसीएस	आपूर्ति की औसत लागत
एआरआर	औसत राजस्व वसूली
एटीएण्डसी	एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि
बीईई	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
सीटीपीपी	छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईएलपी	घरेलू दक्ष विद्युत कार्यक्रम
डीएफ	वितरण फ्रेंचाइजी
डीआईसी	निर्दिष्ट आईएसटीएस उपभोक्ता
डीआरसी	वितरण सुधार समिति
डीएसएम	मांग पक्ष प्रबंधन
डीटी	वितरण ट्रांसफार्मर
ईआरपी	उद्यम संसाधन योजना
एफआई	वित्तीय संस्थान
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीओआर	राजस्थान सरकार
जीएसए	गैस विक्रय करार
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण
आईपीडीएस	एकीकृत विद्युत विकास योजना
आईएसटीएस	अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
केएसटीपीएस	कोटा सुपर तापीय ऊर्जा स्टेशन
केटीपीपी	कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र
एलपीएस	विलंब भुगतान अधिभार
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओडी	वरीयता क्रम प्रेषण
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमवाईटी	बहुवर्षीय टैरिफ
एनआईएम	नेटवर्क अनुक्रमण मापांक

एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसजीएम	राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन
एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन
पीएटी	प्रदर्शन उपलब्धि व्यापार
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएसडीएफ	विद्युत क्षेत्र विकास निधि
आर-एपीडीआरपी	पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आरडीएसएस	पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना
आरईसी	आरईसी लिमिटेड
आरईआरसी	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय दायित्व
आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
आरएसईडीएमआर अधिनियम	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व अधिनियम
आरवीयूएनएल	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
एसएचआर	स्टेशन ऊष्मा दर
एसएसटीपीएस	सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीएफ	राज्य टास्क फोर्स
एसटीयू	राज्य पारेषण उपयोगिता
टीएण्डडी लोसेस	पारेषण एवं वितरण हानि
टीसीओएस	आपूर्ति के नियम एवं शर्तें
उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
वीसीबी	वैक्यूम सर्किट ब्रेकर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi